खण्ड-178, अंक-1
सोमवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(3 सितम्बर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 178 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–३
प्रश्नोत्तर	४–१३
हरदोई जिले में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	१३–१५
आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ	१५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम ८३–क (५) में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	१६
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया) ..	१६
दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचारोपरान्त पारित)	१६–१८
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत विधेयक विचारोपरान्त पारित) ..	१९–८२
उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार जारी)	८२–९३
नत्थी	९४–९६

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

उपस्थित सदस्यों सूची	९७–९९
प्रश्नोत्तर	१००–११७
गोरखपुर जिले में जंगल अधिकारियों द्वारा टोंगिया काश्तकारों को उनके घरों से निकाले जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	११८
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	११८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया)	११८
उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक विचारोपरान्त पारित)	११९–१४१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचारोपरान्त पारित)	१४१–१७०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत)	१७१
नत्थियां	१७२–१७९
बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६	
उपस्थित सदस्यों की सूची	१८१–१८४
प्रश्नोत्तर	१८४–२०७
वाराणसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर उर्दू पढ़ाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	२०७
तराई भावर एवं पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भाग में पशुघातक मान रोग के रोकने में सरकार की विफलता पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित) ..	२०८
सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना.	२०९–२११
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (विचारार्थ लेने के प्रस्ताव पर विवाद) ..	२११–२५१
नत्थियां	२५२–२५५
बृहस्पतिवार, ६ सितम्बर, १९५६	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२५७–२६०
प्रश्नोत्तर	२६०–२८३
वाराणसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर उर्दू पढ़ने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२८३–२८५
तराई भावर एवं पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भाग में पशुघातक मान रोग के रोकने में सरकार की विफलता पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२८५–२८६
श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित)	२८६
श्री विष्णुदयाल वर्मा द्वारा स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने की सूचना	२८६–२८७
श्री राजनारायण द्वारा कृषि मंत्री के भाषण पर आपत्ति	२८७
भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित "रिलीजस लीडर्स" पुस्तक के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही के विषय में जानकारी की मांग ..	२८७
श्री राजनारायण के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	२८७
लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५४, भाग १ से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (प्रस्तुत की गई)	२८७–२८८
बिक्री-कर अधिनियम के अधीन बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री का वक्तव्य.	२८८–२९३
उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति में विधान परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (विचार स्थगित)	२९३–२९६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (विचारोपरान्त पारित) ..	२९६–३२४
उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ (विचार जारी)	३२४–३३३
अगले दिन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	३३३–३३४
नत्थियां	३३५–३४०
शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६	
उपस्थित सदस्यों की सूची	३४१–३४४
प्रश्नोत्तर	३४५–३५९
३ अगस्त, १९५६ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३५९–३६०
२७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न ३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३६०
श्री राजनारायण एवं श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३६०–३६१
भारतीय विद्याभवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित "रिलीजस लीडर्स" पुस्तक के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६१–३६२
गोंडा जिले में रूसे डाकू के आतंक से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६२
लखनऊ विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौन्सिल को भंग करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६२–३६५
भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित "रिलीजस लीडर्स" पुस्तक पर कानूनी राय के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	३६५–३६७
श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	३६७–३६८
उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक को शीघ्र कानून के रूप में लागू करने की मांग	३६८
इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया)	३६८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (जारी)	३६८–३८१
शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६ को बैठक करने तथा बिक्री-कर विधेयक पर भाषणों का समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	३८१–३८६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (जारी)	३८६–४०७
नत्थियां	४०८–४३०

विषय	पृष्ठ-संख्या
शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६	
उपस्थित सदस्यों की सूची	४३१–४३३
श्री राजनारायण तथा श्री रामेश्वरलाल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (अवैध घोषित)	४३३–४३४
द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना तथा बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की रिपोर्ट पर विवादार्थ समय की मांग	४३४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (जारी)	४३४–४५९
भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'रिलीजस लीडर्स' पुस्तक के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य के 'नेशनल हेरल्ड' में गलत छपने की सूचना	४५९–४६०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (विधेयक विचारोपरान्त पारित)	४६०–४९२

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ।

मंत्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री ।

श्री हरगोविन्दसिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मंत्री ।

आचार्य जुगलकिशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री ।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस उपमंत्री ।

श्री मुजफ्फरहसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच०डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा सदस्य।

२—श्री बनारसीदास, विधान सभा सदस्य।

कृषि मन्त्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य।

सूचना मंत्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री परमात्मानन्दसिंह, विधान परिषद् सदस्य।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१	अंसमानसिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२	अक्षयवरसिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३	अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५	अनन्तस्वरूपसिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६	अब्दुश मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९	अमृत नाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१२	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१३	अशरफ अली खां, श्री	..	साद्राबाद (पूर्व)
१४	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१५	आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१६	आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१७	इरतजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१८	इसरारुल हक, श्री	..	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
१९	इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२०	उदयभानसिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२१	उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३	उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट
२४	उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५	उत्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६	ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७	ओंकारसिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०	कमलासिंह, श्री	..	सैदपुर
३१	कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)
३२	करणसिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३	करनसिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४	कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३५	कल्याणराय, श्री	..	हजूरमिलक (उत्तर)
३६	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चन्दौली (उत्तर)
३७	कालिकासिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३८	कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४०	किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४१	किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुर्जा
४२	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३	कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
४४	कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४५	कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४६	कृष्णशरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४७	केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४८	केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४९	केशभानराय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५०	केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५१	केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५२	केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५४	खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५५	खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
५६	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५७	गंगाधर जाटव, श्री	..	फिरोजाबाद–फतेहाबाद
५८	गंगाधर मैठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)-गौड़ो (उत्तर)
५९	गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६०	गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६१	गंगाप्रसादसिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६२	गजेंद्रसिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६३	गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
६४	गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६५	गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६७	गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६८	गिरधारीलाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६९	गुप्तारसिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७०	गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७१	गुरुप्रसादसिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७२	गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७३	गैंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७४	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७५	गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६	गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७	घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेहीघाट
७८	घासीराम जाटव, श्री	..	बिधुना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
७९	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८१	चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८३	चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८४	चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८५	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८६	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८७	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
८८	चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुनौर (पूर्व)
८९	छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९०	छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९१	जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९२	जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९३	जगदीशसरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९४	जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९५	जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९६	जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९७	जगन्नाथबख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९८	जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९९	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१००	जगपतिसिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०१	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०२	जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०३	जयपालसिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०४	जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५	जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०६	जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०७	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८	जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
१०९	जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
११०	ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
१११	झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११२	टीकाराम, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
११३	टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४	डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५	डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७	तिरमलसिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८	तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
११९	तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२०	तेजप्रतापसिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२१	तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२२	तेजासिंह, श्री	. .	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२३	त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	. .	बहराइच (पश्चिम)
१२४	दयालदास भगत, श्री	. .	घाटजपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२५	दर्शनराम, श्री	. .	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२६	दलबहादुरसिंह, श्री	. .	सलोन (दक्षिण)
१२७	दाऊदयाल खन्ना, श्री	. .	मुरादाबाद (उत्तर)
१२८	दाताराम, श्री	. .	नकुड़ (दक्षिण)
१२९	दीनदयालु शर्मा, श्री	. .	अनूपशहर (उत्तर)
१३०	दीनदयालु शास्त्री, श्री	. .	रुड़की (पूर्व)
१३१	दीपनारायण वर्मा, श्री	. .	जौनपुर (पश्चिम)
१३२	देवकीनन्दन विभव, श्री	. .	आगरा
१३३	देवदत्त मिश्र, श्री	. .	पुरवा (दक्षिण)
१३४	देवदत्त शर्मा, श्री	. .	बुशन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१३५	देवनन्दन शुक्ल, श्री	. .	सलीमपुर (पश्चिम)
१३६	देवमूर्तिराम, श्री	. .	बनारस (पश्चिम)
१३७	देवराम, श्री	. .	सैदपुर
१३८	देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री	. .	गोरखपुर (पश्चिम)
१३९	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	. .	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४०	द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	. .	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४१	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	. .	फरेंदा (दक्षिण)
१४२	धनुषधारीपांडेय, श्री	. .	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४३	धर्मसिंह, श्री	. .	बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१४४	धर्मदत्त वैद्य, श्री	. .	बहेड़ी (दक्षिण–पश्चिम)–बरेली (पश्चिम)
१४५	नत्थूसिंह, श्री	. .	आंवला (पूर्व)–फरीदपुर
१४६	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	. .	हाथरस
१४७	नरदेव शास्त्री, श्री	. .	पश्चिमीय दून (दक्षिण)–पूर्वीय दून
१४८	नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री	. .	पिथौरागढ़-चम्पावत
१४९	नरोत्तमसिंह, श्री	. .	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५०	नवलकिशोर, श्री	. .	आंवला (पश्चिम)
१५१	नागेश्वर द्विवेदी, श्री	. .	मछलीशहर (उत्तर)
१५२	नाजिम अली, श्री	. .	मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर (उत्तर)
१५३	नारायणदत्त तिवारी, श्री	. .	नैनीताल (उत्तर)
१५४	नारायणदास, श्री	. .	फैजाबाद (पूर्व)
१५५	नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	. .	पुवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१५६	निरंजनसिंह, श्री	. .	पीलीभीत (पूर्व)–बीसलपुर (पश्चिम)
१५७	नेकराम शर्मा, श्री	. .	सिकन्दर राव (दक्षिण)
१५८	नेत्रपालसिंह, श्री	. .	सिकन्दराराव (उत्तर)–कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५९	नौरंगलाल, श्री	. .	नवाबगंज
१६०	पद्मनाथसिंह, श्री	. .	मुहम्मदाबाद–गोहना (दक्षिण)
१६१	परमानन्द सिन्हा, श्री	. .	सोरांव (दक्षिण)
१६२	परमेश्वरीदयाल, श्री	. .	केराकत–जौनपुर (दक्षिण)
१६३	परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	. .	महाराजगंज (उत्तर)
१६४	पहलवानसिंह चौधरी, श्री	. .	बांदा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६५	--पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६६	--पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६७	--पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६८	--पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६९	--प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७०	--प्रतिपालसिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)
१७१	--प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७२	--प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७३	--प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७४	--फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर
१७५	--फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७६	--फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१७७	--बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७८	--बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१७९	--बलदेवसिंह, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
१८०	--बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८१	--बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८२	--बलवीरसिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८३	--बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८४	--बलवन्तसिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८५	--बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८६	--बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८७	--बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८८	--बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८९	--बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९०	--बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१९१	--बाबूलाल मीतल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९२	--बालेंदुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९३	--बिशम्बरसिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९४	--बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९५	--बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९६	--बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९७	--बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९८	--बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९९	--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००	--भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१	--भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०२	--भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३	--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०४	--भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०५	--भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०६	--भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०७	--भूपालसिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०८	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण)
२०९	भोलासिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१०	मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२११	मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१२	मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)–छिबरामऊ
२१३	मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१५	मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१६	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१७	मलखानसिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१८	महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा–बिलासपुर
२१९	महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२०	महादेवप्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२१	महाराजसिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२२	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२३	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज
२२४	महाबीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)–देवरिया
२२५	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२६	मान्धातासिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण पश्चिम)
२२७	मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२२८	मिहरबानसिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
२२९	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३०	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३१	मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३२	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर–अकबरपुर
२३३	मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३४	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरिया गंज (दक्षिण)
२३५	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२३६	मुहम्मद अब्दस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३७	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज		नगीना (दक्षिण–पश्चिम)-धामपुर (उत्तर)-पूर्व)
२३८	मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३९	मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४०	मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४२	मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४३	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण)
२४४	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४५	मुहम्मद सआदत अली खां, राजा		नानपारा (दक्षिण)
२४६	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२४७	मोहनलाल, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२४८	मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्यका नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२४९	मोहनलाल वर्मा, श्री	.. बिलग्राम (पूर्व)
२५०	मोहनसिंह, श्री	.. बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५१	मोहनसिंह शाक्य, श्री	.. अलीगंज (दक्षिण)
२५२	यमुनाप्रसाद, श्री	.. बहराइच (पश्चिम)
२५३	यमुनासिंह, श्री	.. गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५४	यशोदादेवी, श्रीमती	.. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५५	रघुनाथप्रसाद, श्री	.. मेजा-करछना (दक्षिण)
२५६	रघुराजसिंह, श्री	.. तरबगंज (पश्चिम)
२५७	रघुवीरसिंह, श्री	.. बागपत (दक्षिण)
२५८	रणंजयसिंह, श्री	.. अमेठी (मध्य)
२५९	रतनलाल जैन, श्री	.. नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६०	रमानाथ खैरा, श्री	.. महरौनी
२६१	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	.. मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६२	रमेश वर्मा, श्री	.. किराउली
२६३	राघवेंद्रप्रतापसिंह, राजा	.. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६४	राजकिशोर राव, श्री	.. बहराइच (पूर्व)
२६५	राजकुमार शर्मा, श्री	चुनार (उत्तर)
२६६	राजनारायण, श्री	.. वाराणसी (दक्षिण)
२६७	राजनारायणसिंह, श्री	.. चुनार (दक्षिण)
२६८	राजवंशी, श्री	.. पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२६९	राजाराम, श्री	.. अतरौला (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७०	राजाराम किसान, श्री	.. प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुंडा (उत्तर)
२७१	राजाराम मिश्र, श्री	.. फैजाबाद (पश्चिम)
२७२	राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद (उत्तर)
२७३	राजेंद्रदत्त, श्री	.. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७४	राधामोहनसिंह, श्री	.. बलिया (पूर्व)
२७५	रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७६	रामअधीनसिंह यादव, श्री	.. पुरवा (मध्य)
२७७	रामअनन्त पांडेय, श्री	.. बलिया (मध्य)
२७८	रामअवधसिंह, श्री	.. फरेंदा (उत्तर)
२७९	रामआसरे वर्मा, श्री	.. फतेहपुर (दक्षिण)
२८०	रामकिंकर, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१	रामकुमार शास्त्री, श्री	.. बांसी (दक्षिण)
२८२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८३	रामगुलामसिंह, श्री	.. जलालाबाद (पश्चिम)
२८४	रामचन्द्र विकल, श्री	.. सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८५	रामचरणलाल गंगवार, श्री	.. बरेली (पश्चिम)
२८६	रामजीलाल सहायक, श्री	.. मवाना
२८७	रामजी सहाय, श्री	.. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२८८	रामदास आर्य, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२८९	रामदास रविदास, श्री	अकबरपुर (पश्चिम)
२९०	रामदुलारे मिश्र, श्री	अकबरपुर (दक्षिण)
२९१	रामनरेश शुक्ल, श्री	कुंडा (दक्षिण)
२९२	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	अकबरपुर (पूर्व)
२९३	रामप्रसाद, श्री	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९४	रामप्रसाद देशमुख, श्री	खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९५	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९६	रामप्रसादसिंह, श्री	महाराजगंज (दक्षिण)
२९७	रामबली मिश्र, श्री	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९८	रामभजन, श्री	मोहम्मदी (पश्चिम)
२९९	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३००	रामरतनप्रसाद, श्री	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०१	रामराज शुक्ल, श्री	पट्टी (पूर्व)
३०२	रामलखन, श्री	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०३	रामलखन मिश्र, श्री	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०४	रामलाल, श्री	बस्ती (पश्चिम)
३०५	रामवचन यादव, श्री	फूलपुर (दक्षिण)
३०६	रामशंकर द्विवेदी, श्री	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०७	रामशंकर रविवासी, श्री	लखनऊ (मध्य)
३०८	रामसनेही भारतीय, श्री	बबेरी (पश्चिम)
३०९	रामसहाय शर्मा, श्री	गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१०	रामसुन्दर पांडेय, श्री	घोसी (पूर्व)
३११	रामसुन्दरराम, श्री	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१२	रामसुभग वर्मा, श्री	पडरौना (पश्चिम)
३१३	रामसुमेर, श्री	टांडा
३१४	रामसेवक यादव, श्री	फतेहपुर (उत्तर)
३१५	रामस्वरूप, श्री	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१६	रामस्वरूप गुप्त, श्री	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१७	रामस्वरूप भारतीय, श्री	कुण्डा (दक्षिण)
३१८	रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९	रामहरख यादव, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
३२०	रामहेतसिंह, श्री	छत्ता
३२१	रामेश्वरप्रसाद, श्री	महाराजगंज (पश्चिम)
३२२	रामेश्वरलाल, श्री	देवरिया (दक्षिण)
३२३	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	ननीताल (दक्षिण)
३२४	लक्ष्मणराव कदम, श्री	मऊ-मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम)–ललितपुर (उत्तर)
३२५	लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	शाहगंज (पूर्व)
३२८	लताफत हुसैन, श्री	हसनपुर (उत्तर)
३२९	लालबहादुरसिंह, श्री	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३०—	लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—	लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—	लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—	लेखराजसिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—	वंशनारायणसिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—	वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—	वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—	वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३९—	वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—	विजयशंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—	विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४३—	विश्रामराय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४४—	विश्वनार्थसिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४५—	विष्णुदयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४६—	विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	सवाना
३४७—	वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४८—	वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५०—	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५१—	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—	व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३५३—	व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—	व्रजवासीलाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५५—	व्रजविहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५६—	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—	शंकर लाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५८—	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५९—	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—	शारदाबख्शसिंह, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३६१—	शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६२—	शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—	शिवदानसिंह, श्री	..	इगलास
३६४—	शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६५—	शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६—	शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—	शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६८—	शिवमंगलसिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—	शिवमंगलसिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पूर्व)
३७१—	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७२	शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७३	शिवराम राय, श्री	..	सदर आजमगढ़ (उत्तर)
३७४	शिववक्षसिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७५	शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७६	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री		बहराइच (पूर्व)
३७७	शिवस्वरूपसिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७८	शुकदेवप्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७९	शुगनचन्द , श्री	..	रुड़की (पश्चिम) –सहारनपुर (पूर्व)
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१	श्यामलाल, श्री		उतरौला (उत्तर)
३८२	श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री		नरैनी
३८३	श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	आगरा नगर (पश्चिम)
३८५	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८६	श्रीनाथराम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर) –घोसी (दक्षिण)
३८७	श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८८	श्रीपति सहाय, श्री	...	राठ
३८९	सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व) – अलीगढ़ (उत्तर)
३९०	संग्रामसिंह, श्री	..	सोरांव (उत्तर) –फूलपुर (पश्चिम)
३९१	सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री		सलीमपुर (पूर्व)
३९२	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९३	सत्यनारायणदत्त, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
३९४	सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९५	सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती		बरेली (पूर्व)
३९६	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७	सहदेवसिंह, श्री	..	जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९८	सालिग्राम जायसवाल, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
३९९	सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
४००	सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)–कायमगंज (पूर्व)
४०१	सियाराम चौधरी , श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४०२	सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)–हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०३	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०५	सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
४०६	सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व) – फरीदपुर
४०७	सुरजूराम, श्री	..	सदर आजमगढ़ (उत्तर)
४०८	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर -मौदहा (उत्तर)
४०९	सुरेन्द्र प्रकाशसिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४१०	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४११	सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४१२	सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१३	सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१४	हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१५	हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)– घोसी (दक्षिण)
४१६	हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१७	हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य–पूर्व)
४१८	हरखयालसिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१९	हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४२०	हरगोविन्दसिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२१	हरदयालसिंह पिपल, श्री	.	हाथरस
४२२	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द
४२३	हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२४	हरिप्रसाद, श्री	..	बीसलपुर (मध्य)
४२५	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२६	हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२७	हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२८	हुकुमसिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)– चायल (दक्षिण)
४३०	होतीलालदास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४३१	(रिक्त)	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री मिट्ठन लाल, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

विशेष कार्याधिकारी

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर)
श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० (स्थानापन्न) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४२)

अजीज इमाम , श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री

गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)

डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवंतसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री

राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहर्तासिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजू राम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में वर्षा की स्थिति

****१—श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की चारों तहसीलों में इस वर्ष किन-किन क्षेत्रों में सूखा पड़ा ?

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—फैजाबाद जिले के किसी भी भाग में सूखा नहीं पड़ा। जुलाई के पहले पखवारे में वर्षा कम अवश्य हुई थी जिससे धान की फसल को मामूली नुकसान हुआ था। परन्तु बाद में वर्षा काफी हुई और फसलें सामान्य हैं। केवल अकबरपुर तथा टांडा के कुछ भागों में धान की फसल सामान्य से कुछ खराब है।

****२—श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—सरकार ने उन क्षेत्रों की जनता की सहायता के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

सचिवों तथा सहायक सचिवों के वेतन में परिवर्तन

****३—श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में सरकार ने मिनिस्टर्स के पी० ए० व असिस्टेंट सेक्रेटरीज के वेतन-क्रम में तथा Secretary to Government के allowance में कोई तब्दीली की है ? यदि हां, तो कब से और क्या-क्या ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—हाल में मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों के वेतन में कोई तब्दीली नहीं की गयी है।

सहायक सचिव पहिले अधीक्षक का वेतन तथा २५० रु० प्रति माह विशेष वेतन (special pay) पाते थे। १ अगस्त, १९५६ से उनका वेतन-क्रम ८००—५०—१००० रु० कर दिया गया है।

१५ सितम्बर, १९५४ तक Secretaries to Government को २५० रु० प्रति माह विशेष वेतनन कि allowance दिया जाता था। इसके बाद उनका विशेष वेतन ३०० रु० प्रति माह कर दिया गया है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि यह तब्दीली जो हुई है वह क्यों की गई है ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तब्दीली २ हैं, एक तब्दीली जो सहायक सचिवों के संबंध में है, सहायक सचिवों को ६७५ रुपया वेतन मिलता था और २५० रुपया उनको स्पेशल पे दी जाती थी और इस तरह से कुल मिलकर ९२५ हो जाते थे। इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ है क्योंकि अब मेगजिमम ९०० रुपये तक ही रह गया है और उनका भी फायदा यह है कि उनको तरक्की साल बसाल मिलती रहती है, इसलिये इस तब्दीली से गवर्नमेंट का भी लाभ हुआ है और इन सहायक सचिवों का भी। जहां तक सेक्रेटरीज टु गवर्नमेंट का संबंध है, २ बरस पुरानी बात है, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट को ऐसा मालूम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इन आई० ए० एस० आफिसर्स को जो इस पद पर होते हैं उन डिप्टी सेक्रेटरीज को ३०० रुपया मिलता है और हमारे यहां सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट को २५० रुपया मिलता था जो उनके डिप्टी सेक्रेटरी से ऊंचे होते हैं इसलिये उनका भी ३०० रुपया कर दिया गया है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १—२ श्री रामेश्वरलाल ने पूछे।

आगरा जिले के बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ योजना

**४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री को विदित है कि आगरा में बाढ़ आ जाने के कारण जो परिवार घर-विहीन हो गये हैं उनके पुनर्वासन की सरकार की क्या योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आगरा जिले में बाढ़ से गृह-विहीन हो गये लोगों की क्या आवश्यकता है, उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। जैसी जरूरत होगी, उसके अनुसार भूमि हस्तगत करने में मदद की जायेगी तथा आर्थिक सहायता भी नियमानुसार दी जायेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो लोग गृह-विहीन हो गये हैं उनके हाल के रहने के लिये कोई रावटियों या छप्पर वगैरह की अस्थायी व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी अभी कोई सूचना नहीं है कि ऐसा कुछ किया गया है। नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया मालगुजारी मौजूदा बाढ़-ग्रस्त हालत में भी वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे समय उसे माफ करने की कृपा करेगी ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--नहीं नहीं, सभी जगह वसूल की जा रही होगी और कोई इरादा उसको मुल्तवी करने का नहीं है। मैंने पल्लड डिबेट के बीच में भी कहा था कि यह बड़ा कड़वा काम है लेकिन करना पड़ेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि मैंने जो उस समय सूचना दी थी उस सूचना के आधार पर कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह--नहीं की गयी, क्योंकि मैं आवश्यकता नहीं समझता था। जाड़े के दिनों में शायद इस तरह के शेल्टर की जरूरत हो लेकिन यह जो आरजी दो, चार दिनों के लिये आजकल के मौसम में कोई बात हो जाय तो उसके लिये जबतक हम इन्तजाम करते हैं तबतक उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिये मैंने कलेक्टर से खुद ही नहीं कहा इस सिलसिले में।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार ने अब तक कोई ऐसे आंकड़े प्राप्त कर लिये हैं कि इस बाढ़ के आ जाने के कारण कितने परिवार गृह-विहीन हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--जवाब में यह कहा गया है कि इसकी सूचना इकट्ठा की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

*१--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मेजर एच० आई० हियरसे तथा बिहार सरकार को मुआवजा

*२--**श्री तेजप्रताप सिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि निम्नलिखित को वार्षिक वृत्ति व प्रतिकर क्यों और कब से दिया जा रहा है--

(अ) मेजर एच० आई० हियरसे के वंशजों की वार्षिक वृत्ति।
(ब) बिहार सरकार को भुगतान किया जाने वाला प्रतिकर।
(स) जयपुर दरबार को दिया जाने वाला प्रतिकर।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री रामहेतसिंह ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--(अ) मेजर एच० आई० हियरसे के वंशजों को जिला देहरादून के चन्डी ग्राम में स्थित जमींदारी के ईस्ट-इन्डिया कम्पनी द्वारा खरीदे जाने के एवज में सन् १८१३ ई० से १,२०० रुपया वार्षिक वृत्ति दी जा रही है।

(ब) गंगा नदी की मध्य धारा के बदलने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश का कुछ भाग बिहार में चला गया है। उस क्षेत्र की मालगुजारी इसी सरकार के कर्मचारियों द्वारा वसूल की जाती है तथा वसूल करने पर जो व्यय होता है उसे निकालने के पश्चात् शेष रुपया प्रतिकर के रूप में बिहार सरकार को दे दिया जाता है। यह प्रतिकर सन् १९१७ ई० से दिया जा रहा है जो पिछले हर पंचसाला तथा हश्तसाला बन्दोबस्तों में बढ़ता रहा है। सन् १९४१ ई० से यह प्रतिकर ११,४६८ रु० प्रतिवर्ष दिया जा रहा है।

(स) सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मेजर एच० आई० हियरस आजकल कहां रह रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मालूम नहीं है कहां रहते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक क्या इनका मुआवजा पूरा नहीं हो गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कान्ट्रैक्ट हमेशा दन का था उनके वंशजों को।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ऐसा विचार है कि यह मुआवजा देना बन्द कर दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा अभी कोई विचार नहीं है। वैसे यह सवाल विचाराधीन है। लेकिन इस वक्त बन्द करने के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बन्द कर दिया जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जो बन्द करने का विचार नहीं है लेकिन वह विचाराधीन है तो किस बात पर विचार किया जा रहा है इसको स्पष्ट करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि वह बन्द किय जायगा। लेकिन विचार कर रहे हैं इस सवाल पर कि क्या किया जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माल मंत्री बतायेंगे कि यह जो वसूल करने पर व्यय होता है मालगुजारी के, वह कितना होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी कि हर साल कितना वसूल होता है और क्या खर्चा होता है।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह जमीन जो गंगा के उस पार हो गई है अब इस पार हो गई है क्या?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब इस पार हो जाती होगी तो फिर मालगुजारी देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सूचना एकत्रित की जा रही है यह कब तक हो जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आशा है जल्दी हो जायगी।

देवरिया जिले के प्रतिकर बाण्ड्स

*३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला के भूतपूर्व जमींदारों में कितने लोगों को प्रतिकर बान्ड सरकार द्वारा दे दिये गये हैं और कितने लोगों को अब तक प्रतिकर बान्ड्स नहीं दिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला देवरिया के भूतपूर्व जमींदारों में ६,१२७ लोगों को प्रतिकर बान्ड सरकार द्वारा दिये गये हैं और २३,८७४ लोगों को अब तक प्रतिकर बान्ड नहीं दिये गये हैं।

*४—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन जमींदारों को अब तक बान्ड्स नहीं दिये गये हैं उनके क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला देवरिया के जिन भूतपूर्व जमींदारों को अब तक बान्ड्स नहीं दिये गये हैं उनके कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) ८,७४७ जमींदारों के बान्ड अभी पब्लिक डेट आफिस, लखनऊ से बनकर नहीं आये।

(२) १,७५४ जमींदारी के बान्ड उक्त आफिस से अभी हाल में बनकर आये हैं जिनके वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

(३) १,८५१ जमींदारों को अपने बान्ड ले जाने की नोटिस भेज दी गई थी पर वे बान्ड लेने नहीं आये।

(४) ५५६ जमींदारों की मृत्यु हो जाने के कारण बान्ड उनके उत्तराधिकारियों को दिये जाने हैं जिनके (उत्तराधिकारियों) निर्धारण की कार्यवाही हो रही है।

(५) ५१२ जमींदारों को न्यायालय के आदेशानुसार बान्ड नहीं दिये जा रहे हैं।

(६) १०,४५१ जमींदारों के बान्डों के मांग-पत्र (indents) पब्लिक डेट आफिस, लखनऊ को अभी नहीं भेजे गये हैं।

*५—श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि प्रतिकर बान्डों के प्रति पृष्ठ पर १ जुलाई को हर साल भुगतान की सूचना छपी है ? यदि हां, तो क्या ऐसा होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। प्रतिकर बान्डों के प्रतिपृष्ठ पर १ जुलाई को हर साल किस्तों के भुगतान की सूचना छपी है। उसके अनुसार जो व्यक्ति खजाने में बान्ड लाते हैं उनको भुगतान किया जाता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो कुल प्रतिकर प्रान्त के समस्त जमींदारों को देना है राज्य सरकार को वह कितने रुपये का है और जितने रुपये का प्रतिकर बांड ६,१२७ जमींदारों को दिया गया है वह कितने रुपये का है ?

श्री अध्यक्ष—ये आपने दो-दो सवाल एक साथ किये हैं। वह अलग-अलग कीजिए। यह देवरिया जिले के बारे में सवाल है।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मेरे पूछने का मतलब यह है कि देवरिया जिले में जिन भूतपूर्व जमींदारों को प्रतिकर बांड देना है वह कुल कितने रुपये का है और जो ६,१२७ जमींदारों को बांड दिया गया है वह कुल कितने रुपये का है।

श्री चरणसिंह—सिर्फ देवरिया का पूछ रहे हैं ?

श्री रामेश्वरलाल--जी हां।

श्री चतुर्भुज शर्मा--कुल प्रतिकर १ करोड़ ३१ लाख ४० हजार ८६५ रुपये का दिया जाना है जिसमें से ६० लाख २८ हजार ५२९ रुपया ८ आना १० पाई बांडों में तथा प्रतिकर में दिया जा चुका है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह कृपा कर बतलायेंगे कि जिन जमींदारों को प्रतिकर बांड मिल गये हैं और उनके भुगतान का सरकार ने वादा भी किया है, तारीख भी निश्चित की है, लेकिन उन तारीखों पर उनको बांड का भुगतान नहीं होता, उसको रोकने के लिए, कोई प्रबन्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं आयी है क्योंकि यह तो खजाने से बांड भंजाया जाता है, वहां मिलता है, जब यह जायंगे तो दिया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो ९,१२७ जमींदारों को प्रतिकर बांड दे दिए गए हैं उनमें कितने का भुगतान सरकार ने कर दिया है ?

श्री चरणसिंह--मालूम होता है कि माननीय मित्र को यह मालूम नहीं है कि क्या तरीका है भुगतान का। चालीस साला बांड हैं। वह हर साल ट्रेजरी में जायगा, बांड होल्डर और ट्रेजरी से उसका भुगतान होगा।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रतिकर हर वर्ष भुगतान किया जाता है वह सभी लोगों को किया जाता है या कुछ खास मिकदार के प्रतिकर बांड वालों को किया जाता है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। ऐसी कोई शर्त नहीं है। न कोई कैद है किसी किस्म की, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी बांडहोल्डर हैं और जो भी पहली जुलाई को जाकर बांड जमा करेंगे उनको मिल जायगा। जो नहीं जायेंगे उनको अगले साल मिल जायगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोग पहली जुलाई को बांड का रुपया नहीं लेते क्या सरकार उनको अगले साल कुछ सूद भी देती है ?

श्री चरणसिंह--मेरे खयाल से नहीं देती होगी। आपकी गलती की वजह से हम अपना बोझ क्यों बढ़ायें ? लेकिन यह मैं अभी सब्जेक्ट टु करेक्शन कह रहा हूं।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो जमींदार मर गये हैं और उनके उत्तराधिकारियों का प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है उनके उत्तराधिकार की रक्षा कैसे की जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उत्तराधिकार उनके अदालत से तय होंगे।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो १०,४५१ जमींदारों के बांड का मांग-पत्र नहीं भेजा गया है आफिस को, उसके क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--एक तो यह कि पब्लिक डेट आफिस के पास काम ज्यादा है और हम लोग सिलसिले से भेज रहे हैं। दूसरे यह हुआ कि बाँड्स को कुछ रिवाइज कर दिया गया, दूसरी तरह से वह छपने को थे, उस कारण से भी थोड़ी सी देर हुई।

पूर्वी जिलों में वर्षा की कमी से खरीफ की फसल को क्षति

*६—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगातार दो माह से बराबर वर्षा न होने के कारण पूर्वी जिलों की सारी फसलें नष्ट होती जा रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सही नहीं है कि पूर्वी जिलों में लगातार दो महीने से वर्षा नहीं हुई। हां, पूर्वी जिलों के कुछ भागों में जुलाई से अगस्त के पहले सप्ताह तक वर्षा बहुत कम और छिटपुट हुई थी जिसके फलस्वरूप कुआरी धान को कुछ हद तक क्षति पहुंची और अगहनी धान की रोपाई में देर हो गई।

*७—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आज तक कितने आने तक फसलें मारी गई हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—धान की फसल को जो नुकसान पहुंचा है उसका सही अन्दाजा सितम्बर के बीच तक लग सकता है। जिला वाराणसी, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा तथा बहराइच में कुआरी धान को ४ आने से लेकर १२ आने तक नुकसान पहुंचने का डर था और यह भी खतरा था कि अगहनी धान के बहुत से रकबे में रोपाई न हो सकेगी, मगर १० अगस्त के बाद से हर जगह बारिश अच्छी हुई है। इस वजह से नुक्सान का अंदाजा फिर से लगाने की जरूरत है।

*८—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या यह सही है कि इन जिलों में जहां इस वर्ष के सूखा से हाहाकार मचा हुआ है वहां पर रोजी का प्रबन्ध कराने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूखे की आशंका के प्रकट होते ही सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा कमिश्नरों को सावधान कर दिया था कि वे परिस्थिति पर सतर्कतापूर्ण दृष्टि रक्खें और जहां भी आवश्यकता हो तत्काल जनता की सहायता के लिये उचित कार्यवाही करें।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यहां अन्दाजा जो लगाया जायगा फसल मारने का वह कब तक लगाया जायगा?

श्री चरणसिंह—जी, फसल मरने की खबर मिलते ही फौरन बाद वह लगाना शुरू कर दिया जाता है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में जहां सूखा पड़ा हुआ है वहां टेस्ट वर्क भी खोले गये हैं?

श्री चरणसिंह—खुश किस्मती से कोई जरूरत नहीं पड़ी।

*९-११—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[२४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रानीखेत-भिक्यासैन मार्ग पर मोटर दुर्घटना

*१२—**श्री हरगोविन्द पन्त** (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सत्य है कि रानीखेत भिक्यासैन मोटर मार्ग पर दिनांक १५ मई, १९५६ को मोटर बस दुर्घटना हुई? यदि हां, तो उस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस दुर्घटना में ७ व्यक्ति मरे और ६ घायल हुये।

*१३—**श्री हरगोविन्द पन्त**—क्या सरकार ने उक्त घटना के कारण जानने का प्रयत्न किया है? यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस दुर्घटना का कारण चालक की असावधानी और उस समय एक तूफान का उठना बताया जाता है।

*१४—श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार स्वयं अथवा मोटर बस के चालक या मोटर कम्पनी से क्षतिग्रस्त अथवा उनके आश्रितों को प्रतिकर दिलाने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार का प्रतिकर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर० टी० ओ० नैनीताल क्षति-ग्रस्त व उनके आश्रितों की इन्शोरेंस कम्पनी से प्रतिकर दिलाने में मदद कर रहे हैं।

श्री हरगोविन्द पन्त—वह मोटर बस जिस पर दुर्घटना हुई वह कितनी पुरानी थी और किस माडेल की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्राइवेट मोटर थी, सरकारी तो थी नहीं। यह सूचना तो शायद मोटर ओनर ज्यादा दे सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार ऐसी पुरानी मोटर चलने वालों का लाइसेंस कैंसिल करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इंसपेक्शन होता है और मोटर चलाने लायक होती है तभी लाइसेंस दिया जाता है वरना कैंसिल कर दिया जाता है।

श्री हरगोविन्द पन्त—क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि जो मोटरें चलती ह उनका समय-समय पर सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हुआ करता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जवाब दिया जा चुका है कि निरीक्षण होता है।

श्री हरगोविन्द पन्त—जिस मोटर से दुर्घटना हुई है उसका निरीक्षण कब और किस ने किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों का ऐक्सीडेंट हुआ है उनका भी इंश्योरेंश हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हर वेहीकिल इंश्योर्ड होती है। ऐसी दुर्घटनाओं के लिये जो इंश्योरेंस होता है और जिस तरह से कम्पनी पाबन्द है मोटर ओनर्स देने के लिये वह उनसे क्षतिग्रस्त लोगों को दिलाने में मदद दी जायगी।

*१५-१६—श्री उदयभानसिंह (जिला रायबरेली)—[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२१—श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—[२४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२४—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७०-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बिजनौर जिले में ओला पीड़ित क्षेत्र को सहायता

*२५—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माल मंत्री यह बतलायेंगे कि बिजनौर जिल की बिजनौर तहसील तथा दारानगर परगना के कितने गांवों की फसल ओलों की अतिवृष्टि के कारण नष्ट-भ्रष्ट होने की रिपोर्ट उनके पास आई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बिजनौर जिले की तहसील सदर, परगना दारानगर के १७ गांवों में रबी १३६३ की फसल को ओलों की अतिवृष्टि के कारण हानि पहुंचने के संबंध में सरकार के पास रिपोर्ट आई है।

*२६—**श्रीमती चन्द्रवती**—क्या माल मंत्री यह सूचित करेंगे कि अब तक कितनी सरकारी सहायता उक्त क्षेत्र को प्रदान की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन गांवों में १०,००० रुपये की विपत्तिकालीन तकावी (Distress Takavi) बांटी गई तथा ६,५३८ रुपये २ आने की मालगुजारी में छूट दी गई है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या मंत्री जी इन १७ गांवों के बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नाम तो इस समय मेरे पास नहीं है उनके लिये नोटिस की जरूरत होगी ?

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता दी गई है उसमें ग्रेचुइट्स रिलीफ भी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्रीमती चन्द्रवती—जो रिपोर्ट आई है वह कितने क्षति के तखमीने की है ?

श्री चरणसिंह—असल में कितने रुपये का नुकसान हुआ, ऐसी रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती है। सिर्फ यह रिपोर्ट आती है कि चार आने, छे आने, या सोलह आने का नुकसान हुआ और उसके अनुसार छूट दी जाती है। लिहाजा ऐसे फैक्ट्स फिगर्स नहीं है।

श्रीमती चन्द्रवती—यह जो दस हजार रुपये की विपत्तिकालीन तकावी दी गई है, क्या कलेक्टर द्वारा और मांग की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मांग की इत्तिला तो नहीं है, अगर की होगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षति हुई है वह कितने आने हुई है ?

श्री चरणसिंह—क्योंकि छूट दी गई है इससे साबित होता है कि आठ आने या इससे ज्यादा का नुकसान हुआ है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रेचुइट्स रिलीफ इसलिये नहीं दी गई चूंकि अधिकारियों ने डिमांड नहीं की थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, डिमांड भी नहीं की गई थी और अपनी तरफ से ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि पिछली साल ओले बहुत पड़े और जब लोगों को ग्रेचुइट्स रिलीफ दी गई तो लेने से इन्कार कर दिया।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ६,५३८ रु० २ आने की छूट दी गई है यह मालगुजारी के आधार पर या क्षति के आधार पर दी गई है ?

श्री चरणसिंह—दोनों के आधार पर, क्षति जिस हिसाब से हुई है मालगुजारी में छूट उसी हिसाब से दी गई है।

*२७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[१७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८-२९—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में तकावी का वितरण

*३०—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि तहसील मोहमदाबाद, जिला गाजीपुर, में जून-जुलाई सन् १९५६ में कितनी तकावी बैल खरीदने के लिये सरकार द्वारा दी गई और यह तकावी प्रति किसान अधिक से अधिक और कम से कम कितनी दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर, में जून तथा जुलाई, १९५६, में ८,७६५ रु० बैल खरीदने के लिये तकावी के रूप में बांटा गया है। यह तकावी प्रति किसान अधिक से अधिक २०० रु० और कम से कम ३० रु० तक दी गई है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मदाबाद तहसील में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी तकावी दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की जरूरत है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो कम से कम धन प्रत्येक किसान को तकावी के लिये दिया गया है क्या उसमें आज बैल उपलब्ध हो सकता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वहां का हाल तो माननीय सदस्य को अधिक मालूम हो सकता है, लेकिन तकावी का अर्थ पूरा-पूरा रुपया मिलना नहीं होता। वह तो मदद होती है। कुछ रुपया वह अपने पास से लगावे और जो उसको कुछ मिल सके उससे खरीद ले।

श्री रामेश्वरलाल—क्या जो व्यक्ति तकावी लेता है बैल खरीदने के लिये उसको फार्म भरना पड़ता है और यह लिख कर देना पड़ता है कि वह बैल खरीदने के लिये लेना चाहता है ? अब अगर वह उससे बैल न खरीदे और दूसरे काम के लिये इस्तेमाल करे तो सरकार को क्या उसमें कोई एतराज है ?

श्री चरणसिंह—अगर तकावी की शर्तों के खिलाफ वह उसको इस्तेमाल करता है तो वह रुपया उससे फौरन वसूल कर लिया जाता है।

जौनपुर जिले में चकबन्दी का काम

*३१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज, में अभी तक कुल कितना काम चकबन्दी के सम्बन्ध में समाप्त किया गया और कितना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में कुल ७२५ गांवों में चकबन्दी योजना लागू है। इनमें से २१३ गांवों में फिर से सर्वे किया गया है। सर्वे का कार्य समाप्त हो गया है और उनमें से ७८ गांवों का क्षेत्रफल निकाला जा चुका है और २२ गांवों में फर्द मुताबिक्त पूरी हो चुकी है। इन गांवों में चकबन्दी के लिये आवश्यक कागजात व विवरण-पत्रों का बनाना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष ५२२ गांवों में पड़ताल का कार्य पूरा हो चुका है। पड़ताल में कुल ४,३१,३८८ अशुद्धियां मिलीं। ६ अगस्त, १९५६ तक सारी अशुद्धियां ठीक कर दी गईं। ४४० गांवों के भूलेख पत्रों का प्रकाशन चकबन्दी अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत किया जा चुका है और धारा ११ के अन्तर्गत २८३ गांवों में आकार-पत्र प्रकाशित किये जा चुके हैं और २७१ गांवों में उनको अन्तिम रूप दे दिया गया है। सिद्धान्तों के विवरण-पत्र २७१ गांवों में प्रकाशित कर दिये गये हैं और उनमें से २५५ गांवों के विवरण-पत्रों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

नोट:—तारांकित प्रश्न ३० श्री राम सुभग वर्मा ने पूछा।

प्रस्तावों के विवरण-पत्र २०० गांवों में प्रकाशित किये गये हैं और ७८ गांवों में उनको अन्तिम रूप दिया जा चुका है। ५२ गांवों में नये चकों पर खातदारों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

*३२-३३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४-३५--श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--[२४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३७--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८-४०--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--[१ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बद्रीनाथपुरी के लिये सुरक्षा-कार्य

*४६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ जी के मन्दिर की उन्नति तथा उसके इर्द-गिर्द भूमि की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में यात्रियों तथा मन्दिर कमेटी के सुझावों के अनुसार क्या कार्यवाही हो रही है?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह)--पुरी के इर्द-गिर्द की भूमि को हिमस्खन से बचाने के लिये नारायण पर्वत पर वन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है तथा भविष्य में पुरी की सुरक्षा हेतु पुरी के नवनिर्माण की योजना नरपर्वत पर की जा रही है। इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने तथा सुगम बनाने के लिये इस वर्ष नगर तथा ग्राम नियोजक एक (मास्टर प्लान) बनाने के लिये बद्रीनाथ गये थे। वर्तमान पुरी तथा मन्दिर को अलकनन्दा के कटाव से बचाने के लिये नदी के दोनों तरफ रक्षा दिवालों के निर्माण की योजना विचाराधीन है। पुरी में यात्रियों के सुविधार्थ जल विद्युत उत्पन्न करने की योजना पर भी विचार हो रहा है।

हरदोई जिले में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--शुक्रवार को एक कामरोको प्रस्ताव श्री शारदाबख्श सिंह जी का मैंने पढ़कर सुनाया था। चूंकि माल मंत्री जी उस वक्त उपस्थित नहीं थे इसलिये मैं ने उसको स्थगित कर दिया था। प्रस्ताव इस प्रकार था:--

"उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में विशेषकर परगना कटियारी, सांडी, व कछन्दऊ में, भयंकर बाढ़ से अपार क्षति पहुंची है। २५ अगस्त से प्रारम्भ होकर आजतक के सैलाब से धन तथा फस्ल की महान हानि हुई है। मैंने स्वयं वहां की पीड़ित जनता की दयनीय दशा देखी है। वहां के लोग दैनिक आवश्यकताओं के अभाव से अत्यन्त दुखी हैं और सरकार द्वारा वहां के पीड़ित निवासियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है।

[श्री अध्यक्ष]

इस संबंध में सरकार की असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

क्या माननीय माल मंत्री जी को इस पर कोई आपत्ति है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---आपत्ति है और वह इसलिये कि न कोई भीषण परिस्थिति है और न अपार क्षति हुई है। वहां इस तरह की कोई बाढ़ भी नहीं आई जिस तरह की जनाब ने उनके बयान से बढ़कर सुनाई।

श्री अध्यक्ष---तो क्या यह वाकयात सही नहीं है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, बिलकुल सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---(श्री शारदाबख्शसिंह से) इस वाकये की निस्बत आपको भी कुछ कहना है ?

***श्री शारदाबख्शसिंह** (जिला हरदोई)---अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें स्वयं कहा है कि मैंने स्वयं इसको अपनी आंखों से देखा है। कटियारी परगने में चार छः गांवों को छोड़कर किसी भी गांव में फसल बिलकुल बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप बाढ़ के बारे में कहिये।

श्री शारदाबख्शसिंह---अध्यक्ष महोदय, वह बाढ़ के कारण ही नष्ट हुई है। जिस दिन मैंने यह प्रस्ताव दिया था उसके पहले दिन तक वहां पानी बिलकुल भरा हुआ था और सैलाब का वह पानी था और उसकी ही वजह से यहां फसल बिलकुल नहीं रह गई और काफी नुकसान हुआ है। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। आपने अपनी आंखों से देखा है और उस आधार पर आप कह रहे हैं। तो म इस निश्चित समझता हूं और आपको इजाजत देता हूं कि आप सदन की अनुमति के लिये प्रार्थना करें।

श्री शारदाबख्शसिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है:---

"उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में, विशेषकर परगना कटियारी, सांडी, व कछन्दऊ में भयंकर बाढ़ से अपार क्षति पहुंची है। २५ अगस्त से प्रारम्भ हो कर आज तक के सैलाब से धन तथा फसल की महान हानि हुई है। मैंने स्वयं वहां की पीड़ित जनता की दयनीय दशा देखी है। वहां के लोग दैनिक आवश्यकताओं के अभाव से अत्यन्त दुःखी हैं और सरकार द्वारा वहां के पीड़ित निवासियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है

इस संबंध में सरकार की असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर सैलाब के कारण फसल करीब बिलकुल नष्ट हो गई है और पिछले साल भी चूंकि फसल नष्ट हो गई थी तो उसके कारण वहां के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं का भी अभाव है। लोग पहले से ही भूखे मर रहे थे। पारसाल छूट हो गई थी लेकिन इस साल उनके पास खाने को कोई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि उनको यह आशा थी कि खरीफ से उनको कुछ मिल जायगा . . .

श्री अध्यक्ष---इतने ब्योरे की आवश्यकता नहीं है। आप विवाद न करें।

श्री शारदाबख्शसिंह---इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति मुझे दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं इसके मुताल्लिक कुछ कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें किसी को कुछ आपत्ति है।

श्री चरणसिंह—जी हां, मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—जो इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये अनुमति देने के पक्ष में हों व कृपा कर अपनी जगह पर खड़े हो जायं।

(केवल १० सदस्य खड़े हुये।)

चूंकि इस के पक्ष में संख्या १० है और यह ३६ से कम है इस कारण सदन को अनुमति इसके लिये नहीं है।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि इस सप्ताह का सदन का कार्यक्रम क्या होगा। इसको सरकार बताने की कृपा करे कि हाउस कब तक चलेगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, सदन का यह सत्र सात तारीख के बाद समाप्त हो जायगा। सात तारीख को यहां बैठने के बाद और मेरा ऐसा खयाल है कि फिर अक्तूबर के पहले हफ्ते में सदन की बैठक होगी।

श्री अध्यक्ष—म जानना चाहता हूं कि क्या सदन को प्रोरोग करने का आपका इरादा ह। सत्र की बाबत जो आपने कहा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने शायद गलत शब्द उसके लिये इस्तेमाल कर दिया है। जो शब्द उसके लिये ठीक होता हो वह आप समझें।

श्री अध्यक्ष—यानी सिटिंग एडजर्न होगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मेरा मतलब यही था। और आज से लेकर ७ तारीख तक के लिये मेरा खयाल है कि यह काम होना चाहिये :—

१—दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६।

२—उत्तर प्रनेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है।

३—उत्तर प्रदेश विक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ और फिर समय रहता है तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ उत्तर प्रदेश विक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ जो ४ तारीख को पेश होगा, उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६ और उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६।

श्री हरगोविन्द पन्त) (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक को कब तक लिये जाने की आशा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतनी निगेटिव बात मैंने कही कि सात तारीख तक नहीं लिया जायगा। इसके माने हैं कि अक्तूबर में जब हम बैठेंगे तो लिये जाने की बात होगी।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम ८३–क (५) में किये गये संशोधन

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम ८३–क के उपनियम (५) में, पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३,७४२। ३३–३६८(५)–५४, दिनांक २० जुलाई, १९५६ द्वारा किये गये संशोधनों को मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पुरस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९४–९६ पर)

दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

***न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय। यह कानून इसलिये पेश किया जा रहा है कि कुछ ऐसे कानून बने हुये हैं कि जिनमें लोगों को छोटी-छोटी सजा मिलती है और वह कानून चार हैं। एक तो पुलिस ऐक्ट है, दूसरा कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट है, तीसरा हैकनी कैरीज ऐक्ट और चौथा मोटर विहिकिल्स ऐक्ट है, ये चार ऐक्ट बने हुये हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो छोटे-छोटे अपराध होते हैं इस किस्म के अगर मुजरिम ने अपनी गुनाह को तसलीम कर लिया है तो उन पर जुरमाना हो जाता है और उसके बाद वह वहीं पर खत्म हो जाते हैं और अगर मुकदमा चलता है तो जाहिर है कि उसमें सबूत देना होता है और काफी देर लगती है। अगर बहुत ज्यादा देर लग जाय तो उन केसेज को कम्पाउन्ड करने का अख्तियार इस कानून के द्वारा लिया जा रहा है। यह कोई खतरनाक चीज नहीं है। बहुत सीधी सी चीज है। मेरे खयाल में माननीय सदस्यों को इसके बारे में किसी किस्म को आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा मैं तजवीज करूंगा कि इसके ऊपर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १–६

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१––(१) यह अधिनियम दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापे नहीं गये।

२—पुलिस ऐक्ट, १८६१, की धारा ३४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट ५, १८६१ में नयी धारा ३४—ए का बढ़ाया जाना।

"34-A. The offences punishable under sections 32 and 34 may be compounded by the District Superintendent of Police."

Compounding of offences under sections 32 and 34.

३—कैंटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ की धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट १, १८७१ में नयी धारा २४—ए का बढ़ाया जाना।

"24-A. The offences punishable under section 24 may, with the permission of the court before which any prosecution for such offence is pending be compounded—

Compounding of offences under section 24.

(*a*) Where the cattle is rescued after seizure from a pound, by the local authority owrning or maintaining the pound, or, if such local authority has nominated any person in that behalf, by such person ; and

(*b*) in other cases, by the person who was opposed in seizing the cattle or, as the case may be, from whom the cattle was rescued."

४—हैकनी कैरिजेज ऐक्ट, १८७९ ई० की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ७—ए रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट १४, १८७९ ई० में नयी धारा ७—ए का बढ़ाया जाना।

"7-A. (1) The offences punishable under section 7 of the Hackney Carriages Act, 1879, may be compounded by the Executive Officer or, where there is no Executive Officer, by the Secretary of the Municipal Board.

Compounding of offences under section 7.

(2) The expression "Executive Officer" and Secretary" in sub-section (1) mean the Executive Officer and Secretary of the Municipal Board concerned."

५—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा ११४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट ४, १९३९ ई० में नयी धारा ११४—ए का बढ़ाया जाना।

"114-A.(1) The offences punishable under sections 112 and 113 may be compounded by the Regional Transport Officer, or, where he is so authorized by the Regional Transport Officer, by the Assistant Regional Transport Officer.

Compounding of offences under sections 112, 113 and 114.

(2) The offences under section 114 may be compounded by the Transport Commissioner, or, where he is so authorized by the Transport Commissioner, by the Deputy Transport Commissioner (Administration).

(3) The expressions "Transport Commissioner" "Deputy Transport Commissioner (Administration)", "Regional Transport Officer" and "Assistant Regional Transport Officer" mean the officers appointed as such by the State Government."

ऐक्ट ५, १८९८ ई० की धारा ३४५ की कुछ उपधाराओं का लागू होना।

६--(१) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८, की धारा ३४५ की उपधारा (३), (५), (५-ए) तथा (६) के उपबन्ध परन्तु उपधारा (७) के नहीं, धारायें ३४-ए, २४-ए, ७-ए, तथा ११४-ए, जो उक्त ऐक्टों में इस अधिनियम की धारा २ से ५ तक के द्वारा क्रमशः जोड़ी गयी हैं, के अधीन प्रशमनीय अपराधों (compoundable offences) पर लागू होंगे।

(२) कोड की उक्त धारा ३४५ की उपधारा (४) के उपबन्ध भी पूर्वोक्त धारा २४-ए के खंड (बी) के अधीन प्रशमनीय अपराधों पर प्रवृत्त होंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

कुछ अपराधों के प्रशमन (composition) की व्यवस्था करने के निमित्त विधेयक

यह इष्टकर है कि पुलिस ऐक्ट, १८६१, कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१, हैकनी कैरिजेज ऐक्ट, १८७९, और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, के अधीन कुछ अपराधों के प्रशमन के निमित्त व्यवस्था की जाय तथा इन ऐक्टों को इनके उत्तर प्रदेश में लागू होने (application) के संबंध में संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

† उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, शहरों की जमींदारी के विनाश की तजवीज यहां चल रही थी। सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द यह मसला किया गया था। उसने काफी इस पर गौर किया है और उसकी रिपोर्ट आ गयी है। इस विधेयक की मुख्य मुख्य बातों पर उसने विचार किया है। इसमें खास बात यह है कि शहरी जमींदारियों में परती जमीन का सवाल था। देहाती क्षेत्र में जो परती जमीन थी उसकी कोई कीमत इस तरह से नहीं होती थी। लेकिन शहरों में परती जमीन की कीमत ज्यादा है। कहीं-कहीं तो जुतई जमीन से परती जमीन की ज्यादा क़ीमत है। इसलिये परती जमीन पर नागरिक क्षेत्रों में इसे अभी लागू नहीं किया गया है चूंकि एक तो जमीन की कीमत लगाना बड़ा मुश्किल है और हर शहर में अलग-अलग कीमत हो सकती है। एक चीज इसमें यह है कि मोटे तौर पर अभी देहाती क्षेत्रों में जो हमने मुआविजा तय किया था वह अलग स्केल का था। इसमें एक हिसाब से मुआविजा देना रखा गया है। वह जो डिटेल की बात देहाती क्षेत्र में की गई थी आठ गुने से प्रतिकर की और छोटे जमींदारों को २० गुने तक रिहैबिलीटेशन ग्रांट की, उससे खासा फर्क पड़ जाता है। इसमें कोई भेद नहीं रखा गया है। इसमें प्रतिकर देने की बात एक हिसाब से है। इसका कारण यह है कि शहरों की जमींदारियां कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। अगर बड़ी-बड़ी जमींदारी शहरों में थीं भी तो वे उस तरह से थीं कि उनकी जमींदारियां देहातों में थीं। वे खत्म हो चुकी हैं। अब शहरों की जमींदारियां बहुत बड़ी नहीं रह जाती हैं। इसलिये मुआविजे में फर्क की बात कि बड़ी जमींदारी का थोड़ा और छोटी का अधिक, यहां शहरी जमींदारियों में नहीं है। यह इसकी थोड़ी बातें मैंने बताई हैं। बाद में माननीय सदस्य जब अपनी राय जाहिर करेंगे तो माल मंत्री व्योरे से उनका उत्तर देंगे और अपनी बात बतलावेंगे।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अरसे के बाद यह नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। पहली बार जिस रूप में यह प्रस्तुत हुआ था उसे वापस कर लिया गया और पता नहीं कि उसका कारण क्या था। लेकिन फिर जो विधेयक हमारे सामने रखा गया उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया और आज हमारे सामने यह इस रूप में आया है। मुझे आशा तो यह थी कि जब हमारे प्रदेश में देहाती क्षेत्रों में जमींदारी का उन्मूलन हो चुका है तो कोई कारण नहीं है कि शहरी क्षेत्रों से वह समाप्त न की जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की ओर से अनावश्यक रीति से देरी की गई। फिर हमें आशा थी कि जो जमीनें खाली पड़ी हुई है, म्यूनिसिपल या अरबन एरियाज में, उनके संबंध में सरकार न्याय करेगी लेकिन प्रवर समिति से आने के बाद भी हमें दुख है कि उन्होंने इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया। मैं तो यही आशा करता हूं कि आज जब कि यह विधेयक हमारे सामने है, इस समय जो सुझाव दिये जायेंगे उनको सरकार मानने की कृपा करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास कोई आंकड़े ऐसे नहीं हैं कि कितनी जमीन अरबन एरियाज में परती पड़ी हुई है जिस पर मकान हैं और न उनमें खेती होती है, इसके कोई

---

† संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत विधेयक १९ अगस्त, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

[श्री तेजप्रतापसिंह]

आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं है। उन जमीनों का सरकार क्या करने जा रही है ? इस विधेयक से यह तो निश्चित है कि उस जमीन को, जो परती पड़ी हुई है, सरकार नहीं लेने जा रही है बल्कि वही जमींदारी जो वहां आज कायम है वही कायम रहेगी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा न्याय है जिसकी वजह से उस परती जमीन को सरकार लेने में हिचकिचा रही है। आखिर जब रूरल एरियाज की परती जमीन सरकार ने ले ली तो फिर क्या कारण है कि अरबन एरियाज की परती जमीन सरकार नहीं ले रही है ? और फिर उसका सदुपयोग सरकार द्वारा अच्छी प्रकार से हो सकता है। उनको लेने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है, इसका कोई कारण माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत नहीं किया और न वह प्रस्तुत कर पाते हैं।

मैं सबसे पहली यह बात स्पष्ट कराना चाहता हूं कि आखिर वह जो परती जमीन पड़ी हुई है जिनमें मकानात भी बने हुये नहीं हैं, उनको सरकार क्यों नहीं ले रही है, उन जमींदारियों को सरकार क्यों छोड़ रही है। अरबन एरिया के जमींदारों के साथ यह रिआयत क्यों बरती जा रही है ? मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो इस चीज को स्पष्ट कर देंगे और उसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे।

दूसरी बात जो हमारे सामने है वह उन जमीनों के बारे में है जो कुछ व्यक्तियों ने मकान बनाने के वास्ते ले रक्खी थी लेकिन नहीं बनाये और उन्होंने उस जमीन को खेती के लिये पट्टे पर उठा दिया था तथा वह जमीन अब खेती के काम में आ रही है। गरीब किसानों ने उसको पट्टे पर ले रक्खा था और उसमें खेती कर रहे थे। अब इस विधेयक के द्वारा वह जो पट्टेदार हैं उन जमीनों पर मकान बना सकेंगे और उस जमीन को किसानों से ले सकेंगे, उनको बेदखल करा सकेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आखिर आपने किन कारणों से ऐसी व्यवस्था कर रक्खी है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

जिन मसलों का जिक्र माननीय मित्र कर रहे हैं और जिन पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ये सब बातें कई-कई बार, जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव आया था, बहस में आ चुकी हैं और अब उन्हीं बातों को फिर से दुहराया जा रहा है। मैं नियमावली के नियम १०६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पास अंग्रेजी की कापी है--

श्री अध्यक्ष--नियम तो हैं ही अंग्रेजी में। आप उनको पढ़ सकते हैं।

श्री चरणसिंह--उसमें लिखा हुआ है--

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be, shall be put."

इस बिल के जितने सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर तीन रोज से बहस हो चुकी है....

श्री अध्यक्ष--जिस वक्त यह सिलेक्ट कमेटी में गया उस समय इस पर आम बहस हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह--बहुत तफसील के साथ बहस हो चुकी है। लिहाजा उसी बात को फिर यहां दोहराना मैं समझता हूं कि कायदे के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष---यह तो बिल्कुल नियम में ही दिया हुआ है कि अगर सिलेक्ट कमेटी के बाद कोई रिपोर्ट विधेयक के सम्बन्ध में पेश हो तो बहुत संक्षेप में उस समय उसका जिक्र हो सकता है और विशेषकर जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी में हुए हों उसी पर मा० सदस्यों को बोलना चाहिये। जो बातें विधेयक में पहले से मौजूद थीं उनके बारे में ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये, यह नियम में है।

श्री तेजप्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात है कि जब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था तो हमने इस बात पर काफी प्रकाश डाला था कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसमें संशोधन होना चाहिये और वह संशोधन नहीं हुआ। ठीक है कि रूल में जरूर कहा गया है कि हमें ज्यादा नहीं कहना चाहिये लेकिन हम अपनी राय का इजहार तो कर ही सकते हैं कि आखिर इसको हम क्यों अनुचित समझते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप आम बहस में न जाइये।

श्री तेजप्रतापसिंह---मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और फिर उसके सिद्धान्त के रूप में मेरा यह भी खयाल है कि यदि सिलेक्ट कमेटी से कोई विधेयक हमारे सामने आता है तो सदन में यह गुंजायश रहती है कि हम उसके रूप को फिर बदल सकें।

श्री अध्यक्ष---संशोधन आप पेश कर सकते हैं लेकिन आम बहस की तरफ आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह---आम बहस में न जाकर मैं उधर थोड़ा सा संकेतमात्र कर देता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह कह रहा था कि जिन लोगों ने कुछ भूमि मकान उठाने के लिये अरबन एरियाज में ले रखी थी वे मकान नहीं उठा सके और वह जमीन उन्होंने कृषि करने के लिये लोगों को पट्टे पर उठा दी। अब आप इस विधेयक द्वारा उनको और शक्ति देते हैं कि वे उन काश्तकारों को बेदखल कर सकते हैं। आखिर क्यों कर सकते हैं? आपने कहीं भी रूरल एरियाज में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है तो आप यह स्पेशल व्यवहार अरबन एरियाज में क्यों कर रहे हैं? यह अनुचित बात है। दूसरा इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिसने मकान बनाने के लिये जमीन ली और मकान नहीं बना सके, इसके माने हैं कि उनको जरूरत नहीं थी और दूसरा कारण भी हो सकता है कि उनके पास इतना धन न हो कि वे मकान बना सकें। लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं कि काश्तकारों को वे जमीनें मिली हुई हैं और उनको उससे बेदखल नहीं होना चाहिये। मैं संक्षेप में इन दो बातों को खास तौर से सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यदि माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों को मान लें तो इससे आगे चलकर बहुत सहूलियत होगी। और मैं ऐसा कोई कारण भी नहीं देखता जिससे माननीय मंत्री जी इसको न मानें। वैसे तो कुछ मत यह भी प्रकट किया गया है कि रूरल एरियाज में मुआविजे का जो सिद्धान्त माना गया है उसे यहां भी स्वीकार करना चाहिये कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास मकानात ज्यादा हैं, जिनकी जमींदारी है, उनको तो मुआविजा कम मिलना ही चाहिये। एक गरीब देश के लिये ज्यादा मुआविजा देना अनुचित ही नहीं, बल्कि उसकी शक्ति के बाहर की बात भी है। जिस तरह से आपने एक स्पेशल रूल सोलह गुना मुआविजा देने का रखा है उसी तरह से आठ गुना से लेकर बीस गुना तक जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो वही तरीका मुआविजा देने का रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ज्यादा समय न लेकर ये तीन सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि इस पर आप पूरा विचार करके संशोधन करने का कष्ट करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, नियम का पालन तो मुझे भी करना चाहिये, लेकिन मेरी एक कठिनाई है, वह मैं आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं। जिस समय यह विधेयक यहां आया और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया उस समय मैं यहां नहीं था। तो मुझे अपने विचार प्रकट करने का उस समय कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं थोड़ी सी इन्डलजेंस आपकी और सदन की चाहूंगा और संक्षेप में मैं इस सम्बन्ध में अपनी कुछ बात कहूंगा। इतना अच्छा बिल और जो प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां तक वह जाता है, अपने में वह प्रच्छा है। इसके सम्बन्ध में हमारी पहली शिकायत यह है कि इसमें बहुत देरी की गई। इसके जो उद्देश्य और कारण दिए गए हैं उनमें माननीय मंत्री जी ने इस देरी का कारण बताया है; उसमें कहा भी है कि सन् ५० का जो जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम बना था वह शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था इसलिए यह बिल लाया गया है, लेकिन इसको उसके बाद ही आना चाहिए था। वास्तव में उसको लाकर वापस लिया गया था और उसका कारण यह बताया गया था कि उसमें भूमि व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं था लेकिन अब भी जो लाया गया है वह भी न्यूनाधिक वही है जो कि पहले बिल में था। ऐसी अवस्था में इस भूमि व्यवस्था विधेयक को लाने में इतना समय नहीं लगना चाहिये था जितना कि लगाया गया है, इतना अच्छा बिल तो पहले ही आ जाना चाहिए था।

मैं माननीय माल मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आम तौर पर हम चाहते हैं कि हर विधेयक में यह बात आये कि उसके अधीन जो नियम बनें वे सदन के समक्ष अवश्य रखे जायं ताकि सदन को उनमें संशोधन करने का अवसर और अधिकार रहे। इस बिल में माननीय मंत्री महोदय ने यह प्रबन्ध कर दिया है, इस की आखिरी धारा ६ है कि "इस अधिनियम के अधीन बनाये गए समस्त नियम, बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मण्डल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।" इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं और मैं यह कह देना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने यह बिल पेश किया है, एक खास खूबी है कि वह अपने विषय का अध्ययन करने के साथ-साथ जनतांत्रिक भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं और अपने विधेयकों में उन्होंने कम से कम ऐसी व्यवस्था की है, मैं चाहता हूं कि इसका अनुकरण दूसरे विधेयकों में भी किया जाय। बाकी जो आम बात मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि इसको केवल नागर क्षेत्र की जमींदारी के विनाश तक ही सीमित रखा गया है यानी जो जमींदारी का क्षेत्र है उसकी जमींदारी विनाश की बात तो इससे पूरी हो जाती है, लेकिन शहरों की जो एक विशेष समस्या है उसकी इससे पूर्ति नहीं होती। परती जमीनों के मुताल्लिक जो दलीलें पेश की गईं, किन्हीं कारणों से उन में कठिनाई हुई उसको मैं एप्रीशिएट करता हूं और सम्भव है वह हों लेकिन मेरा कहना यह है कि उस कठिनाई को जमींदारी वनाश और कम्पनसेशन की दृष्टि से देखा गया, लेकिन शहरों में जो मकानों की समस्या है और शहरों में जो मकानों की जमींदारी है और मकानमालिकों की ओर से जो रेकरेंटिंग है जैसे कि किसानों का जमींदारों की तरफ से होता था वैसा ही शहरों में मालिक मकान किरायेदारों का करते हैं और हेनरी जोन्स ने तो इन दोनों समस्याओं को एक ही रेखा में रखा है। यदि इस विधेयक में इस समस्या का भी प्रबन्ध हो जाता और शहरों की जमींदारी-विनाश के साथ-साथ मकानों की जमींदारी का भी अधिकार ले लिया जाता तो अच्छा होता। रैक रेन्टिंग के बारे में समय की कमी की वजह से जो कुछ मैं जानता हूं आपकी कृपा से मुझे कहने का मौका मिल रहा है, इसलिये केवल अपने अनुभव से यह कह देना चाहता हूं कि मुझे यह मालूम

हैं और दूसरे सदस्यों को भी यह मालूम होगा कि मकानों के मालिक यही नहीं कि मामूली जनता का शोषण करते हों, लेकिन मकानों के मालिक स्वयं सरकार का भी शोषण करते हैं। मैंने जो निजी अनुभव की बात कही वह यह कि कुछ विधायकों को जिनको जगह नहीं मिली है विधायक निवास में उनको कुछ होटलों में जगह दी गई है। उदाहरण के लिये, मुझे ही बलिंगटन होटल में जगह दी गई है। उसमें जो कमरा मिला है मेरा अपना अनुमान है कि सरकार जो किराया दे रही है वह बहुत अधिक है और सरकार ने अपने विधायक निवास में जो कमरे बनाये हैं वह कहीं अच्छे हैं और उनका किराया ५०, ६० रुपया महीना है और वहां किराया दे रही है १२० शायद सिंगिल कमरे का और ३०० के करीब डबल रूम्स का और फिर भी उनमें उतनी सुविधा नहीं है जितनी विधायक निवास के कमरों में हैं। तो इस तरह रैक रेन्टिंग सरकार के साथ मकान मालिक कर रहे हैं। तो कल्पना की जा सकती है कि हाउसिंग शार्टेज की वजह से शहरों में जनता के साथ क्या क्या किया जाता होगा। अच्छा होता इस विधेयक में जमींदारी विनाश के साथ मकान मालिकों की जमींदारी के विनाश के लिये कोई योजना की गई होती। इन शब्दों के साथ जहां तक यह विधेयक जाता है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शारदाबख्शसिंह (जिला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात के सम्बध में कुछ अपने विचार रखने हैं। वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी में यह एक विधान दिया गया है कि अगर कोई असामी जो बनाये गये हैं उनकी बेदखली हो सकती है जो लोग मौके पर काश्त को जोते हुए हैं; उनको प्रायः अधिकार इसलिये नहीं दिया गया है, क्योंकि वह जमीन मकान बनाने के लिये पहले से पट्टे पर ली गई है। मैं समझता हूं सरकार का यह मंशा रहा है...

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--औन ए पौइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, माननीय माल मंत्री ने जो नियम पढ़ा उसको श्रीमन् देखेंगे, उसमें तीन ही किस्म के लोग बोल सकते हैं। या तो वे मेम्बर्स जो प्रस्ताव करें, या वे जो संशोधन उपस्थित करें और या जो उसका विरोध करें। जब तक माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध नहीं करते तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी सी लेटीट्यूड दे दी थी इसलिये कि इस समय अन्य कोई बोलने वाला है नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खां--आम बहस नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--हां, यह ठीक है। लेकिन वह एक दो अमेंडमेंट्स के ऊपर बोल रहे हैं जो कि सिलेक्ट कमेटी ने किये हैं।

श्री शारदाबख्शसिंह--मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं जो मैं बता रहा हूं कि इस मंशा से असामी बनाये गये हैं क्योंकि वह जमींन उसको मकान बनाने के लिये दे दी है; लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई आदमी किसी आसामी को बेदखल कराता है और वह स्वयं तीन साल के अन्दर मकान नहीं बना लेता तो उसे ५ गुना असामी को देना पड़ेगा और वह जमींन उसी की हो जायगी। तो जब यह इसमें एक प्रकार से विधान रखा गया है कि यदि कोई आदमी मकान बनाने के लिये जमींन लेता है और वह किसी असामी की खेती में है तो उसे इस बात का अवसर दिया गया है कि वह बेदखली करा के उसमें मकान बना ले। धारा १९-क (१) की उपधारा (५) इस प्रकार है :

"(५) यदि भूमिधर उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इमारत न बनवाये तो वह असामी को या असामी द्वारा (through)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाबख्शसिंह]

दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बेदखली के समय असामी द्वारा देय लगान के पांच गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा।"

जिस मंशा से यह रखा गया था इसमें मकान बनाने के लिये जो जमीन है, उसको बेदखली का इसलिये अधिकार दे दिया जाय कि शहरों में मकान अधिक बन जायं। लेकिन यदि वह इसके द्वारा बेदखल कराये और उसके बाद केवल ५ गुना देकर उस भूमि को प्राप्त कर सके तो, मैं समझता हूं, जो उद्देश्य था वहीं समाप्त हो जाता है। यदि कोई आदमी इसलिये बेदखली कराता है कि उसे मकान बनवाना है और यदि अवधि के अन्दर, तीन साल में, मकान नहीं बनवाता है तो वह असामी जो खेती करता है, मेरा खयाल है उसको जमीन वापस मिलनी चाहिये। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, गांव में जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना है उसमें जो जमीन जोतता है उसको अधिकार प्राप्त हुआ है और जमींदार को किसी प्रकार से उसे बेदखल करने का हक नहीं दिया गया है। लेकिन यह नगर के जमींदारों के साथ इस विधेयक में विशेषकर यह तरफदारी की गई है कि धोखे से वह बेदखल करा ले। पांच गुना लगान पर वह जमीन को प्राप्त कर ले। यदि वह मकान नहीं बनाता है तो यह नहीं होता कि जमीन वापस की जाय बल्कि उसे लगान का पांच गुना दे देना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से यह सुविधा दे दी गई है कि वह पांच गुना देकर जिस आदमी को चाहे उसे बेदखल करा ले। मैं समझता हूं कि इस प्रकार असामी के विरुद्ध बात और जमींदार के प्रति सहानुभूति की बात सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, जो उचित संशोधन होंगे उन्हें सरकार मान लेगी।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)––मान्यवर, जो बिल के पक्ष में माननीय मंत्री जी द्वारा उसे प्रस्तुत करते हुए भाषण दिया गया था उसे सुनकर मेरे दिल में प्रेरणा हुई कि मैं एकाध प्रश्न माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए करूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब देने खड़े होंगे तो कम से कम उसे स्पष्ट अवश्य करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने अपने वक्तव्य में उठाया है उसका प्रभाव व्यापक तौर पर सारे सूबे पर पड़ सकता है। श्रीमन्, मुआवजे के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक ही तरह का मुआवजा नागर क्षेत्रों में सब लोगों को जो छोटे या बड़े होंगे मिलेगा और उसके साथ-साथ दलील देते हुए माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि चूंकि शहरों में छोटे तरह के जमींदार ही हैं इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि सब को एक ही तरह का मुआवजा मिले। श्रीमन्, मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि जो गांवों में रहने वाले अधिकतर जमींदार आज शहरों में रहते हैं और रहना पसन्द करते हैं हो सकता है कि शहरों में उनकी छोटी जमींदारियां हों लेकिन उनकी बड़ी-बड़ी जमींदारियां उस जिले के या प्रान्त के विभिन्न गांवों में फैली हुई हैं जिसके लिए वह अभी मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें किसी भी तौर पर इसलिए कि शहर में उनकी छोटी जमींदारियां हैं उन्हें छोटा समझना उचित नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी भी इसको जानते होंगे, वह इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही साथ यह कहना कि एक ही तरह के छोटे जमींदार शहरों में हैं इसलिए यह मुआवजा एक ही तरह का देने की व्यवस्था की गई है। क्या मैं यह प्रश्न कर सकता हूं कि गांवों में भी एक ही तरह के छोटे लोगों की कुछ कैटेगरी क्यों बनाई गई थी जिस वक्त उनके मुआवजे की बात की गई थी? अगर उनकी भी कैटेगरी बनाई गई होती और यह बनाया गया होता कि चालीस रुपया, पचास रुपया या सौ रुपया पाने वालों को शहर की तरह ही एक ही तरह का मुआवजा मिलेगा, तो मैं इसको भी समझ सकता था। ऐसा नहीं किया गया था। मैं समझता हूं कि यहां गाँव और नगरों में एक बड़ा विभेद खड़ा हो गया है और मेरा, श्रीमन्, दावा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सरकार की दो आंखें हैं, गांवों के लिए कुछ और शहरों के लिए कुछ और। इसलिये कि गांवों में अनपढ़ लोग बसते हैं या जो उनको बचाने वाले लोग हैं वह उनको आसानी से धोखा दे सकते हैं इसलिए गांवों के लिए कानून अलग है और शहरों के लिए कानून अलग है।

परती की जमीन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अभी श्रीमन्, आपके द्वारा सदन में अपने विचार व्यक्त किये। गांवों में जो परती जमीन होती है वह गांव समाज की हो जाती है। उसका अधिकार गांव समाज को हो जाता है और वह उसका प्रबन्ध अपने मनोनुकूल करता है। लेकिन शहर की परती जमीन का अधिकार असामी को नहीं दिया गया है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, शंका होती है कि सरकार की आंखें दो हैं एक गरीबों के झोपड़ियों की ओर, और दूसरी शहर की बड़ी-बड़ी कोठियों की ओर। तो इस तरह से दो आंख रखने से आने वाले जमाने में इससे सरकार के लिए एक खतरा हो सकता है। जो विधेयक में संशोधन और परिवर्तन वगैरह किये गए हैं उनमें श्रीमन्, कुछ अंशों तक बहुत से ऐसे हैं जिनसे मैं सहमत भी हूं और यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक पास हो। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब इस नागर क्षेत्र जमींदारी अबालीशन को कानून बनाने की बात की घोषणा सरकार ने की, उस वक्त किसानों की बहुत सी भूमि पर, जिसे अर्से से किसान जोतते चले आ रहे थे जमींदारों ने कब्जा कर लिया और बहुत सी जमीनों पर उन्होंने घर भी बना लिया जहां कि किसानों के नाम हैं। मैंने सारे विधेयक को देखा, हो सकता है माननीय मंत्री जी मुझे समझा दें, लेकिन उन जमीनों पर किसानों का नाम है और जमींदारों ने कब्जा किया है, घर बना दिये गये हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था मंत्री जी ने की है? माननीय मंत्री जी स्पष्ट तरीके पर समझायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो विचार माननीय मंत्री जी के सामने रखे, उन पर वह विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं अवधेश प्रताप सिंह जी मौजूद नहीं हैं, इसलिए कार्यक्रम में दिया हुआ उनका संशोधन समाप्त हो गया।

***श्री चरणसिंह**--श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, यह नागर क्षेत्र जमींदारी अबालीशन बिल जैसा कि कुछ दोस्तों ने कहा है, बेशक महत्वपूर्ण है। जमींदारी अबालीशन कहीं भी हो, किसी इलाके में हो वह अपनी अहमियत रखता ही है, क्योंकि लोगों का हक, मिल्कियत लिया जा रहा है, और कुछ लोगों को राहत और सुख मिलेगा, तो अहमियत तो रखता ही है। लेकिन साथ ही हमको यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह बहुत थोड़े इलाके से सम्बन्ध रखता है। मुश्किल से डेढ़ लाख एकड़ कृषि भूमि होगी, ऐग्रिकल्चरल एरिया होगा जिस पर इसका असर पड़ेगा, जब कि हमारे सूबे में सवा चार करोड़ और साढ़े चार करोड़ के बीच में ऐग्रिकल्चरल एरिया है। प्रायः उस सारे इलाके में हम जमींदारी विनाश कर चुके हैं, सिवाय ८-१० लाख एकड़ के, जो कि कुमायूं डिवीजन में है और दो चार लाख एकड़, जो कि नैनीताल की तराई के इलाके में है। तो इस तरह से १०-१५ लाख एकड़ जमीन को छोड़ कर आज सारे सूबे में, लाखों गांवों में हम जमींदारी अबालीशन कर चुके हैं और उसमें केवल अब डेढ़ लाख एकड़ जमीन मैदानी इलाके में ऐसी है जो बच गयी थी, जिसमें हम करने जा रहे हैं। तो यह जो शिकायत माननीय पालीवाल जी ने और माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने की कि साहब, देर हो गयी, तो देर तो हो गयी, लेकिन देर लफ्ज तो निस्बती है, आपेक्षिक है, रिलेटिव है। मैं देर में लाया हूं लेकिन इससे भी बहुत से काम महत्वपूर्ण थे, वह बराबर किये जा रहे थे और गवर्नमेंट खाली और निकम्मी तो बैठी नहीं थी। जमींदारी अबालीशन का कानून बना

---

* स्वता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

देना असान होता है, लेकिन उसको इम्पलीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी बड़ी स्टेट में जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लैण्ड टैन्योर थे वहा जमींदारी अबालोशन कर देना, कम्पेन्सशन देने की पूरी व्यवस्था कर देना--६८ करोड़ कुल कम्पेन्सेशन होता है उसमें से ४० करोड़ के बांड्स का इंडेंटिंग हो जाना और गांव-गांव में गांव समाज कायम करना, उसमें डेमोक्रेटिक लैण्ड, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, पटवारियों के संगठन को रिआर्गेनाइज करना और लैण्ड रेकर्ड्स को ठीक कराना और कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स करना, ये इतने काम थ जिनसे मुकमे माल को पलक मारने की फुर्सत नहीं थी। काम यह भी बड़ा है, लेकिन अगर हम उसको रिलेटिवली देखें कि कितने लोगों को एफेक्ट करता है. तो काम बड़ा होते हुए भी दूसरे मानों में बहुत छोटा है। इसलिये इसको देर कहा जाय या यह कहा जाय कि अवकाश नहीं मिला, इसमें इतना समय लगा।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन को मालूम है कि एक बार यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया था जब नई विधान सभा ने काम करना शुरू किया था, कांस्टीट्यूशनली जरूरत थी इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की तो वह भेजा गया। उसमें नुक्स दिखाई दिये तो फिर तीसरी बार भेजा गया और फिर जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि कोई रिलायएबिल आंकड़े, जैसे कि हमारे देहाती इलाके में हैं, शहरों में नहीं है। इसलिये हमको आंकड़े इकट्ठा करने में काफी देर लगी।

दूसरी बात कही गई वह यह कि गैर मजरुआ जमीन नहीं ली जा रही है। उसी पर मैंने ऐतराज किया था कि इस पर पूरी बहस हो चुकी है जो श्री तेजप्रताप सिंह जी उठा रहे हैं। इसका मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन उस समय पालीवाल जी नहीं थे, इसलिये उनकी इत्तिला के लिये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मंशा थी कि अनकल्टीवेटेड लैंड लिये जायं और हमने जो बिल ड्राफ्ट किया था तो उस समय हमारे यहां यह फैसला हुआ कि यह जमीन ली जाय। लेकिन इसके बाद हमारे कुछ विशेषज्ञों की एक कमेटी ने जिसमें ३/४ शहरी इलाके के विधान सभा के सदस्य थे, मश्विरा दिया कि हम अनकल्टीवेटेड लैंड नहीं ले सकते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टीकल कठिनाइयां थीं और सब से बड़ी कठिनाई यह थी कि सर्वे की जरूरत थी और गैर मजरुआ जमीन जैसे देहातों में कम कीमत की होती है उस तरह से शहरों में नहीं होती है। शहरों में तो गैर मजरुआ जमीन की कीमत ही बहुत ज्यदा होती है। उनके एदादो शुमार इकटठा किये गये थे तो औसत कीमत अनकल्टीवेटेड लैण्ड की ४० हजार रुपये फी एकड़ है, बड़ी कीमती जमीन थी इसलिये उसके पूरे आंकड़े हमारे पास होने चाहिये थे। वैसे नियम ऐसा है कि जो आबादी लायक जमीन होती है उस पर मालगुजारी नहीं लगाते हैं। जब सेटिलमेंट हुआ तो उस समय भी सही-सही आंकड़े तैयार नहीं किये गये। मैं करेक्शन मैनुअल भी पढ़ कर सुना चुका हूं और अगर हम जमीन लेना चाहते हैं तो हमारे पास मैटीरियली करेक्ट आंकड़े होने चाहिये। इस तरह से सर्वे करने का ज्ञान, इस तरह की ट्रेनिंग और तजुर्बा हमारे राज्य कर्मचारियों को नहीं है। हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे विभाग से सर्वे करानी पड़ती और उनके पास इतना स्टाफ नहीं था। वह ट्रेनिंग देते, बहुत बड़ा स्टाफ लगाते, समय भी लगता और इसके अलावा खर्च भी बहुत पड़ता। एक एकड़ जमीन के सर्वे का खर्च २५० रुपये पड़ता, श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी कठिनाई हमारे सामने थी।

दूसरी कठिनाई कम्पेन्सेशन की थी। यह ठीक है कि कांस्टीटचूशन में अमेंडमेंट हुआ है। उसमें अदालतों को अखतियार नहीं है कि वह कंपेन्सेशन तय करें, उसमें वह फैसला दें कि यह ऐडीकेट है या नहीं, मुनासिब है या नहीं, यह विधान सभा को अधिकार हासिल

है। इसके साथ ही साथ यह भी है कि गो हमें अधिकार है कम्पेन्सेशन तय कर लेने का, लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कुछ न कुछ कम्पेन्सेशन तो दिया जाय, क्योंकि जहां जमीन की ४० हजार रुपये फी एकड़ कीमत है, वहां पर कम्पेन्सेशन कम से कम एक हजार रुपया तो हो। इस तरह से रकम बहुत बड़ी हो जाती है और रकबा बहुत थोड़ा है। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो १५ मार्च को पार्लियामेंट में तकरीर की थी उस समय उन्होंने कहा था...

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है। (माल मंत्री से) आप बैठिये।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई)

श्री अध्यक्ष--अगर एक आध दफा और घंटी बजानी पड़ी गणपूर्ति के लिये तो अबकी बार तो सदन को स्थगित कर दूंगा क्योंकि मैंने उस रोज कह दिया था कि गणपूर्ति होनी चाहिये और अब भी यदि नहीं होगी तो मुझे कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में उस अमेंडमेंट पर तकरीर करते हुये यह फरमाया था कि कम्पेन्सेशन न देने से ऐसे मौके आ सकते हैं। तो इसलिये मजबूरी थी अनकल्टीवेटेड लैंड न लेने में।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में कहें तो यह गणपूर्ति का झगड़ा बार-बार न उठ खड़ा हो।

श्री चरणसिंह--जी हां, मैं संक्षेप में ही कहूंगा क्योंकि घंटी का अर्थ मैं भी यही समझा हूं।

तीसरी बात माननीय तेज प्रतापसिंह जी ने कही कि जिन लोगों ने मकानों के बनाने के लिये पट्टे लिये हैं अगर अपनी जमीन वह किसी आसामी को उठा देता है तो उस में बेदखली नहीं होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वह बेदखली न होती तो बड़ा भारी अन्याय होता। पट्टा जिसने इमारत बनाने के लिये किसी जमीन का लिया है अगर वह नहीं बना सकता है तो बिल्डिंग मैटीरियल्स की वजह से आम तौर पर नहीं बना सकता है लेकिन उसने जमीन खेती के लिये तो लिया नहीं है मकान बनाने के लिये लिया है। इसके अलावा मकान बनाने के लिये कोई दस पांच एकड़ जमीन तो लेता नहीं है, हजार दो हजार गज लेता है। अब ऐसी जमीन अगर खाली पड़ी है और उस ने खेती के लिये उठा दिया और कहा कि उसकी बेदखली नहीं हो सकती तो यह अन्याय होगा। ऐसी बेदखली की बात रखना ही न्याय पूर्ण है।

चौथा, कम्पेन्सेशन फ्लैट रेट पर नहीं होना चाहिये। हम ने जो गुणक इस में रखा है वह १६ है। नेट असेट का १६ मल्टीपिल है। वह इसलिये रखा है कि यहां छोटे-छोटे जमींदार हैं और बहुत मुश्किल से मालियत की औसत २ रु० पड़ती है। बहुत छोटे-छोटे जमींदार हैं। हमने देहात में अलग-अलग मल्टीपिल रखा है। देहातों में लाखों-लाखों रुपया मालगुजारी देने वाले जमींदार थे। १६,१६ और २५,२५ लाख तक की जिनकी जमाबन्दी थी तो हमने उन का रखा ८ गुना, उनकी वाकई आमदनी का और जो छोटे जमींदार थे ५० रु० या २५ रु० वाले उन के लिये हमने २८ गुना तक रखा है यानी वहां पर कुल ८ गुने से २८ गुने तक गुणक था लेकिन यहां पर इस तरह का डिफरेंस नहीं है सभी छोटे जमींदार हैं। तो हमने एक फ्लैट गुणक बना दिया और उस में ग्रेडेड स्केल रखना एक बड़ी भारी गलती भी होती। इसलिये हमने एक एडहाक गुणक रख दिया है। यों तो १८ गुना भी रखते तो भी नाजायज नहीं होता।

[श्री चरणसिंह]

एक बात माननीय पालीवाल जी ने कही कि जो मकान किराये पर उठाये जा रहे हैं उन के मुताल्लिक इस में कुछ नहीं है । तो अध्यक्ष महोदय, वह इस की परिधि से बाहर है । मकान जो किराये पर उठाये जा रहे हैं उसकी जमींदारी खत्म करने का मतलब नहीं है । मकानों की मिल्कियत छीन लेने के लिये अगर किसी ने अपना मकान किराये पर दे दिया इसके लिये कोई स्कीम और माननीय पालीवाल जी के पास हो तो जब परमात्मा उनको मौका दे इस तरह के बिल पेश करने और उसे पास कराने का तब यह सदन उस वक्त विचार कर लेगा ।

श्री अध्यक्ष---असरकारी बिल भी तो लाया जा सकता है ।

श्री चरणसिंह---अब तो माननीय पालीवाल जी इसके विरोध में यह फरमा रहे हैं शायद उनके उपर जिम्मेदारी हो तो मकानों की जमींदारी इस प्रकार बहुत जल्दी इतने सरल तरीके से खत्म की जा सकती है इस तरह की बात वह खुद उस वक्त न सोचेंगे ।

तो इसलिये यह पांच चार बातें कही गई थीं और उनका जवाब मैंने दे दिया और जैसा कि मैंने अर्ज किया इस के उसूलों पर बहस नहीं हो सकती और न कोई खास बात कही भी गई है, न इस में लम्बी तकरीरों की जरुरत है । पहले ही बहुत विचार हो चुका है, सेलेक्ट कमेटी में विचार हो चुका है और ज्यादा की जरूरत भी नहीं है । इस में कोई अमेंडमेंट भी इसी लिये नहीं है और इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इसको विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १---४३

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ कहलाएगा ।

"इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो:---

(क) अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य क्षेत्र (territory) की दशा में ३० जून, १९५४ को किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट के वहां प्रवृत्त विधि के अधीन, अन्तर्गत थे और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १९४९ का, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे ।"

(२) इस प्रकार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी होगा किन्तु वहां इसका प्रभाव ऐसे अपवादों (exceptions) अथवा परिष्कारों (modifications) के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे और जिनसे कोई तात्विक अन्तर न पड़ता हो (not affecting substance) ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे दिनांक पर और ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के साथ प्रचलित होगा जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गजट में

विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांकों और भिन्न-भिन्न अपवादों अथवा परिष्कारों की व्यवस्था की जा सकती है ।

२—विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात परिभाषाएं। प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:—

(१) "कृषि क्षेत्र" का तात्पर्य, जहां तक इसका सम्बन्ध किसी नागर क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से है जो उस दिनांक को जिसे राज्य सरकार उस सम्बन्ध में विज्ञापित करे—

(क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग के रूप में उसके कब्जे में हों, उसके पास हो (held by him) अथवा उसके पास समझा जाता हो;

(ख) जो अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) के पास बाग के रूप में अथवा उसकी निजी खेती (personal cultivation) में हो ; अथवा

(ग) निम्नलिखित के खाते (holding) में सम्मिलित हो और उसके खातेदार द्वारा कृषि अथवा उद्यानकरण (agriculture or horticulture) के प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होता हो—

(१) शरहमुअय्यन काश्तकार (fixed-rate tenant),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant),

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on Special terms in Avadh),

(५) माफीदार (rent free grantee),

(६) रियायती लगान का काश्तकार (grantee at a favourable rate of rent),

(७) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant),

(८) बागदार (grove-holder), अथवा

(९) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार (Sub-tenant) हो; अथवा

(१०) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (३) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि का गैर-दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant) ।

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि वह भूमि, जिस पर उपर्युक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ में पारिभाषित (improvement) 'उन्नति) न हों, तथा ऐसी इमारतों से संबद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र (agricultural area) नहीं मानी जायगी ।

"(घ) इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये १ जुलाई, १९५५ के पूर्व यथावत् निष्पादित (duly made) लिखित पट्टे पर हो, किन्तु उस पर काबिज व्यक्ति (holder) या ऐसा अन्य व्यक्ति जो उस व्यक्ति के आधार पर स्वत्व रखने का दावा करता हो, उसको कृषि के प्रयोजनों के लिये काम में लाता हो।"

(ङ) अध्यासी के पास हो अथवा उसके द्वारा अध्यासित।

"स्पष्टीकरण--ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो किसी काश्तकार के खाते का भाग हो, केवल इस कारण से कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले के ७ वर्षों में फसलें अथवा अन्य कृषि-उपज उत्पन्न करने के लिये काम में नहीं लाया गया है, यह नहीं समझा जायगा कि वह कृषि-क्षेत्र (Agricultural area) नहीं रहा है।"

(२) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) का है,

(३) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त से है,

(४) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है;

(५) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो 'decree' का कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में है;

(६) "परिच्छेद अधिकारी" का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त किये गये परिच्छेद अधिकारी से है।

(७) "मध्यवर्ती (intermediary)" का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि-क्षेत्र से हो, निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत उपमध्यवर्ती (sub-intermediary) भी है--

(क) स्वामी (proprietor),

(ख) मातहतदार (under-proprietor),

(ग) अदना मालिक (sub-proprietor),

(घ) ठेकेदार,

(ङ) अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh), तथा

(च) किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग का दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder),

ऐक्ट ५, १९०८।

(८) "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) का वही अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" का है,

"(८ क) 'अध्यासी" (occupier) का तात्पर्य किसी कृषि क्षेत्र के प्रसंग में, ऐसी भूमि के मध्यवर्ती, पट्टेदार, शिकमी पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार (Grantee) बागदार, शिकमी, काश्तकार, या भोग बंधक (Mortgagee in possession) से भिन्न व्यक्ति से है जो १ जुलाई, १९५४ से या उससे पूर्व, ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के कृषि संबंधी कब्जे (Cultivatary possession) में हो।

(९) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) "पूर्व कृषि वर्ष (previous agricultural year)" का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) "स्वामी" (proprietor) का तात्पर्य, जब उसका संबंध किसी कृषि क्षेत्र से हो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी (Central Government, State Government or Local authority) से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जो न्यासी के रूप में (in trust) या अपने ही लाभ के लिए किसी कृषि-क्षेत्र का स्वामित्व रखता हो और उसके अन्तर्गत स्वामी के दायाधिकारी (heirs) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (successors in interest) से भी है,

(१२) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१३) "उप-मध्यवर्ती" (sub-intermediary) का तात्पर्य किसी ऐसे शिकमी काश्तकार के क्षेत्रपति (land holder) से है, जो निम्नलिखित से भिन्न हो:—

(१) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार,

(२) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार, और

(३) यू० पी० टेनेन्सी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की।

(१४) "नागर-क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो—

(क) अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों की कला में ३० जून, १९५५ को, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट के, जहां प्रवृत्त विधि के अधीन थे, और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटीज या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेंट के अथवा यूनाइटेड प्रॉविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।"

(१५) "शब्दों और पदों" (words and expressions) "अबवाब", "साकितुलमिल्कियत काश्तकार," "बाग", "बागदार", "शरह मुअय्यन काश्तकार", "मौरूसी काश्तकार", "खाता", "खुदकाश्त", "क्षेत्रपति", "गैर दखीलकार काश्तकार", "दखीलकार काश्तकार" या "अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी", "दवामी काश्तकार" "लगान" "माफीदार", "सायर", "सीर", "शिकमी काश्तकार", "काश्तकार" और "ठेकेदार" के जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में हुआ है, वही अर्थ होंगे जो उक्त टेनेन्सी ऐक्ट में क्रमशः—

"cess", ex-proprietory tenant", "grove", "grove-holder", "fixed rate tenant", "hereditary tenant", "holding", khudkast", "landholder", "non-occupancy tenant", "occupancy tenant", Permanent lessee in Avadh", permanent tenure holder", "rent", "rent free grantee", "sayar", sir", Sub-tenant" "tenant", और "thekedar के हैं,

(१६) शब्द और पद (words and expressions) "परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर", [माल]"बोर्ड", "कलेक्टर", "अवयस्क", "माल गुजारी", "अदना मालिक" और "मातहतदार" के, जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में हुआ है, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में, क्रमशः Assistant Collector incharge sub-division" "Board of Revenue", "Collector","minor","revenue","sub-proprietor" तथा "under proprietor" के हैं ।

कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार ।

३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नागर-क्षेत्रों में मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) अर्जन (acquisition) करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे सकती है कि ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद किया जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर- क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा ।

प्रारम्भिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा उन पर आपत्तियां ।

४—(१) परिच्छेद अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन माह अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार किसी मामले में निश्चित करे, कारण बतलाते हुए अपने प्रस्तावों को परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner) के पास प्रस्तुत करेगा जो उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत आकार में, नोटिस गजट में, तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय की प्रकाशित करायेगा कि प्रस्ताव जहां तक कि उसका सम्बन्ध कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद से है, सूत्रित (formulated) हो चुके हैं और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं ।

(३) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी (local authority) उपधारा (२) के अधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

अन्तिम परिच्छेद (final demarcation)

५—(१) धारा ४ की उपधारा (३) में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत रीति से आपत्तियों के निर्णय करने की कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् कृषि-क्षेत्र का अंतिम रूप से परिच्छेद करेगा।

(२) परिच्छेद आयुक्त द्वारा उपधारा (१) के अधीन कृषि-क्षेत्र के अंतिम परिच्छेद हो जाने के पश्चात् वह गजट में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करायेगा कि कृषि क्षेत्रों का अन्तिम रूप से परिच्छेद हो गया है तथा उसके ब्योरे (details) नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(३) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन परिच्छेद आयुक्त द्वारा पारित आज्ञा के विरुद्ध बोर्ड (Board) में अपील हो सकेगी।

"५-क—कृषि क्षेत्रों में परिच्छेद संबंधी प्रस्तावों में अथवा अन्ततः परिच्छिन्न (final demarcated) कृषि क्षेत्रों के ब्योरों में अथवा धारा ३, ४ अथवा ५ के अधीन किसी आज्ञा या कार्यवाही में लेख अथवा गणना की अशुद्धियां अथवा ऐसी अशुद्धियां, जो उनमें संयोग वश किसी भूल के कारण हो गई हों, परिच्छेद अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा, जैसी भी दशा हो, स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ठीक की जा सकती है।"

"६—यदि राज्य सरकार परिच्छेद (demarcation) के प्रयोजन के लिये किसी नागर-क्षेत्र के संबंध में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह यह आज्ञा देगी कि उक्त क्षेत्र के संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार अथवा पुनरीक्षित (revised) किया जाय और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अनुसार जहां तक हो सकेगा वैसा ही किया जायगा।"

कृषि क्षेत्रों का राज्य में निहित होना।

७—धारा ५ के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात, किसी भी समय राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से नागर क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र राज्य में निहित हो जायंगे (shall vest in the state) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरम्भ से [जिसे आगे निहित होने का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा] ऐसे समस्त कृषि-क्षेत्र राज्य को हस्तान्तरित (transfer) होकर, उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है सब भारों से मुक्त (free from all encumbrances) हो, उसमें निहित हो जायंगे।

विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथाविधि प्रकाशन हो गया है।

निहित होने के परिणाम।

९—किसी कृषि क्षेत्र के संबंध में धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने पर किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु इस अधिनियम में

किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) निहित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र के संबंध में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्—

(क) खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हों तो उनके सहित ऐसे क्षेत्र में तथा अधोभूमि (Sub-soil) में सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जावेंगे और समस्त भारों से मुक्त होकर वे राज्य में निहित हो जायेंगे,

(ख) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें अथवा ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार के या में, अथवा मध्यवर्ती के पक्ष में उसकी मालगुजारी के, समस्त अनुदान तथा आगम-प्रदान (confermation of title) चाहे वे वापस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायेंगे,

(ग) (१) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबंधित ऐसे सभी लगान, अबवाब, स्थानिक कर (local rates) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के पश्चात् किसी भी कालावधि के लिये हों, और जो क्षेत्र अर्जित न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे, और उसको देय होंगे न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड का उल्लंघन करते हुये कोई भुगतान किया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त होगा।

(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि का कोई लगान, अबवाब या स्थानिक कर मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो, तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा।

(घ) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबद्ध ऐसी सभी मालगुजारी (revenue) अबवाब अथवा अन्य देयों की समस्त बकाया, जो मध्यवर्ती से, निहित होने के दिनांक से पहले की किसी अवधि के लिये प्राप्त हों, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य बने रहेंगे और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकेगी,

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४।

(ङ) ऐसी सब धनराशियां जिन्हें राज्य सरकार को देने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ और २८ के अधीन किसी मध्यवर्ती को आज्ञा हुयी हो या लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ अथवा एग्रीकल्चरिस्ट्स

लोन्स ऐक्ट, १८८४ के अधीन उसे प्राप्य हों, उपर्युक्त अधिनियमों में किसी बातके होते हुये भी, तुरन्त देय हो जायेंगी और, यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग निर्दिष्ट हो तो उसे बाधित न करते हुये, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल की जा सकेगी,

(च) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या मा.ल (civil or revenue) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक के पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी (shall cease to have force),

(छ) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार अर्जित क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुये उस धनराशि के लिये जो उस पर सुरक्षित हो, दृष्टि बंधक में (simple mortgage) परिवर्तित (substituted) समझा जायगा,

(२) बंधक–पत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के रहते हुये भी, उपखंड (१) के अनुसार परिवर्तित (substituted) दृष्टिबंधक के संबंध में प्रख्यापित देय धनराशि पर ब्याज ऐसी दर और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय,

(ज) किसी ऐसे रुपये के लिये जो इस प्रकार अर्जित किसी ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के बंधक से सुरक्षित (secured) अथवा उस पर भार–रूप (charged) हो, कोई दावा दायित्व जो निहित होने के दिनांक से पहले मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की गयी है, क्षेत्र में उसके स्वत्व (interest) के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable), ऐक्ट ४, १८८२

(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार (nature) के ऐसे सब वाद (suits) और कार्यवाहियां (proceedings) जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन (pending) हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में हुयी डिग्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखने वाली सब कार्यवाहियां, स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed), तथा

(ञ) प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की आयति तक (to the extent of) प्रभावशील नहीं रहेगा ।

"(ट) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर विद्यमान सभी महाल तथा अन्य उप-विभाग (sub-divisions) और मालगुजारी या लगान की अदायगी के लिये किसी मालिक (proprietor), मातहतदार (under-proprietor) अथवा अदना मालिक (sub-proprietor), हिस्सेदार (co-sharer) या लम्बरदार द्वारा इसी नाते किये गये सब संकेत (engagements) समाप्त और निष्प्रभाव हो जायेंगे ।"

कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद ।

१०—इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा—

(क) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार अर्जित किसी कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो तत्समय प्रचलित (for the time being in force) विधि द्वारा नियमित होगा,

(ख) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, अबवाब, सायर या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार जो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा वाद ऋणी (judgement debtor) की उसके खाते से बेदखली द्वारा अथवा उसके खाते की बिक्री द्वारा निष्पादित नहीं की जायगी :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मध्यवर्ती लगान, स्थानिक कर (local rates), सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियों (dues) का देनदार है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस मध्यवर्ती का उस क्षेत्र में स्वत्व (intrest) अर्जित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय है, तो लगान, स्थानिक कर, सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियां, प्राप्तिकर्त्ता द्वारा वसूली के अन्य साधनों को बाधित न करते हुये, मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये अथवा चुकाये जा सकते हैं ।

खान और खनिज पदार्थ ।

११—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ६ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्र में खानों और खनिज पदार्थों (mines and minerals) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अर्जित आस्थानों (estates) की खानों और खनिज पदार्थों में लागू होते हैं ।

भरण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त ।

१२—यदि किसी कृषि क्षेत्र के सीरदार या खुदकाश्तकार ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण (maintenance) के लिये दे रक्खी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का असामी समझा जायगा और उसको वह भूमि उस अवधि तक रखने का अधिकार होगा जब तक कि उसको भरण-पोषण पाने का अधिकार रहे ।

नोट—खंड १३ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया ।

आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों ।

१४--(१) इस धारा की उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि-क्षेत्र की भूमि के ठेकेदार को, निहित होने के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि की ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायगा ।

(२) जहां निहित होने पर के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी कोई भूमि ठेकेदार की निज जोत में रही हो, उस दशा में--

(क) यदि वह भूमि ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने के दिनांक से ठेकेदार उसका असामी हो जायगा और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा;

(ख) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(१) तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि ठेकेदार के पास मौरूसी काश्तकार के नाते ऐसे लगान पर रही है, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो ;

"उसका क्षेत्रफल जिसके अन्तर्गत ऐसा कृषि-क्षेत्र भी है जिस पर या तो वह स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हो, १२॥ एकड़ से अधिक नहीं है ।"

(२) धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के नाते रही है और शेष खाली भूमि समझी जायगी और ठेकेदार अध्याय ७ के उपबन्धों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा ।

"उसका क्षेत्रफल जिसके अन्तर्गत ऐसा कृषि--क्षेत्र भी है जिस पर या तो वह स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हो, १२॥ एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसके पास १२॥ एकड़ भूमि"

"स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के परिवार में, यदि उसके सदस्य संयुक्त रूप से रहते हों, स्वयं वह व्यक्ति, उसकी अवयस्क संतान, यथास्थिति उसकी पत्नी अथवा उसका पति और यदि वह व्यक्ति स्वयं अवयस्क हो तो उसका पिता तथा माता होंगे ।"

भोगबंधकी के कब्जे का आस्थान।

१५—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषिक्षेत्र या उसके अंश (share) के किसी भोगबंधकी (mortgagee with possession) को, निहित होने के दिनांक से, उस क्षेत्र की किसी भूमि को भोगबन्धकी के नाते अपने पास या कब्जे में रख सकने का अधिकार नहीं रह जायगा।

(२) जहां ऐसी कोई भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर बंधकी (mortgagee) की निज जोत में रही हो, उस दशा में—

(क) यदि उक्त भूमिबंधक (mortgage) के दिनांक पर बन्धककर्ता की सीर या खुदकाश्त थी तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह बन्धककर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि (legal representative) की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बन्धक के दिनांक पर वह बन्धककर्ता (mortgagor) की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर जो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर से लगाये गये लगान का पांचगुना हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास पूर्वोक्त दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काश्तकार के नाते थी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकी दिये गये समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो ऐसी भूमि में उसके सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि खाली भूमि समझी जायगी तथा अध्याय ७ के अधीन कलेक्टर द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर बन्धकी इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण—(१) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भोगबन्धकी के अन्तर्गत उसके भोगबन्धक सम्बन्धी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

स्पष्टीकरण—(२) जब कोई भूमि भोगबन्धक हो और बंधककर्ता उसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि का द्वितीय अथवा पर्वती (subsequent) बंधक कर देता है, तब "पद बंधक का दिनांक पर (on the date of the mortgage)" का तात्पर्य बंधक के उस दिनांक से होगा जिसके अनुसार बंधककर्ता ने सर्वप्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित (transferred) किया हो।

ऐसी सीर, खुदकाश्त इत्यादि का परिच्छेद जो संयुक्त रूप से कब्जे में हो।

१६—(१) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्ती के पास, अन्य व्यक्तियों के साथ, उसके संयुक्त स्वामित्व वाली कोई भूमि, संबद्ध क्षेत्र में उसके आनुपातिक अंश से अधिक (अंश में) उसकी निज जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग (काश्तकार के पास की भूमि से भिन्न) के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत प्राधिकारी (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा।

(२) (क)—धारा १७ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि जिसका इस प्रकार-परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उस के पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये उसके पास साक्तितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant) की भूमि के रूप में रही समझी जायगी और उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू साक्तितुलमिल्कियत काश्तकारों के दर से लगान देना होगा ।

मध्यवर्ती या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते कुछ भूमियों का बन्दोबस्त किया जाना ।

१७--(१) धारा १६ और १८ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये--

(क) किसी कृषि क्षेत्र की ऐसी सब भूमि, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर--

(१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(२) अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के पास बाग के रूप में या निज जोत में हो,

(३) शरहमुयन काश्तकार के पास शरहमुयन काश्तकार होने के नाते या माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(४) खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी--

(१) दखीलदार काश्तकार,

(२) मौरूसी काश्तकार, या

(३) काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास,

अथवा

(ख) किसी कृषि क्षेत्र में ऐसी समस्त भूमि, जो उस पर भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ १ जुलाई, १९५५ के पूर्व विधिवत् निष्पादित पट्टे पर थी ,

(१) बागदार (groveholder) के पास हो, और सरकार के विषय में यह समझा जायगा कि राज्य द्वारा ऐसे मध्यवर्ती पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार अथवा बागदार जैसी भी दशा हो, के साथ उसका बंदोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।

स्पष्टीकरण--खंड (१) में "सीर" के अन्तर्गत काश्तकार के पास की सीर नहीं है,

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जो १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का हो और जिसे किसी खाते या उसके किसी अंश के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि उक्त प्रख्यापन बाद को निरस्त (set aside) न हो जावे, यह समझा जायगा कि वह उस खाते या बाग का, जैसी भी दशा हो, भूमिधर है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा ६ के अधीन अधिकारों के कथित (purported) प्रयोग के अधीन किये गये

प्रख्यापन का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट,) उस क्षेत्र में प्रवर्त्त (applicable) था जहां वह भूमि जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया था, स्थित है।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बन्दोबस्त।

१८—(१) धारा १९ का उपबन्धों को बाधित न करते हुये किसी कृषि-क्षेत्र में ऐसी सब भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाय, केवल उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में की गयी है यह समझा जायगा कि उसका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में ले ले या रखे :

(१) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh);

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant);

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant);

(४) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant);

(५) काश्तकार रियायती लगान (grantee at favourable rate of rent);

(६) यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में (tea estates) के नाम से विज्ञप्ति वाय आस्थानों का गैर दखीलकार काश्तकार,

(७) यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो :

(क) सीर का काश्तकार, अथवा

(ख) बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant) जो यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

जब तक धारा १९ के खंड (ज) के अधीन असामी न हो जाय तब तक वह सीरदार की हैसियत से कब्जा पाने और बनाये रखने का अधिकारी होगा तथा यह समझा जायगा कि उसके साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है।

गैरदखीलकार काश्तकारों, बाग भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बंधकियों का असामी होना।

१९—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, उस भूमि का असामी समझा जायगा :

(क) किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि (grove land) का गैर दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),

(ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ग) यूनाइटेट प्रार्विसेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९३७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबंधात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार,

(घ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (२) से (६) तक तथा धारा १८ के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का वास्तविक भोगबन्धकी (mortgagee in actual possession),

(ङ) पशुचर भूमि (pasture land) का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का जो नदी के तल (bed of a river) में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो, गैर दखीलकार काश्तकार,

(च) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गयी है,

(छ) ऐसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह स्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है,

(ज) सीर का काश्तकार अथवा धारा १८ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार यदि सीरदार (sir-holder) अथवा क्षेत्रपति (land-holder) जैसी भी दशा हो, अथवा यदि एक से अधिक सीरदार अथवा क्षेत्रपति हों तो वे सब--

(१) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० से पूर्व उठायी गयी हो अथवा कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने या कब्जा किये जाने के दिनांक पर, जैसी भी दशा हो, तथा २० जनवरी १९५० को, और

(२) यदि भूमि २० जनवरी १९५० के पश्चात् उठायी गयी हो या कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने अथवा कब्जा किये जाने के दिनांक पर

ऐसे अनुकूलों (adaptations), परिष्कारों (modifications) परिवर्तनों (alterations) अथवा अपवादों (exceptions) के अधीन, जो अध्याय ७--के अधीन निर्दिष्ट किये जायं, १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और

(झ) य० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अधीन न्यायालय द्वारा किये गये पट्टे के अन्तर्गत काबिज पट्टेदार, और

(ञ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट पट्टे की भूमि रखने वाले किसी व्यक्ति का शिकमी पट्टेदार (sub-lessee)।

स्पष्टीकरण —"टौंगिया रीति से वन लगाने" का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति (system of afforestation) से है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जाय जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय ।

ऐसी भूमि के, जो इमारत बनवाने के प्रयोजनों के लिये कब्जे में हो, शिकमी पट्टेदारी की बेदखली ।

"१९-क--(१) धारा ६० के उपबन्धों या उसके अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमि का भूमिधर, निहित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, धारा १९ के खंड (ञ) में उल्लिखित वर्ग के असामी की बेदखली के लिये इस आधार पर कि वह उस भूमि को, जो असामी के कब्जे में है, इमारत बनाने के काम में लाना चाहता है परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र नियमानुसार दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर का ऐसी जांच के पश्चात् जो नियत की जाय, यह समाधान हो जाय कि प्रार्थी भूमि को इमारत बनाने के काम में लाना चाहता है तो वह ऐसी भूमि से असामी की बेदखली के लिये आज्ञा दे सकता है ।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन असामी उक्त भूमि से बेदखल किया गया हो तो भूमिधर बेदखली की आज्ञा के दिनांक से तीन वर्षों के भीतर उस भूमि पर इमारत बनायेगा ।

(४) यदि भूमिधर उपधारा (१) के अधीन बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करे या यदि ऐसे प्रार्थना-पत्र पर दी गयी बेदखली की आज्ञा तत्सम्बन्धी कालावधि के भीतर निष्पादित न की जाय, तो असामी उस भूमि का सीरदार हो जायगा और भूमिधर के अधिकार आगम और स्वत्व के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे धारा ९ के अधीन उसी प्रकार उपार्जित कर लिये गये हैं मानों निहित होने के दिनांक पर उक्त भूमिधर मध्यवर्ती था ।

(५) यदि भूमिधर उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इमारत न बनवाये तो वह असामी को या असामी द्वारा (through) दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बेदखली के समय असामी द्वारा देय लगान के पांच गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा ।

(६) उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपील कमिश्नर को की जा सकेगी ।"

१ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुये लगान-परिवर्तन का मान्य न होना ।

२०—यद्यपि इस अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके पश्चात् किसी मध्यवर्ती या काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा (contract) किया गया हो या कोई बात की गयी या होने दी गयी हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान की धनराशि के बराबर समझा जायगा, जिसका यह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी (predecessor-in-title) उस दिनांक पर देनदार

रहा हो और यदि उक्त दिनांक के पश्चात् किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से उसमें कोई कमी या छट की गयी हो तो उस पर विचार नहीं किया जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान, उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा ।

"२०-क—१ जुलाई १९४८ को अथवा उसके पश्चात् किसी मध्यवर्ती और किसी व्यक्ति के बीच हुआ कोई ऐसा संविदा अथवा करार, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव, पूर्णतः या अंशतः किसी भूमिधर या सीरदार को, किसी ऐसी भूमि के, जो उसकी जोत में सम्मिलित हो, मालगुजारी अदा करने के दायित्व से मुक्त करना हो शून्य होगा और एतद्द्वारा शून्य घोषित किया जाता है ।" इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करने का संविदा या करार शून्य होगा।

२१—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह— कलेक्टर द्वारा आस्थानों का अवधान में लिया जाना ।

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई क्षेत्र या क्षेत्र का भाग तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये अवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे, और उसका पर्यालोकन (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ,

(ग) किसी व्यक्ति को, किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books). हिसाब (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य अपने कब्जे में कर ले ।

२२—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि क्षेत्र में अधिकार (right), आगम (title) या स्वत्व (interest) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिया जाय, आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा । स्वत्वों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना ।

प्रतिकर देय होने का दिनांक ।

२३—(१) प्रतिकर निहित होने के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उसकी मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी ।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर राज्य सरकार, निहित होने के दिनांक से—

(१) नगद दी जाने वाली प्रतिकर की मात्रा के विषय में, उसके अवधारण के दिनांक तक, और

(२) बन्धों (bonds) के रूप में दी जाने वाली मात्रा के विषय में, उक्त बन्धों की मुक्ति (redemption) के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देगी ।

प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया ।

२६—प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से संबंधित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में अर्जित किया गया कृषि-क्षेत्र स्थित हो ।

प्रतिकर निर्धारण तालिका ।

२७—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये, प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायेंगी—

(क) प्रत्येक मध्यवर्ती की कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में कच्ची पक्की निकासी (gross assets and net assets),

(ख) निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी अवधि के लिये क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देय लगान, मालगुजारी, अबवाब (cess) तथा दूसरों देयों की बकाया (arrears),

(ग) क्षेत्र में अपने अंश (share) या स्वत्व के सम्बन्ध में प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, और (घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना ।

२८—धारा २७ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका में उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होगी जो उसमें लिखी हो (shall be receivable as evidence of the facts stated therein) ।

अधिकार—अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना ।

२९—यूनाइटेड प्रांविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को यह संतोष हो जाय कि अधिकार—अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical) अथवा ऐसी कोई भूल (mistake or error) जो बिलकुल प्रत्यक्ष हो (apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है ।

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार ।

३०—धारा २९ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के उस अधिकार पर नहीं होगा, जो किसी अधिक्षेत्रयुक्त न्यायालय में यथावत् व्यवहार (due process of law) द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये कृषि क्षेत्र में अपना स्वत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में हो ।

कच्ची निकासी की संगणना (calculation) ।

३१—कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की कच्ची निकासी (gross assets) का तात्पर्य उसके अंश अथवा स्वत्व की कुल कच्ची आय (aggregate gross income) से है, साथ ही इसका तात्पर्य शिकमी काश्तकार, काश्तकार या माफीदार या बागदार जो धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग),

में अभिदिष्ट है, "या कोई पट्टेदार जो उक्त उपधारा के खंड (घ) में अभिदिष्ट है, अथवा कोई अध्यासी जो उक्त उपधारा के खंड (ङ) में अभिदिष्ट है। मातहतदार, अदनामालिक, दवामी काश्तकार तथा अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी द्वारा अथवा उनकी ओर से—

(१) नकदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान जिन्सी है, अथवा अंशतः नकदी और अंशतः जिन्सी है, तो उस लगान के रूप में जो यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसार लगाया जाय और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार अदना मालिक और साकितुलमिल्कियत काश्तकारों के सम्बन्ध में साकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और अन्य के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधारित लगान के रूप में देय लगान जिसमें अबवाब (cesses) और स्थानिक-कर (local rates) सम्मिलित हैं, से भी है।

ठेकेदार की कच्ची निकासी।

३२—जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास था उस दशा में धारा ३१ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगायी जानेवाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को अन्यथा देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

पक्की निकासी की संगणना।

३३—प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने में मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायगी—

(क) ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जायगी और जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष में राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (superior land-holders) को कृषि के सम्बन्ध में मालगुजारी अथवा लगान तथा अबवाब अथवा स्थानिक-कर के निमित्त देय था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसी मालगुजारी जो राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ प्राधिकारी (competent authority) के द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मध्यवर्ती के पक्ष में दिये गये अनुदान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण अभ्यर्पित (assigned), अभित्यरिक्त (released), अभिसंधित (compounded) अथवा निष्क्रीत (redeemed) की गयी हो, राज्य सरकार को मालगुजारी के रूप में देय धनराशि नहीं समझी जायगी।

मातहतदारों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी की कच्ची और पक्की निकासी निकालना

३४—ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्रांविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित (assigned) है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) और (डी) के अनुसार रक्खे गये अधिकार-अभिलेखों (records of rights) में दर्ज हैं, तथा मातहतदारों (under-proprietors), अदना मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के पट्टेदारों दवामी या इस्तमरारी (Permanent lessees in Avadh) तथा उप-मध्यवर्तियों (sub-intermediaries) पर धारा ३१ और ३३ के उपबन्ध ऐसे आनुषंगिक

(incidental) परिवर्तनों (changes) और परिष्कारों (modifications) के साथ, जो नियत किये जायं लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगायी जायगी ।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन ।

३५—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर, प्रतिकर अधिकारी—

(क) गजट में और अन्य रीति से, जो नियत की जाय इस आशय का नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका, की प्रति (copy) के साथ पूर्वक नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा ।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति प्रस्तुत करें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगी, (shall not be entertained) कि कृषिक्षेत्र में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है अथवा उसका कोई भी अंश नहीं है जब तक और जहां तक वह धारा २९ के अधीन दी गयी किसी डिक्री अथवा आज्ञा से उत्पन्न न होता हो ।

आपत्ति-पत्र की सुनवाई का दिनांक

३६—दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर, प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना संबंधित मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ३५ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हुआ हो ।

आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निर्णय ।

३७—धारा ३५ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (civil court) के सभी अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (immovable property) सम्बन्धी वादों (suits) की सुनवाई और निस्तारण (disposal) के लिये दी गयी है ।

धारा ३७ के अधीन आज्ञा को दिवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना ।

३८—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३७ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुकद्दमें का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण दिये जायेंगे ।

डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील ।

३९—किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, धारा ३७ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी ।

हाईकोर्ट में अपील

४०—धारा ३९ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री के विरुद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी ।

पुनरीक्षण (Revision)।

४१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी भी वाद के अभिलेख (record) को, जिसमें अपील न हो सकती हो, हाईकोर्ट मंगवा सकता है और यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रतिकर अधिकारी ने—

(क) ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित (vested) नहीं है, अथवा

(ख) इस प्रकार निहित अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(ग) अपने अधिक्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में अवैध, अथवा ऐसी जिसका कोई महत्व हो अनियमितता (with material irregularity) से कार्य किया है तो हाईकोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

अंतिम प्रतिकर निर्धारण तालिका।

४२—(१) यदि धारा ३५ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका निस्तारण (disposal) हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अंतिम हो जायगी।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना।

४३—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति बिना शुल्क संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रति उस प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषिक्षेत्र के परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector-in-charge of the sub-division) के कार्यालय के सूचना-पट्ट (noticeboard) पर भी लगवा देगा।

श्री अध्यक्ष—अब इस में मेरे पास दो संशोधन आये हैं। वह खंड ४४ में हैं। इस लिये मैं खंड ४३ तक ले लेता हूं और बाद में खंड ४४ प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १ से लेकर ४३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४४

मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की मात्रा।

४४—प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि-क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ४२ के अधीन निर्मित प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी के सोलह गुने के बराबर होगी।

श्री अध्यक्ष—इसमें माननीय पालीवाल जी ने एक संशोधन दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि कुछ न कुछ तो खण्डों पर विवाद होना ही चाहिये।

श्री चरणसिंह—मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी कापी तो मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं संशोधन उपस्थित करने की इजाजत देता हूं और उसकी कापी आप के पास भिजवा रहा हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४४ की अंतिम पंक्ति में यह संशोधन पेश करता हूं कि शब्द "सोलह" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

खंड ४४ में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि प्रतिकर की मात्रा फ्लैट रेट पर १६ गुनी होगी। फ्लैट रेट के सिद्धांत के विरुद्ध मुझे कोई खास बात नहीं कहनी है लेकिन वह कितना होना चाहिये इसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। मैं यह समझता हूं कि १६ गुनी मात्रा बहुत अधिक है। ८ गुना, जो कि देहाती जमींदारी में मुआवजा दिया गया है उतना ही यहां होना चाहिये, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिये क्योंकि वैसे ही देहात की जनता को यह शिकायत है कि सरकार शहरों के साथ पक्षपात करती है, शहरियों के साथ पक्षपात करती है, शहर के पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करती है और सरकार का जितना भी सोशलिज्म है देहातों में ही वह चलता है। अपना सोशलिज्म सरकार शहरों में नहीं लाती, वह देहातों में ही चलाती है। माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि मैं असरकारी बिल ला सकता हूं मकानों की मिल्कियत के सम्बन्ध में, उसकी रेकरेंटिग को बचाने के लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि अगर वह इस बात का बचन दें कि वह मेरे इस असरकारी बिल को स्वीकार कर लेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस प्रकार का विधेयक अवश्य ले आऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि सदन में जितनी उनकी संख्या है उस को देखते हुये असरकारी बिल के ले आने के क्या मान होंगे, इसीलिये मैं उसे नहीं लाया हूं। मेरा कहना इतना ही है कि सोशलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह सिर्फ देहातों के लिये ही रहे और शहरों में वह न आये। इस सम्बन्ध में मुझे एक किस्सा याद आ गया है। सन् १९३० में जब हमारा स्वाधीनता संग्राम हो रहा था तो मेरठ के ही एक गांव में लोग कहते हैं कि जब सत्याग्रह हो रहा था तो वहां लाठी चार्ज हुआ। वहां के एक चौधरी को पुलिस ने पकड़ कर बड़ी मार लगाई। तब उस बूढ़े बेचारे ने अपनी भाषा में कहा कि क्यों भाई सारा स्वराज्य मुझे ही दोगे औरों को नहीं दोगे? तो मुझे भी यही निवेदन करना है कि यह सोशलिज्म सारा देहातों को ही आप दे देंगे और शहरों को यह सोशलिज्म नहीं देंगे? शहरों में भी इस सोशलिज्म को लाने की जरूरत है और वहां भी इस समाजवाद के सिद्धान्त का प्रचलन होना चाहिये और शहरों के मकानों की समस्या हल करने के लिये मकानों की रेकरेंटिग कम करने का प्रबन्ध सरकार की ओर से किया जाना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि अगर मुझे आशा यह हो कि यह विधेयक अवश्य स्वीकार हो जायगा तो मैं स्वयं इस बिल को लाने के लिये तैयार हूं। मैं यह बचन दे सकता हूं कि जब मेरे साथ बहुमत होगा तो मैं अवश्य ही यह बिल लाऊंगा। इसलिये वह सवाल नहीं आता है। यह बात अवश्य है कि ८ गुना वहां दिया गया है और यहां पर उससे ज्यादा दिया जा रहा है तो यहां पर पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है वहां पर दिया गया है। इसका उत्तर मैं आप की सेवा में निवेदन करता हूं। यहां पर पुनर्वासन अनुदान की आवश्यकता नहीं है और वहां पर पुनर्वासन की आवश्यकता थी क्योंकि शहर के रहने वाले लोग वैसे ही आसूदा होते हैं बमुकाबले देहात के लोगों के। तो उनके लिये पुनर्वासन अनुदान की आवश्यकता नहीं है जितना कि देहात के लोगों को है। इसके अलावा यह भी जाहिर है कि जितना मुनाफा और जितनी आमदनी शहरी रकबे की जमींदारी से होती है मालगुजारी चाहे उसकी दो रुपये हो लेकिन उसकी आमदनी कहीं ज्यादा होती है। इसलिये वे जितना लाभ उठा सकते हैं उतना देहात के लोगों ने कहीं पर भी नहीं उठाया है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह १६ गुना मुआविजा देना बहुत ज्यादा है यह ८ गुना होना चाहिये। इससे ज्यादा हरगिज नहीं होना चाहिये। और अगर माननीय मंत्री जी और सरकार मंजूर करे तो उससे भी कम होना चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के आम बहस में हम सब लोग पार्ट ले चुके हैं। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि उनको अवसर नहीं मिला था क्योंकि वे उस समय सदन के सदस्य नहीं थे। इसी कारण उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि क्यों यह कहा जाता है कि १६ गुना प्रतिकर देने के बजाय ८ गुना प्रतिकर ही दिया जाय। दूसरे पक्ष का यह कहना है कि समाजवादी करण का जो प्रस्ताव हमने पास किया है यह कार्य उसके प्रतिकूल है। यह ८ गुना ही क्यों कर दिया जाय? प्रस्ताव तो आप यह करते हैं कि कोई मुआविजा ही न दिया जाय। यह ज्यादा अच्छा हुआ

होता। उसका मतलब यह निकलता है कि जो बात हम चाहते हैं आप उससे भी आगे जाने के लिये तैयार हैं। जितना मुआविजा देने की बात हमने कहा आप उससे भी कम की बात करते हैं और यह कहते कि बिना मुआविजे के जमीन ले ली जाय। माननीय पालीवाल जी यह नहीं बतला सके कि १६ गुना के बजाय ८ गुना ही क्यों कर दिया जाय। अगर हम २० गुना कहते तो वह १० गुना करने को कहते और हम यदि मुनाफे का २५ गुना करने को कहते तो वह १२।। गुना करने को कहते यह बात तो कोई सिद्धान्त की नहीं मालूम होती है। माननीय पालीवाल जी स्वयं जानते हैं कि देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बड़ा फर्क है। जब हम देहाती और शहरी इलाके की भूमि का मूल्यांकन करते हैं तो दोनों में बड़ा अन्तर पाया जाता है। शहरी क्षेत्र की जमीन की क़ीमत ज्यादा है और देहाती क्षेत्र के भूमि की कीमत कम है। देहाती क्षेत्र की जमीन अगर ५०० रुपये में मिलती है तो शहरी क्षेत्र की वही भूमि हजार, दो हजार और तीन हजार तक पर मिलती है। इन सब बातों को देखते हुये हमने इसमें १६ गुना प्रतिकर का नियम रखा है और मैं समझता हूं यह सर्वथा उचित है। इसलिये यह जो ८ गुने का प्रस्ताव किया गया है इसमें कोई तथ्य नहीं है इस प्रस्ताव को उठा लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्रीमती चान्द्रवती—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी के संशोधन का विरोध मैं करने के लिये खड़ी हुई हूं। उन्होंने अपने तर्कों में कहा कि सोशलिज्म को जैसे देहातों में चलाया गया वैसे ही शहरों में भी होना चाहिये। अगर सोशलिज्म की परिभाषा को देखा जाय तो कुछ भी मुआवजा देना नहीं चाहिये। किसी आदमी को कोई चीज लेकर उसे बिना कुछ दिये संतुष्ट रखना सोशलिज्म का पहला दृष्टिकोण है। उनका ८ गुने का संशोधन मालूम नहीं कौन सा सोशलिज्म है। जैसा अभी मिश्र जी ने कहा, यह सही है कि देहात की जमीन से शहर की जमीन का मूल्य बहुत ज्यादा है। शहर की जमीन ज्यादा लाभदायक होती है। उस पर जो कोई आदमी घर उठाता है तो उसे ज्यादा खर्चा कर के बनाना पड़ता है। अगर किसी को जमीन खेती के लिये दी जाय तो वह भी ज्यादा रेन्ट पर दी जाती है। इसलिये उसका देहाती क्षेत्र की जमीन से तुलना करना व्यर्थ की बात है। मैं तो चाहती थी कि १६ गुने से भी ज्यादा हो तो कोई अन्याय की बात नहीं होती लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने १६ गुना रखा है मैं उसे ठीक समझती हूं और पालीवाल जी के संशोधन का विरोध करती हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। अभी माननीय मिश्र जी ने ऐसा कुछ कहा कि १६ गुने की बात देख कर पालीवाल जी ने ८ गुना रख दिया है और अगर हम २५ गुना रखते तो पालीवाल जी साढ़े बारह गुना कहते। परन्तु इसके पीछे सिद्धान्त यह है कि जो कम से कम हम रूरल एरियाज में दे चुके हैं उसे यहां रखा गया है। हमारा संविधान कहता है कि प्रतिकर देना होगा और यह विधान सभा शक्ति नहीं रखती है कि प्रतिकर न दिया जाय ऐसा कानून बनाये। आप विधेयक में देखेंगे कि प्रतिकर ८ या १६ गुना देकर ही पूरा नहीं होगा, बल्कि जो परती जमीन शहरी क्षेत्रों में पड़ी होगी उसे सरकार नहीं लेगी। उसमें उस व्यक्ति का अधिकार होगा जिसकी वह है। देहाती क्षेत्रों में परती जमीन जमींदारों से छीन ली गई और सरकार में निहित हो गई है। लेकिन शहरी क्षेत्रों की परती जमीन को सरकार नहीं लेना चाहती है। मैंने शुरू में ही पूछा था कि शहरी जमींदारों को इतनी बड़ी रिआयत क्यों दी जा रही है। वह जमीन बहुत कीमती है। इसलिये एक बहुत जबरदस्त मुआवजा आप उन्हें इस जमीन के रूप में दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग मकान उठाने के लिये जमीन पट्टे पर ले चुके हैं और वह मकान न बना कर कृषि के लिये पट्टा उठा दिये हैं किसानों को, उस पर बेदखली का अधिकार आप दे रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुआवजा आप दे रहे हैं। एक विशेष स्थिति समझ कर यह विशेष रिआयत शहरी लोगों को आप दे रहे हैं जिनको आप कहते हैं कि १६ गुना मुआवजा भी दिया जाय। तो २, २ प्रकार से उनको इतनी बड़ी रिआयत दी जा रही है।

[श्री तेजप्रतापसिंह]
अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उन्हें १६ गुना मुआवजा दें। आठ गुना मुआविजे में उनका काम चल सकता है, नौमिनल मुआवजा उनको देना है, क्योंकि मुआवजा तो देना है।

अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि जो पट्टे पर जमीनें मकान बनाने के लिये ले चुके हैं, उनकी जमीनें नहीं लेना है, इसलिये उनको बेदखल कराने का अधिकार दिया गया है। वे मकान नहीं बना सके। क्योंकि मकान बनाने के लिये उनके पास मैटिरियल नहीं था, सीमेंट और लोहा नहीं था, इसलिये उनको यह रियायत देना उचित है। लेकिन सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि उसके पास कितने मकान हैं, दो चार मकान भी उसके पास हो सकते हैं। अगर उसके पास मकान नहीं है तो यह रियायत दी जा सकती है लेकिन यदि दो चार मकान उनके पास पहले से हैं और पट्टे पर जमीन उसने किसान को उठा दी है फिर भी आप उसको यह रियायत देने जा रहे हैं तो फिर आपको बजाय १६ गुना के ८ गुना मुआविजा ही देना चाहिये जो कम से कम रूरल एरियाज में जमींदारी के लिये रक्खा था। वैसे तो उनको मकानों की जमींदारी दी ही जा रही है उनको कुछ देने की आवश्यकता तो थी नहीं लेकिन वह क्योंकि संविधान के विरुद्ध जाता है और वैसा कानून हम बना नहीं सकते, इसलिये माननीय मंत्री जी को इस सिद्धान्त को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये कि उनको केवल ८ गुना मुआविजा ही दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं विवाद से समझ सका वह यह है कि माननीय पालीवाल जी मुनाफे की रकम का केवल ८ गुना ही प्रतिकर देना चाहते हैं जब कि विधेयक में १६ गुना रक्खा गया है। मान्यवर, अभी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने अपनी बहस के दौरान में यह कहा कि उनको दो-दो मुआविजे मिल रहे हैं। एक तो पट्टे की जमीन से बेदखली का मुआविजा और दूसरा प्रतिकर का मुआविजा, इसलिये वह नौमिनल न होकर बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। उनके सिद्धान्त के अनुसार तो कुछ भी दिया ही नहीं जाना चाहिये था, लेकिन कांस्टीट्यूशन से वह मजबूर हो रहे हैं इसलिये वह चाहते हैं कि पालीवाल जी के सिद्धान्त को मान लिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पट्टे की जमीन से बेदखली का प्रश्न है उसका और मुआविजे के प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। वह अपनी जगह अलेहदा चीज है। यदि उनको बेदखली का अख्तियार नहीं दिया जायगा तो वे मकान न बनवा सकेंगे। इसके अलवा जहां तक ८ गुने और १६ गुने की बात है उसके सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है कि जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट के अधीन ८ गुना मुआविजा रक्खा गया है लेकिन उसके साथ-साथ रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के बारे में माननीय विरोधी दल के लोग भूल जाते हैं जो एक प्रकार से मुआविजा ही है। शहर में जमीन की क़ीमत ज्यादा है और देहात में कम है यह बात यहां एप्लाई नहीं करती। शहर में जमीन कम है, यह वजह ज्यादा मुआवजा दिये जाने की नहीं है। शहर की जो परती लैंड नहीं ली जा रही है उसके लिये जो जो दिक्क़तें हैं वे कारण माननीय मंत्री महोदय ने सम्भवतः बताये भी होंगे। मुआविजा तो जो उनका ग्रास इनकम है, जो कच्ची निकासी और पक्की निकासी से उनको मुनाफा निकलता है उसी पर उनको मुआवजा दिया जा रहा है। उस समय किसी जमीन का मुआविजा नहीं है। तो जो उनका मुनाफा है, उन्होंने किसानों को जो जमीन दे रखी है, किसानों से जितना लगान वे लेते हैं और सरकार को जितनी मालगुजारी देते हैं, वह सब काट कर उनको जो सालाना मुनाफा होता है सिर्फ उसी का सोलह गुना देने की बात की गयी है।

अब प्रश्न यह है कि आया आठ गुना और रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो हमने जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में सिद्धान्त स्वीकार किया था वह दिया जाय या सोलह गुना मुआविजा दे दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि वह सारा रिहैबिलिटेशन ग्रांट वाला झगड़ा उन जमींदार साहबान के हक में नहीं है जो कि देहातों में जैसा उनके सामने लेने में कठिनाई पड़ती है, दरख्वास्त देना, रिहैबिलिटेशन ग्रांट बनवाना पड़ता है और सरकार के लिये भी तमाम कागजात मुहैय्या करना, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का अलग सारा खाका तैयार करना,

दुनिया भर का उसमें प्रोसीज्योर एडाप्ट करना, नोटिस वगैरह देना, एतराजात वगैरह सुनना करना, इन सारी चीजों से यह तजुर्बा हासिल हुआ है कि उनको फ्लैट रेट मुआविजा दे दिया जाय। पहले जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार देहात वालों के लिये यह बात समझी जाती थी कि छोटे जमींदारों को मुआविजा ज्यादा मिल जाय और बड़े जमींदारों को कम मुआविजा मिले, यह सिद्धान्त उसमें माना गया था। सिद्धान्त को यहां भी माना जाय, इसमें मैं समझता हूं कि दो रायें नहीं होनी चाहिये, लेकिन अगर उस सिद्धान्त के अनुसार अमल किया जाय तो जमींदारों के लिये भी कोई फायदा नहीं है और कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। सोलह गुना मुआविजा फ्लैट रेट करीब-करीब वही हो जाता है जो कि आठ गुना उसमें और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का जो परता पड़ता, वही होता। शहर में बड़े जमींदार और छोटे जमींदार में कोई ज्यादा तफर्का नहीं है। शहर के जमींदारान करीब-करीब और पेशों में रहते हैं, उनके पास और जरिये हैं और मकानात वगैरह भी हैं। छोटी जमींदारी और बड़ी जमींदारी का शहर में सवाल भी नहीं है। इसलिये छोटे और बड़े जमींदार का मसला पेश करके वह प्रिंसिपुल एडाप्ट किया जाय जो कि जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में था, तो उससे बहुत ज्यादा तबालत हो जाती है, बहुत काम बढ़ जाता है। सोलह गुना मुआविजा मैं समझता हूं कि उसी मुआविजे के आनुपात के अनुसार एक मुनासिब मुआविजा है जो कि आसानी से और जल्दी इन जमींदारों को मिल जायगा और जितना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा उनकी दिक्कतें बढ़ती जायंगी, सरकार के लिये भी और जमींदार साहबान के लिये भी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय पालीवाल जी ने इन सब बातों पर विचार करके वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और सेलेक्ट कमेटी ने जो सिफारिश की है उसी को मंजूर करेंगे।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर साहब, मेरा इरादा नहीं था कि आज के डिबेट में हिस्सा लूं, क्योंकि मेरा विचार है कि जमींदारी के खात्मे के सिलसिले में इस भवन में इतनी काफी बहस हो चुकी है, वर्षों बहस जारी रही है, अब कोई नई बात मुश्किल से कही जा सकती है। जो बिल इस वक्त हमारे सामने है, इस बिल के पीछे भी एक लम्बी तारीख है और तकरीबन सात साल किसी न किसी सूरत में यह सदन के सामने रखा गया है। पहले बिल आया और उसके ऊपर...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आम बहस नहीं है। संशोधन पर ही आप बोलें।

श्री सुल्तान आलम खां—तो इस बिल पर काफी गौर व खोज की जा चुकी है। उसके बाद जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि सोलह गुना मुआविजा उन जमींदारों को दिया जाय जिनकी जमींदारी ली जा रही है। मैं समझता हूं कि यह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। और जो संशोधन इस सिलसिले में हमारे बुजुर्ग माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है मैं उसको पूरे तरीके से समझ नहीं सका। मैं तो समझता हूं कि शायद माननीय पालीवाल जी ने यह संशोधन इसलिये पेश कर दिया कि चूंकि यह बिल पास हो रहा था और इस पर कोई दूसरा संशोधन नहीं था और यह कोई ज्यादा अच्छा ट्रेडीशन और कन्वेन्शन न बनता कि इस पर एक संशोधन भी न आता और बहस न होती, अगर ऐसा है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है और वह ठीक बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि इस वक्त जो स्कीम बनायी गयी है और जिसके मुताबिक मुआवजा दिया जायगा वह सही है या नहीं। जैसा कि अभी माननीय मौर्य जी ने तफसील से बताया कि किस तरह से देहाती रकबे में जमींदारी को खत्म किया गया। यह सही नहीं है कि जमींदारों को वहां सिर्फ ८ गुना मुआविजा ही मिला, इसलिये कि उस स्कीम के मातहत एक काफी बड़ी रकम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के तौर पर भी दी गई है और जो कम से कम रकम दी गयी है वह ८ गुना मुआवजे की और १ गुना रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के तौर पर दी गई है और जो ज्यादा से ज्यादा रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

दी गई है वह २० गुने तक दी जा रही है और उसके साथ उनको वह ८ गुना मुआविजा भी मिलेगा, इस तरह से उन को २० गुना और ८ गुना यानी २८ गुना तक कुल मिलाकर हो जाता है। इसके माने यह हुआ कि मुआवजा हमारे पिछले जमींदारी ऐक्ट के मुताबिक ९ गुने और २८ गुने के दरम्यान दिया गया है और मुझे यह भी याद है कि जब यह शहरी जमींदारी के खात्मे का बिल यहां पहली बार आया था तो उसमें छोटी म्युनिसिपैलिटीज में १२ गुना, बाज में १६ गुना, बाज में २० गुना रखा गया था और बाज में शायद इससे भी ज्यादा तजवीज किया गया था, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सी दिक्कतें और दुश्वारियां हुईं और सबसे ज्यादा दिक्कत यह हुई कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मुताबिक जो रिफार्म देहाती रकबे में किए गये थे उनके मुताबिक यह न हो सका और इसी में ६-७ साल लग गये और उसके बाद यह बिल पेश हुआ और सेलेक्ट कमेटी में आया और वहां से यह स्कीम पेश की गयी कि सबको १६ गुना मुआविजा दिया जाय।

मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इसका सोशलिस्टिक पैटर्न की बात से ज्यादा लगाव नहीं है, यह सही है कि कांग्रेस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने वाली है और उसके मुताबिक हम कदम आगे बढ़ायेंगे और बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं यह बात जाहिर नहीं होती कि अगर शहरी जमींदारी का १६ गुना मुआविजा दिया जाय तो हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने में कासिर होंगे।

जिस वक्त जमींदारी एबालिशन बिल के मुताल्लिक एक कमेटी बनी थी और जिसकी सदारत हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने की थी और उसकी जो रिपोर्ट हाउस के सामने आई थी और जिसके आधार पर देहाती रकबे का जमींदारी बिल बना था। उस रिपोर्ट में जो जमींदारी का मुआवजा देने की सिफारिश की गयी थी उसमें मुआवजा ८ गुने से ज्यादा था और उसके आधार पर जमींदारी एबालिशन बिल बनाया गया था, लेकिन इसके माने यह नहीं हो सकते कि आचार्य जी मरहूम ने जो बात कही थी वह सही नहीं थी। वह बिल्कुल सही थी और मैं समझता हूं हमसे बहुत ज्यादा वह इस बात को बेहतर समझते थे लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ यह है कि १६ गुना मुआवजा जो दिया जा रहा है वह ऐसा नहीं है जिस पर यह एतराज हो सके कि इस मुआवजे के देने के बाद सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाने में किसी किस्म की रुकावट होगी। मैं पहले जैसा कह चुका हूं मुआवजे की शरह हकीकत में अर्बन एरियाज में जो दिया जायगा वह रूरल एरिया में मुआवजा दिये जाने से बहुत कम है। जैसा मैंने कहा २८ गुना तक, २० गुना रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट और ८ गुना मुआवजा, इस तरह से २८ गुना तक आदमनी का दिया जा सकता है। उसके मुकाबले में जो १६ गुना तजवीज किया है उससे बहुत कम है और वह इसलिये किया गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें पैदा न हों। जैसी कि पहले रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को वर्कआउट करने में हुई थीं, वह न होने पायें।

एक चीज और है और यह कि छोटे और बड़े काश्तकार का जो सवाल उठाया गया और जिसके आधार पर रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट ग्रेडेड लिस्ट में देना पड़ा उसका सवाल मुश्किल से अर्बन एरियाज में उठ सकता है इसलिये कि अर्बन एरियाज में जो काश्त है, चाहे मजमुई तौर पर वह काश्त हो, लेकिन जहां तक अर्बन एरिया के अन्दर उनकी काश्त का ताल्लुक है उसमें कोई काश्तकार मुश्किल से बड़ा काश्तकार कहा जा सकता है। इसलिये सबको एक फ्लैट रेट से दिया जाय ताकि ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें न हों। वहां कोई छोटे-बड़े काश्तकार का सवाल भी नहीं है। इससे कोई सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी वाली बात भी नहीं पैदा होती और हकीकत में जितना मुआविजा १६ गुना दे रहे हैं वह मुआवजा उस रकम से जो पिछले रूरल एरिया जमींदारी अबालिशन में दिया गया है बहुत कम है। इसलिये मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जो संशोधन भवन के सामने आया है और एक कन्वेंशन पैदा हो गया कि कोई बिल ऐसा नहीं होना चाहिये जिसमें कम से कम एक आध संशोधन न हो, ताकि

उस पर कुछ बहस हो जाय, वह मकसद भी हल हो गया। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो संशोधन आया है वह वापस ले लिया जाय और जो स्कीम इस बिल के अन्दर है उसको उसी तरीके से पास किया जाय, वर्ना अन्देशा यह है कि अगर तरमीमें आ गईं तो उसका असर पूरे फ्रेमवर्क पर पड़ेगा और इस बिल के पास होने में, जिसका तकाजा यह था कि इसको तीन, चार साल पहले हो जाना चाहिये था, लेकिन बाज दुश्वारियों की वजह से आज आया है, इसलिये हमें इसका स्वागत करना है और इसके साथ ही साथ हम सब को इस बात के लिये कोआपरेट करना है कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द यह मन्जूर हो जाय और कम से कम हम आइन्दा आने वाले इलेक्शन के पहले इसको इम्पोज कर सकें ताकि जो स्कीम जमींदारी अबालीशन की बनी है वह मुकम्मिल हो जाय। इसके बाद एक बिल और लेना है कुमायूं जमींदारी अबालिशन बिल जो सेलेक्ट कमेटी में पहुंच भी चुका है और जिसके मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर साहब ने कुछ सवाल भी किये हैं, उसको भी लाना है, तो जो वक्त इस बिल से बच जायगा वह बहुत जरूरी कामों में, जो इलेक्शन के पहले करने हैं, उनमें सर्फ हो जायगा। इसलिये अगर यह संशोधन वापस ले लिया जाय तो अच्छा होगा। इन अल्फाज के साथ उस स्कीम की जो इस बिल के प्रोवीजन में दी गई है, दफा ४४ में, उसकी ताईद करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप तो जानते हैं कि हमारी पार्टी की पालिसी है कि जमींदारों को किसी प्रकार का मुआवजा न दिया जाय। देहाती जमींदारी जब समाप्त हो रही थी उस वक्त में भी हमारा यही नारा था। अभी माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने बताया कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी भी मुआवजा देने के पक्ष में थे और उन्होंने अपनी राय दी थी। लेकिन श्रीमन्, उन्होंने राय दी थी तब जब कि अंग्रेज थे। उस वक्त में जमींदारी तोड़ने की बात रही। अगर उस वक्त में जमींदारियां तोड़ी गयी होतीं तो जो कुछ पालिसी तय होती दिया जाता। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ और जमींदारों ने जमींदारियों का कितना मुनाफा उठाया है श्रीमन्, सदन इससे अवगत है और फिर भी अब उस जमींदारी को समाप्त करने के वक्त न मालूम माननीय मंत्री जी को क्या मोह है कि हर तरह से उनको चाहते हैं कि सुविधा दी जाय। इस बिल में भी माननीय मंत्री जी ने उनको सुविधा देने की कोशिश की है जैसे कि जो जमीन परती रहेगी उसको वह नहीं छुयेंगे। दूसरे कि अगर वह मकान बनवाने के लिये किसी प्रकार की वह जमीन है और किसी ने उस पर कब्जा किया है अगर वह मंशा प्रकट करता है कि इस जमीन पर मकान बनवायेंगे तो उसको भी बेदखल करने का अधिकार दे दिया गया है। तो अनेक प्रकार से वह उनको अधिकार देते जा रहे हैं जमींदारों को। तो यह जो अधिकार देने का एक तरह से उन्होंने ठान लिया है कि हर तरह से उन्हीं को अधिकार दें यह ठीक नहीं है।

माननीय पालीवाल जी ने मुआवजा कम करने के लिये कहा है। वह वैसे ही कहते कि मुआवजा न दिया जाय लेकिन यह संविधान जो है इस संविधान को कैसे टाला जाय। तो संविधान को सामने रखते हुये उन्होंने कहा कि कम से कम मुआवजा दिया जाय। १६ गुना के बजाय आठ गुना कर दिया जाय। इस मंशा से पावीवाल जी ने कहा और इसको मानने में माननीय मंत्री जी को किसी तरह से एतराज नहीं होना चाहिये। इसको उन्हें कबूल कर लेना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन पेश किया था वह एक खास सिद्धांत के अनुसार पेश किया था। सिद्धान्त यह था कि संविधान के अनुसार हमारे लिये मुआवजा देना जरूरी है। अगर मुआवजा देना जरूरी है तो मुआवजा देने की कोई नीति होनी चाहिये और मेरी राय में वह नीति यह थी कि कम से कम मुआवजा जो देहात के जमींदारों को दिया गया है उससे ज्यादा शहर के जमींदारों को नहीं दिया जाना चाहिए। देहातों में और शहरों में कोई भेदभाव न पैदा हो, देहात के लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि सरकार शहरियों के साथ हर बात में पक्षपात करती है, देहातियों के खिलाफ

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

पक्षपात करती है। इसलिये मुआवजे के लिये आठ गुना रकम रखी जो कि देहात में रखी गयी है जैसा कि यह कहा गया कि अगर २५ गुना होता तो साढ़े बारह गुना मैं रखता या जो भी रखा जाता उसका आधा मैं रखता, ऐसा नहीं है। अगर वह २५० गुना भी होता तो भी मैं आठ गुना ही कहता, क्योंकि उसका एक आधार है, उसका एक सिद्धान्त है। एक दलील और दी गई कि मुआवजे का सिद्धांत तो ठीक है लेकिन पुनर्वासन वाली बात। उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका था कि पुनर्वासन की आवश्यकता शहर में नहीं है। पुनर्वासन की आवश्यकता वहां होनी चाहिये कि जहां मुआवजा न मिलने पर उनको भूखों मरने की नौबत आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है और आप को भी याद होगा कि माननीय माल मंत्री महोदय ने स्वयं यहां किसानों के मामले में और दूकानदारों के मामले में जब एक सवाल पूछा गया था, माननीय हरगोविन्द जी पन्त ने पूछा था कि क्या बाढ़ से जिन दुकानों का माल यहां बह गया उसका कोई हर्जा यह सरकार देगी तो माल मंत्री जी ने यह कहा था कि वहां हर्जा दिये जाने की जरूरत नहीं है। वह गरीबों को और भूखों को दिया जाता है। इसी तरह से इसी सिद्धान्त पर जो कि माल मन्त्री महोदय खुद कहते हैं, पुनर्वासन की आवश्यकता शहरों में नहीं है, देहातों में है। तो सिद्धान्त एक सा हो इसलिये मैंने आठ गुना मुआवजा रख दिया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे ध्यान में है वह यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप को यह मालूम है कि देश में विभिन्न प्रकार के भेद भाव पैदा हो रहे हैं, जनता में उत्तेजना है, उन भेदभावों के कारण तो कम से कम सरकार को अपनी ओर से, अपनी नीति से कोई नया भेदभाव नहीं पैदा करना चाहिये। शहरी और देहाती का भेदभाव हमारे प्रदेश में भी पैदा होने लगा है। हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में हैं और अगर भेद भाव के वातावरण में यह पक्षपात और भेदभाव किया जायगा तो बात बढ़ जायगी। इस तरह से सरकार एक विध्वंसकारी कार्य करेगी और गलत सूचना को मान कर के, इसलिये मैं ऐसा कहता हूं और मैं तो यह भी कहता हूं, यह बात सही है जैसा कि माल मंत्री जी ने मजाक में कहा किन्तु वह बात सही है, मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं गांधीवादी हूं। और गांधीवादी होने के नाते मैं यह कहता हूं कि मुआविजा नहीं होना चाहिये। संत बिनोवा क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि मुआविजा इतना नहीं होना चाहिये। महात्मा गांधी ने हमेशा यह कहा है कि "शहर शोषक है, गांव पोषक है।" महात्मा गांधी ने कहा है कि शहरों को प्रायश्चित करना चाहिये गांव की सेवा कर के, अब तक उन्होंने शोषण किया है। यह नहीं होना चाहिये सरकार की तरफ से कि ग्रामवासियों की सेवा करने के बजाय ग्रामवासियों को ८ गुना दिया जाय और शहर के लोगों को १६ गुना दिया जाय। इसलिये मैंने यह बात रखी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को आपके जरिये से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देहात के भाइयों के साथ जो कि दरअस्ल प्रदेश की जनता है, लगातार अन्याय हो रहा है। सन् १९३१ में कराची कांग्रेस में फंडामेंटल राइट्स पर विचार होते समय कहा गया था कि अनइकानामिक होल्डिंग्स पर रेंट और मालगुजारी नहीं ली जायगी लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं किया जा रहा है। फिर भेद-भाव किया जा रहा है यह उचित नहीं है।

दूसरा भेद-भाव जो किया जा रहा है वह यह कि शहरों में इन कमटैक्स लेते वक्त यह सिद्धान्त माना जाता है कि बाल-बच्चों के, अपने परिवार के गुजारे के बाद जो आमदनी बचे उस पर टैक्स लिया जाना चाहिये। तो साढ़े तीन सौ रुपये माहवार की आमदनी से कम पर टैक्स नहीं लिया जाता। देहात के लिये यह सिद्धान्त नहीं माना जाता है। सन् १९३६ में रूरल ऐग्रिकल्चरल कमीशन के सामने देहातों की तरफ से यह बात बतायी गयी थी कि इस सिद्धान्त को माना जाय और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिस समय महादेव गोविन्द रानाडे थे उस समय इस बात पर विचार किया जाता था कि किसानों से और देहातियों से लैंड रेवेन्यु लिया जाना चाहिये या टैक्स लिया जाना चाहिये। अगर टैक्स लिया जायगा तो अनइकानामिक होल्डिंग्स अपने आप बरी हो जायंगी। इन सब बातों के आधार पर मैं कहता हूं कि कम से कम मुख्य मंत्री महोदय, को जो देहातों से आते हैं और सब बातों से जानकार हैं, कम से कम उनकी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--"माल मंत्री" कहिये, आप उन्हें "मुख्य मंत्री" कह रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माल मंत्री महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि गलती से "मुख्य मंत्री" निकल गया। अवश्य ही वह मुख्य मंत्री हो जायंगे, यह मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। तो माल मंत्री की ओर से यह प्रस्ताव नहीं आना चाहिये।

जो यह कहा गया कि समाजवादियों की तरफ से मुआविजे के बारे में बात पहले तय हो चुकी थी सिद्धान्त की, तो यह प्रवर समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस प्रवर समिति की रिपोर्ट को ही अगर माननीय सदस्य देखने की कृपा करें तो उन्हें मालूम होगा कि यह मामला इतना निर्विवाद नहीं है जितना कि वह समझे बैठे हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट में दो मत प्रकट किये गये हैं और मैं देखता हूं सदन में इस प्रकार के तीन मत हैं। एक तो वह जो शहरी लोग हैं, जो चाहते हैं कि मुआविजा और मिले और सरकार, वह हमेशा बीच का रास्ता लेती है और बीच के रास्ते के बहाने पूंजीपतियों का पक्षपात करती है। पूंजीपतियों की राय यह है, जो श्री शिवप्रसाद सिन्हा और नरोत्तम दास के नोट आफ डिसेंट से प्रकट होती है। उसमें यह कहा है कि मुआविजा १६ गुना नहीं होना चाहिये, २० गुना होना चाहिये। और अगर समाजवादी राय को जानना चाहते हैं माननीय सुल्तान आलम खां, तो कांग्रेस का समाजवाद दूसरे किस्म का होगा, लेकिन प्रजा समाजवादी पार्टी द्वारा जो मत प्रकट किया गया है वह इस प्रकार है:

"दूसरी बात मुआविजा देने की है। यहां के जमींदारों को देहाती जमींदारों से एक प्रकार अधिक मुआविजा मिलेगा। मुआविजा देने का सिद्धान्त तो गलत है ही, परन्तु वैधानिक कठिनाइयों के कारण यदि ऐसा करना अनिवार्य भी हो तब यह रकम केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिये जिनका जीवन-यापन चलाना इसके बिना असंभव हो जाय, परन्तु सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है।" इसलिये मुआविजे के बारे में समाजवादियों का, प्रजा-समाजवादियों का, सोशलिस्टों का, गांधीवादियों का, मुझ जैसों का सब का मत-भेद है, इतना निर्विवाद नहीं है जितना कि कुछ सदस्य मान बैठे हैं। इस लिये मैं आशा करता हूं कि सदस्यगण प्रदेश की जनता की भलाई का ख्याल करके, इस बात का खयाल करके कि शहरी और गांव के लोगों का भेद हमारे प्रदेश में न पैदा हो, जैसा कि पंजाब में है, वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय पालीवाल जी .....

श्री अध्यक्ष--आप या तो दो-चार मिनट ही में समाप्त करें वरना बाद में हो जायगा।

श्री चरणसिंह--१० मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की इच्छा है कि डेढ़ बजे तक यह चले? या अभी हम उठ जायं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है। आप मुझे क्षमा करेंगे, जहां तक मुझे याद है, मैं गलती नहीं करता हूं, जो विधेयक पास हो गया है उसके लिये हमारी परामर्शदात्री समिति ने चार घंटे का समय दिया था और इसके लिये आठ घंटे का समय दिया था। उसके अनुसार हम समझते थे कि यह कल आयगा, इसलिये हम तैयार हो कर नहीं आये थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जल्दी न की जाय और जो जल्द-बाजी की बात उन्होंने कही तो शायद उन्हें मालूम नहीं था कि परामर्शदात्री समिति ने दो दिन बहस के लिये रखे थे। इसलिये मेरी राय यह है कि इसमें जल्दी न की जाय।

श्री अध्यक्ष--लेकिन अगर सदन चाहेगा तभी होगा। परामर्शदात्री समिति के निश्चय का परिणाम यह नहीं होता है कि चार घंटे का समय उन्होंने दे दिया तो अगर सदन बीच में उठना चाहे या छुट्टी लेना चाहे तो नहीं ले सकता। जिन लोगों का मत था कि समय अधिक लगेगा और वे बोलेंगे वे गैरहाजिर हो गये हैं, वे बोलना नहीं चाहते हैं और न संशोधन ही उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

दिये हैं, शायद उन्होंने अपने मत में परिवर्तन कर लिया होगा। मैं यह चाहता हूं कि सदन का समय व्यर्थ न हो, जब सदन में लोग बोलना नहीं चाहते हैं तो फिर पूरा निश्चित समय खर्च करने में क्या फायदा है। इसको सवा दो बजे ले लेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय पालीवाल जी जब बात-बात में और कदम-कदम पर समाजवाद का जिक्र कर रहे थे तो मुझे वह दिन याद आ गये जब वे समाजवाद से उतना ही चमकते थे जितना एक बैल लाल फीते से चमकता है। लेकिन फिर साथ ही मुझे यह भी याद आया कि आदमी कितना ही चमकता हो किन्तु जब रोज वही चीज सामने रहती हो तो चमक कम हो जाती है। तो पास बैठते बैठते वह चमक माननीय पालीवाल जी की मालूम होता है कम हो गयी। खैर, उन्होंने समाजवाद का जिक्र करते समय कम्पेन्सेशन न देने के सिलसिले में एक बात कही वह मैं समझता हूं सही है। कहां है समाजवाद में, कहीं नहीं है कि कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये। उनकी किसी किताब में नहीं लिखा, न लाल में और न पीली में। कम्युनिज्म वालों की किताब में लिखा हो तो हो, लेकिन सोशलिस्टों की किसी किताब में नहीं लिखा कि मुआविजा नहीं देना चाहिये। जिन लोगों से सोशलिज्म का पाठ हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने पढ़ा है यानी उनके गुरुओं ने इंग्लैन्ड में मुआविजा दिया और मामूली मुआविजा नहीं दिया, पूरा मुआविजा दिया, मार्केट प्राइस दिया और हर मामले को अदालत तय करती है। जब वहां माइन्स का नेशनलाइजेशन हुआ, रेलवेज का और बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तब ग्रेट ब्रिटेन में पूरा-पूरा मुआविजा पाई-पाई दिया गया। लिहाजा जब मुआविजा न दिया जाय, इसकी दुहाई दी जाय या इसके हक में कोई दलील दी जाय तो समाजवाद का जिक्र करना बिलकुल ही इर्रलिवेंट और गैरमुताल्लिक है। अब हमें देखना यह है कि समाजवाद को अलग छोड़ कर यह जो मुआविजा हम दे रहे हैं शहरों में वह देहातों में जो मुआविजा दिया गया है उससे कम है या ज्यादा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने यह फर्ज करके कि शहर वालों को मुआविजा ज्यादा दिया जा रहा है लिहाजा इनके साथ रियायत हो रही है और चूंकि इनके साथ रियायत हो रही है लिहाजा देहातवालों के साथ अन्याय हो रहा है लिहाजा दो तीन बातें गैरमुताल्लिक थीं उनको कहने का मौका मिला। हमको देखना यह है कि हम शहरों में जो मुआविजा दे रहे हैं क्या वाकई देहात वालों से ज्यादा दे रहे हैं। यह बात नहीं है यहां हम मुआविजा दे रहे हैं, १६ गुना जब हमने देहातों में दे ससे ज्यादा मुआविजा दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—कैसे ?

श्री चरणसिंह—सुन लीजिये। २८ गुना तक मुआविजा दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—वह तो पुनर्वासन अनुदान है।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि आप नाम पर क्यों अटक रहे हैं पालीवाल जी। यह तो जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर पढ़ेंगे तो ग्रेडेड स्केल वहां रखा है उस वक्त वहां १० से लेकर २५ गुना तक रखा था। लेकिन जब बिल ड्राफ्ट करने बैठा तब ड्राफ्टिंग कमेटी में उस वक्त के जो लीगल रिमेम्ब्रेंसर थे उन्होंने कहा कि एक ही खेवट में और एक ही महाल में बड़े और छोटे जमींदार हिस्सेदार हो सकते हैं। बड़े को कम और छोटे को ज्यादा रेट्स देंगे तो कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल १४ खारिज हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसके खिलाफ हो जायगा आपका यह कम्पेन्सेशन, तो उस वक्त हम लोगों ने यह तय किया था कि मुआविजा रखो ८ या १० गुना और उसके ऊपर उस का नाम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट रख दिया जाय। बाकी जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में वहां था और इन ऐक्चुअल फैक्ट चाहे उसका कुछ भी नाम हो, वह रुपया उनको मिलेगा और वह इसलिये मिलेगा कि उन की जायदाद ली जा रही है। उसको मुआविजा कह लीजिये या कुछ और कह लीजिये। तो लिहाजा हमने वहां मुआविजा २८ गुना तक दिया। जीरो से लेकर २५ वाले तक को २८ गुना, २५ से लेकर ५० तक वाले को २५ गुना, ५० से लेकर १०० तक वाले को २२ गुना, १०० से लेकर १५० वाले को १९ गुना और २५० से लेकर ५०० तक वाले को १६ गुना मुआविजा दिया और ३,३ घटाते चले गये। तो २५० से लेकर ५०० रुपये तक के मालगुजार को हमने, इस छोटे या बड़े रेट से मुआविजा दिया है जिस रेट से हम शहर में हर एक को देने जा रहे हैं, जबकि औसतन शहर के जो जमीदार हैं वे बहुत छोटे हैं। २५ रुपये से ज्यादा के नहीं हैं। कुल जमीदारों की तादाद इसके अन्दर पड़ती है १ लाख ४५ हजार ४ सौ अड़तालिस, रकबा उनके पास है, एक लाख ५४ हजार ३ सौ ७१ एकड़ और औसत आता है, १.०६ एकड़ जबकि यह तो उनका रकबा है और मालगुजारी उनकी आती है, ३ लाख २० हजार ४ सौ ४७ रुपये। इसको तकसीम कर दीजिये, तो पड़ता है २ रुपया तीन आना तीन पाई। यह उन का ऐवरेज पड़ता है, शहरी जमींदार का। इससे मालूम होता है कि प्रायः सभी २५ रुपये से कम हैसियत वाले ये लोग हैं और देहात में, ४ करोड़ एकड़ जमीन कम से कम और २० लाख जमीदार तो २० एकड़ जमीन आई औसतन। यहां आता है एक एकड़ और देहात में, गैर शहरी इलाके में २० एकड़। मालगुजारी ७ करोड़ देते थे २० लाख आदमी, यहां देते हैं २ रुपया फी आदमी। तो इसी से जाहिर है।

साथ ही, हजारहों हजार में कोई जमींदार ऐसा होगा शहर में जो कि २५ या ५० से बड़ा मालगुजार हो। तो अगर यह जमींदार शहर में न रहते होते तो उनको मुआविजा मिलता २५ गुना और २८ गुना, हम उनको दे रहे हैं १६ गुना। तो १६ गुना क्यों दे रहे हैं और क्यों ज्यादा नहीं दे रहे हैं यह तो दूसरी बात है। यह तो शहर वालों की शिकायत है, जिन भाइयों ने डिसेंटिंग नोट दिया है उनकी शिकायत है, लेकिन कम से कम माननीय पालीवाल जी की और दूसरे लाल टोपीवालों की यह शिकायत नहीं हो सकती कि शहर वालों के साथ पक्षपात हो रहा है और इसलिये देहात वालों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसा कि मिश्र जी ने कहा, मैं भी समझता हूं कि पालीवाल जी को कुछ कहना ही था। अगर हम २५ रखते तो वह जरूर साढ़े बारह के लिये कहेंगे। वह तो उन पर धीरे-धीरे पड़ोस का असर हो रहा है, पहुंच रहे हैं वहीं, सिर्फ दो फिट का फर्क है। तो यह कहना कि मुआविजा उनको दे रहे हैं, गलत है। मुआविजा उनको हम ने कम ही दिया और जैसी कि वह समाजवादी कांग्रेसियों से आशा रख सकते थे, क्योंकि शहरवालों के पास हो सकता है कि कुछ और रोजगार हो, इसका लिहाज करके हमने देहात के मुकाबिले में उनको कम दिया। तो मैं फिर उन से यह अर्ज करूंगा कि वह अपनी अरिथमेटिक फिर दोहरा लें तो शायद हमारे नतीजे पर पहुंच जायेंगे। इन लफ्जों के साथ मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि उनके संशोधन को गवर्नमेंट मंजूर नहीं कर सकती।

एक बात और, उन्होंने एक बात और कही थी कि साहब यह जमींदार तो बहुत काफी लगान ले चुके हैं शहर के। उनको मुआविजा बिलकुल न दिया जाय तो भी बेजा न होगा। जहां तक लगान का ताल्लुक है तो एवरेज रेंट पर एकड़ म्युनिसिपल बोर्ड के इलाके में पड़ता है १४.०३, कैंटूनमेंट के इलाके में १२.७ पड़ता है, नोटीफाइड एरिया में पड़ता है १४.५ और टाउन एरिया में पड़ता है १०.९। इससे जाहिर होता है कि देहाती इलाके में कुछ ज्यादा है। शहरी इलाके में महज लगान से आमदनी होती है उन लोगों को जिनके पास जमीन है। उनके काश्तकार बेदखल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बेदखली बन्द है। नानआकुपेन्सी टेनेन्ट की बेदखली बन्द की हुयी है और जो आकूपेन्सी टिनेन्ट हैं उनकी तो बेदखली हो ही नहीं सकती है। इस वजह से यह मैंने बतलाया कि फी एकड़ कितनी उनकी आमदनी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ की अन्तिम पंक्ति में "सोलह" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४५–५२

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा ।

४५—यदि अर्जित कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो तो मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुयी पक्की निकासी पर धारा ४४ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बाट देगा:

(क) नजराना (premium), यदि ठेके के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो,

(ख) ठेके की कुल अवधि तथा उसकी शेष अवधि,

(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र किस सीमा तक अर्जित हो चुका है,

(घ) ठेके के अन्तर्गत अवशेष (balance) की कच्ची और पक्की निकासी,

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि,

(च) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं ।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन ।

४६—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

धारा ४६ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना ।

४७—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र-युक्त (civil court of competent Jurisdiction) दीवानी न्यायालय—की डिक्री समझी जायगी ।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी तथा अपील में दी हुयी आज्ञा, उस व्यवस्था को छोड़कर जो उपधारा (३) में की गयी है, निश्चायक (conclusive) होगी ।

(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को धारा ४१ में अभिलिखित (क) से (ग) तक के किसी आधार पर पुनरीक्षित (revise) कर सकता है ।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय–शुल्क ।

४८—कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में किसी बात के रहते हुये भी धारा ३९ ४० अथवा धारा ४७ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील, के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देय न्याय शुल्क (court fee) वह होगा जो नियत किया जाय ।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुयी हों।

४९--(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (final) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र युक्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (a person interested) की प्रार्थना पर अंतिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical or arithmetical errors) को या किसी ऐसी अशुद्धि को जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (accidental slip or omission) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है।

तालिका में दर्ज प्रतिकर का दिया जाना।

५०--मध्यवर्ती को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के अर्जित किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ४४ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी हो।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

५१--धारा ५४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी वह मध्यवर्ती होगा, जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो।

विधिक प्रतिनिधि को देय प्रतिकर।

५२--यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४५ से ५२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५३

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

५३--इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बन्धों (bonds) के रूप में अथवा अंशतः नगदी और अंशतः बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, दिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ५३ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि इसकी पहली पंक्ति में "नगदी में" के बाद "बन्धों" से लेकर तीसरी पंक्ति के "जाय" और कामा तक निकाल दिये जायं। यह शब्द निकलने के बाद इसका रूप इस प्रकार से रह जायगा कि "इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में दिया जायगा।"

मेरा उद्देश्य इस संशोधन से स्पष्ट है। यहां पर माननीय मंत्री जी ने समाजवाद के बारे में, रेकरेन्ट के बारे में कहा। वह थोड़ा सा इतिहास भूल गये। मालूम यह पड़ता है कि पड़ोस का असर जितना मेरे ऊपर हुआ है उसी तरह से वह भी खाली नहीं है और उन पर भी असर हुआ है। मेरे ऊपर तो पड़ोस का थोड़े दिनों से ही असर हुआ है लेकिन वह उस पड़ोस में वर्षों से बैठते रहे हैं। इसलिए अब वह देहात की भलाई को छोड़कर शहर की भलाई करने लग हैं।

जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है मैं समाजवाद के स्वरूप का विरोधी कभी नहीं था, हां, यह अवश्य था कि गांधीवादी विचारधारा को समाजवाद का सर्वोत्तम रूप समझता था और समझता हूं। यह भी था कि उस समय मेरे वह साथी जो आज उधर बैठे हुये हैं वह जब समाजवाद का नाम लेते थे जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

समाजवाद भी यह नहीं कहता है कि मुआविजा नहीं दिया जाय तो फिर मैं माननीय मंत्री जी को पुराने इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं कि देहात के जमींदारों को मुआविजा न देने की आवाज कांग्रेस के अन्दर वामपक्षी और कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी जो थे यह दोनों तरफ के लोग उस समय लगाते थे। उस इतिहास को शायद वे भूल गये हैं। ऐसी बात नहीं है कि समाजवाद ऐसा नहीं कहता है लेकिन मेरा विरोध तो केवल यह है कि जो मार्क्स ने कहा कि जब तक कोई देश पोलीटिकली स्वतन्त्र न हो जाय तब तक वहां समाजवाद का सवाल नहीं उठता है। इसलिये १५-८-४७ तक मैं इस बात के विरुद्ध था कि समाजवाद का सवाल उठाया जाय। उसके बाद मैं समाजवाद के विरुद्ध नहीं रहा। माननीय माल मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जहां के वैसे मार्क्सवाद का सम्बन्ध है, मैंने तो सन् ४२ में गांधीवाद और मार्क्सवाद नाम की पुस्तक लिखी थी जो अब तक कई सहस्त्रों की संख्या में बिक कर आउट आफ प्रिन्ट भी हो गई है। इसलिये उनका यह ख्याल कि मैं समाजवाद के विरुद्ध था, ग़लत है। मैं उस समय कांग्रेस के अन्दर समाजवाद बनाने का विरोधी था क्योंकि मैं चाहता था कि एन्टी इम्पोरियेलिस्ट फ्रन्ट कमजोर न हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक ओर तो सरकार दिखावे के लिये बड़े-बड़े आंकड़े रख देती है मगर अमल में बात उसके बिलकुल विपरीत होती है। उदाहरण के लिये, आज तक पुराने जमींदारी ऐक्ट के बारे में सब को यह शिकायत रही है कि जितना मुआवजा उसमें कहा गया था उतना नहीं मिला क्योंकि बान्ड्स से आधा मूल्य रह गया है और आधे में भी वे बड़ी कठिनाई से बिक पाते हैं।

ईमानदारी की बात तो यह है कि बांड्स में अगर दिया गया यहां भी, तो उसका भी वही हाल होगा, ८ गुना वह, आधा रह कर, वैसे ही हो जायगा। १६ गुना न रख कर ८ गुना नक़द रख देते तो अधिक अच्छा होता। अगर आप १६ गुना देने में सचचाई से काम लेते हैं तो दीजिये नक़द में। जो आंकड़े माल मंत्री जी ने पेश किये हैं उनके मुताबिक़ तो सरकार को कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें। उनके कहने के मुताबिक़ कुछ हजार नागर-क्षेत्र के लोग ऐसे होंगे जिनको हजारों में मुआवजा देना होगा और लाखों ऐसे लोग हैं जिनको सैकड़ों में देना होगा। तो १०० रुपये वाले को भी बांड दें, यह बड़ा हास्यास्पद बात है। एक यह भी शिकायत है कि २०, २५, ५० रुपये लोग जब लेने जाते हैं तो उनको ५० दिक्क़तें पड़ती हैं और खर्चा काफी हो जाता है, तब वह मिल पाता है। तो सरकार को पिछले अनुभव का लाभ उठाना चाहिये। जितना आप देना चाहते हैं, बांड्स में देने से तो उसका आधा रह जायगा। इससे तो यही अच्छा था कि मेरे संशोधन को मान कर ८ गुना नक़द दे देते। रुपया भी बहुत अधिक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन तो सरकार स्वीकार करेगी।

*श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बात मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं सिवाय एक बात के। पालीवाल जी का यह ख्याल कि समाजवाद ने यह आवाज उठाई थी कि मुआवजा न दिया जाय, बहुत हद तक ग़लत है। उन्होंने शब्द 'मुआवजे' का विरोध किया लेकिन रिहैबिलीटेशन ग्रांट उसे कहा। जिस हिसाब से वह रिहैबिलीटेशन ग्रांट दिलाना चाहते हैं वह १ अरब ८ करोड़ रुपया बैठता था और हमारे हिसाब से १ अरब ३६ करोड़ था। तो समाजवाद में और हम में केवल २८ करोड़ का फर्क था। इससे जाहिर होता है कि वह मुआविजा दिलाना चाहते थे या नहीं चाहते थे? जो फूल है उसको चाहे गुलाब कहो चाहे उसको पालीवाल कहो लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुशबू तो वह देगा ही। रुपया तो ट्रेजरी से जायगा ही चाहे आप उसको मुआवजा कहिये या रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट कहिये। यह तो समाजवादी कंपेन्सेशन की बात रही जो स्वर्गीय माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने जमींदारी अबोलीशन कमेटी के सामने बतलाई थी।

अब रही यह बात कि जो संशोधन पेश किया गया है उससे मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय पालीवाल जी की जो पहली स्पीच हुई थी, उसमें और इस संशोधन में कैसे संगति बैठती है। उसमें तो वे मुआविजा घटाना चाहते थे और कहते थे कि जमींदारों को ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन इसमें वे कहते हैं कि जमींदारों को नकद दिया जाय, उनके साथ अन्याय हो रहा है। समझ में नहीं आता कि कैसे उनकी कौंशंस है जो वे दो तरह की बात एक साथ कहते हैं, लेकिन पोलीटिकल कौंशंस आधे-आधे घंटे में बदल सकती है, उसको मैं भूल गया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने कहा कि जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट के मातहत जो मुआवजा दिया गया उसके दाम आधे हो गये हैं। यह बात सही है। बौण्ड्स के दाम आज कल गिर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज उनको खरीदती थीं वे अब नेशनलाईज हो गयीं। अब वह ४५-४२ तक हो गया है पहले ६३ फीसदी था। गवर्नमेंट ने इसलिये कि उसकी वैल्यू कुछ ऊंची हो जाय यह फैसला किया है कि बांड्स की वैल्यू के दो तिहाई तक, अगर वह किसान है तो उसको तकाबी दी जा सकती है। इससे हमारा खयाल है कि उनकी वैल्यू में वृद्धि होगी। लेकिन फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू में जो डिप्रीसियेशन आयेगा उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है। यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट १०० रुपया के बांड्स को १०० रुपया में खरीद ले। लेकिन अगर उसके पास इतना रुपया हो तो वह बांड्स जारी ही क्यों करती, नकद ही क्यों न दे देती। क्योंकि इतना रुपया उसके पास नहीं था, इसलिये उसने ४० साल के बांड्स जारी किये। इसलिये गवर्नमेंट उनकी फेस वैल्यू पर उनको खरीदने के लिये तैयार नहीं है और गवर्नमेंट इसकी भी जिम्मेदार नहीं है कि बाजार में उसके कितने रुपये मिलते हैं।

अब रही बात यह कि शहरी इलाके का जो यह विधेयक है उसमें वही अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं जो पुराने कानून में किये गये थे कि मुआविजा चाहे नकद दे दें या बांड्स में दे दें या जुजन नकद दे दें और जुजन बांड्स में दे दें। माननीय पालीवाल जी चाहते हैं कि बांड्स में न दिया जाय। उसका मतलब यह होगा कि नकद दिया जाय लेकिन आज जैसे कि हमारी धारा के शब्द हैं उनमें नक़द दिये जाने की मनाही नहीं है। गवर्नमेंट को अख्तियार है कि चाहे वह नकद दे दे या बांड्स में दे दे। तो अगर जैसी कि धारा अब है अगर ऐसी ही सूत्रित हो जाती है और इस अधिनियम का अंग बन जाती है और अगर गवर्नमेंट के फाईनेंसेज इजाजत देते हैं तो माननीय पालीवाल जी की मंशा भी पूरी हो जाती है। इसलिये यह संशोधन गैर जरूरी है।

एक और तरीक़े से यह गैर-जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुआविजा बहुत थोड़ा-थोड़ा है। सौ रुपये, दो सौ रुपये, ढाई सौ रुपये या चार सौ, पांच सौ रुपये दो चार आदमी के हो जायेंगे। क्योंकि ये मालगुजार बहुत छोटे-छोटे हैं। अधिकतर मुआविजा ५० रुपये का ही बैठेगा। और ५० रुपया का मुआविजा जिनको देना है उनको हम नकद ही देंगे जैसे कि देहात में ५० रु० मुआविजा पाने वाले जमींदारों को दिया है। वो इस तरह से तीन चौथाई जमींदार ऐसे होंगे जिनको नकद ही मिल जायगा। केवल एक चौथाई ही रह जाते हैं जिनको नकद नहीं मिलेगा। अगर उनका मंशा यह है कि अगर ये अल्फाज वहां रहते हैं और यह नहीं लिखते हैं तो लाजिमी तौर पर उनको बांड मिलेगा, नकद नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिये फिर भी रास्ता खुला

[श्री चरण सिंह]

हुआ है कि वह सभी को नकद दे दे या न दे। ५० रु० तक वाले को नकद देने की बात है इस तरह से तीन-चौथाई जमींदारों को नकद ही मिल जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि दो-तीन साल से गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है अपने डेवलपमेंट के कामों के लिये तो जहां हम औरों से कर्ज लेते हैं, अगर जमींदारों को अपने ऊपर कर्ज रख लें तो फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। सूद भी उनको मिलता ही है, जरा कम मिलता है। इसलिये शायद हम सब लोगों को नकद न दे पायेंगे जब तक कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक न हो जाय। शहरी जमींदारों को मुआविजा देने के लिये करीब दो करोड़ रुपया बैठेगा। यह मैं अनुमान से बतला रहा हूं कि गालिबन दो करोड़ बैठेगा क्योंकि जमींदारी एबालिशन बिल की रिपोर्ट में भी मेरा अन्दाजा एक अरब साढ़े ३७ करोड़ रुपये मुआविजे का था जो ठीक ही निकला। साढ़े ६८ करोड़ मुआवजा और ७० करोड़ के करीब रिहैबिलीटेशन ग्रांट बैठा, तो इस तरह से वह एक अरब साढ़े ३७ करोड़ के करीब ही हुआ। तो मेरा अनुमान है कि शायद यह मेरा अन्दाजा भी सही निकलेगा। लेकिन यह कि हम अपना हाथ बांध लें कि दो करोड़ रुपया नकद ही देंगे, यह बुद्धिमानी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री और सदन के सम्मानित सस्दयों को अपनी यह त्रुटि और अपना यह दोष बतला देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक के सामान्य विवाद में यहां उपस्थित न रह सकने के कारण मैं भाग न ले पाया। मैं अभी-अभी सीधे मुजफ्फरपुर से आ रहा हूं, क्योंकि आप श्रीमान्, जानते ही हैं कि बिहार में एक प्रांत व्यापी सत्याग्रह चल रहा है, इन तमाम सारी बातों को ही लेकर। मुझे मालूम हुआ कि इस विधेयक पर सामान्य विवाद हो रहा है तो मैं वहां से दौड़ा हुआ यहां आया मगर वह समाप्त हो चुका था। खैर, माननीय पालीवाल जी ने इस खंड ५३ में एक संशोधन पेश किया है यह सही है कि माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है, और उस संशोधन से उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कहां तक हो पायेगी मैं स्वतः समझ नहीं पा रहा हूं। मगर पालीवाल जी और माननीय माल मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय पालीवाल जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में मुआविजा पाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। जो परेशानियां हो रही है और जो दस बीस पचास रुपये मुआविजे की रकम उनको मिलती है उससे ज्यादा रुपया आने जाने के किराये में ही उनको खर्च करना पड़ता है, इन तमाम दिक्कतों को देखते हुये ही सम्भवतः उन्होंने ऐसा संशोधन रखा होगा। माननीय माल मंत्री जी उनके संशोधन के विरोध में यहां पर ऐसी बातें कह गये हैं जिनका उत्तर देना मेरे लिये अनिवार्य सा हो गया है। उन्होंने तमाम समाजवादियों और समाजवाद की व्याख्या द्वारा सन् ५० में ग्रामीण क्षेत्रों का जो जमींदारी उन्मूलन हुआ उस संबंध में जो उनकी लचर दलीलें थीं उन्हीं लचर दलीलों को पुनः दूसरे रूप में रख कर उन पुराने दोषों को दूर करने की कोशिश की है। मैं यह नहीं जानता कि इस संबंध में माननीय पालीवाल जी का क्या रुख है, वह स्वतः उसे साफ करेंगे लेकिन मैं उनको सोशलिस्ट होने के नाते बतलाना चाहता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में अन्याय की बात नहीं होती और हम अन्याय करने के लिये.....

श्री चरणसिंह---जो अन्याय किया करते हैं वह यह कब तसलीम करते हैं?

श्री राजनारायण---माननीय मंत्री जी का न मालूम कहां से यह भ्रम हो गया कि हम किसी एक तबके के साथ ही अन्याय करना चाहते हैं और इसीलिये ऐसी बात किया करते हैं। हम तो सही मानों में समाज का उत्थान और विकास चाहते हैं और उसमें हम यह देखते कि आज जमींदारी की व्यवस्था पूर्णतः बाधक है और आप देखेंगे कि मुआवजा देने की जो रीति और सिद्धांत है वह भी बाधक है। मुआवजे के संबध में माननीय मंत्री जी ने जो तर्क

दिया कि हमने ८ गुना मुआवजा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट रखी है, वह तो नाक घुमाकर पकड़ने की बात है और उनको अपना यह भ्रम दूर करना चाहिये। मुआवजे और रिहैबिलिटेशन ग्रांट या पुनर्वासन अनुदान में बहुत कुछ सिद्धांत का और बुनियादी फर्क है। जो लोग मुआवजे के उसूल को जानते हैं वह उस को बाजार भाव के अनुसार देने की कोशिश करते हैं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट के माने यह हैं कि जिस व्यक्ति के धन उत्पादन के साधन को छीना जाय और उसके बाद यदि उस के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन न रह जाय तो उस व्यक्ति विशेष को कुछ न कुछ देना चाहिये, तब तब वह पुनर्वासन कहला सकता है और वह देना चाहिये, उस हालत में उस का सद्प्रयोग कहा जा सकता है। हमें उस शब्द के साथ ईमानदार रहना चाहिये और जो इस की कोशिश करेगा वह निश्चित रूप से इसका यही अर्थ लगायेगा कि पुनर्वासन देने की सबको आवश्यकता नहीं होगी कि जिस की भी जमीन ली जाय उसको मुआवजा दिया जाय। रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो केवल उसको देना चाहिये जिस के पास जीवन निर्वाह के दूसरे साधन न रह जायं। मुझे अफसोस है कितने दिनों के बाद और इतने दिनों तक राजस्व मंत्री पद सम्हालने के बाद भी वह रिहैबिलिटेशन ग्रांट शब्द के साथ इस प्रकार का खेल कर रहे हैं। हम मुआवजा देने के सिद्धांत के विरोधी हैं और रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने के पक्ष में हैं लेकिन यह पुनर्वासन उसी को देना चाहिये कि जिस के पास जीवन निर्वाह के दूसरे साधन नहीं रह जाते।

एक बात और देखी जाय कि माननीय माल मंत्री जी जब पालीवाल जी का विरोध करते हैं तो पालीवाल जी के संशोधन का विरोध करते हुये वह कहते हैं कि पालीवाल जी ने जो पहले ८ गुना देने की बात की और अब वह नकद देने की बात करते हैं तो दोनों बातें परस्पर विरोधी हो जाती हैं। यह दूसरी बाद है कि इस वक्त ८ गुने के उसूल को मानें या न मानें लेकिन जब पालीवाल जी कहते हैं कि ८ गुना मुआवजा दो वह यह भी कहते हैं जिनको दो उनको ठीक तरीके से दो। यह समझ में नहीं आया कि उन दोनों में परस्पर विरोध कैसे हुआ और मालूम नहीं कि माननीय मंत्री जी इस धारा का कैसे समर्थन कर रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि "इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बंधों के रूप में अथवा अंशतः नगदी और अंशतः बंधों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय दिया जायगा, "

अब मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह नागर क्षेत्र जमींदारी विनाशक विधेयक इस सदन में कितने बिलम्ब के बाद आया और मैं आपके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, बिना किसी हिचक के कि यह केवल इलेक्शन स्टन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें।

श्री राजनारायण——हां इसी पर बोल रहा हूं। यह तो ....

श्री उपाध्यक्ष——अभी तक यह भी प्रकट नहीं हुआ कि माननीय सदस्य समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री राजनारायण——कुछ नहीं कर रहा हूं न विरोध न समर्थन। हम एक सुझावात्मक व्याख्यान दे रहे हैं और मुझको संशोधन देने का मौका नहीं मिल पाया, वरना संशोधन देता। समय कम होने की वजह से लिख कर नहीं दिया। अब वह चीज मैं अपने भाषण के रूप में कह देना चाहता हूं। मेरा तो नुक्तेनजर यह है किसी को मुआविजा न दिया जाय। यह तो पहली बात है। और दूसरी बात रिहैबिलिटेशन ग्रांट अपनी शक्ति को देखते हुये जिनके पास जीवन निर्वाह के दूसरे साधन न रह जायं उनको दिया जाय। जिनके पास अतुल सम्पत्ति हो, जो दूसरे साधनों से धन अर्जित करते हों उनको एक पैसा नहीं मिलना चाहिये। यह हमारा संशोधन होता और यह हमारा मकसद है। हम उसको स्पष्ट कह देना चाहते हैं। इसीलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यहां पर

[श्री राजनारायण]

यह निवेदन करना चाहता हूं इतने विलम्ब के बाद केवल चुनाव के प्रचारार्थ लाये ताकि लोग बड़-बड़े मोटे अक्षरों में पढ़ें नागर क्षेत्र जमींदारी का विनाश हो गया। आपकी कृपा से तृतीय वाचन में बोलने का मौका मिलेगा तब अपने मकसद को उपस्थित करूंगा। मेरा कहना है कि क्यों मुआवजा दिया जाय? अंग्रेज गवर्नमेंट है नहीं, १९३५ का एक्ट है नहीं...

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं मुआवजा दिये जाने या न दिये जाने का प्रश्न तो है नहीं।

श्री राजनारायण——वही तो है। कैश में दिया जाय माननीय माल मंत्री ने अपने भाषण में कहा हमारे पास रुपया नहीं है। मैं उसका जवाद दे रहा हूं जब रुपया ही नहीं तो मुआवजा ही क्यों देते हैं। जब से हम लोग इस सदन में आये हुये हैं प्रथम जमींदारी उन्मूलन नागर क्षेत्र की होगी, इस तरह का मसविदा पेश हुआ। ४,५ वर्ष बीत गये अब अंतिम समय में विधेयक आया और इस समय भी हुकूमत कहती है पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है तो हमको ईमानदारी के साथ कह देना चाहिये एक तो पैसा नहीं है और एक मुआवजा देने की बात सोचना भी प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। इन दोनों को दृष्टिकोण में रखते हुये सरकार को साफ-साफ कहना चाहिये कि मुआवजा देने को धन नहीं है तो क्या दिया जाय। एक तरफ तो दो करोड़ रुपया मुआवजा होगा, यह जोड़ भी सही और पहले भी कहा था एक अरब ३५ करोड़ के करीब देहाती जमींदारी में मुआवजे और रिहैबिलिटेशन के रूप में लोगों को मिलेगा वही हुआ। तो आज जब इतने साल के बाद सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है तो अब सरकार को साफ कहना चाहिये था कि कितना वह नगदी में देगी, कितना बौंड में देगे, कब नगदी देंगे कब बौंड में देंगे, कब नियत करेंगे, एक साधारण लकीर के फकीर बने हुये हैं और वह अंग्रेजों से सीख लिया है मंत्री जी ने जो भी विधेयक हो उसमें एक वाक्य अन्त में जुड़ जायगा, "जैसा भी नियत किया जायगा दिया जायगा।" चाहे नगदी में दिया जायगा, चाहे बौंड में दिया जायगा, कितना दिया जायगा कब दिया जायगा इसकी सफाई क्यों नहीं हुई। ४ वर्ष के बाद भी सरकार इस पोजीशन में नहीं हुई कि साफ कह दे आज भी सरकार यह अधिकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है कि जैसा कि नियमों में निश्चत करें, दिया जायगा, यह खोखलापन है बुद्धि का या नहीं, यह बौद्धिक दिवालियापन है या नहीं। श्रीमन्, हम ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहते। मगर मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि सरकार को सोचसमझ कर के कदम उठाना चाहिये और सदन के सम्मानित सदस्यों को सोच-समझ कर के अपनी सम्मति व्यक्त करनी चाहिये; अगर हम सोचसमझ कर के अपनी सम्मति व्यक्त करेंगे तो माननीय नवलकिशोर जी भी इससे सहमत होंगे यद्यपि वह इस समय सदन में इधर उधर घूम रहे हैं बहुत। वह भी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के विधेयक की यह धारा वेग है, अनिश्चित है। यह इतने दिनों तक सरकार को तो जो समय मिला था उस समय के साथ सरकार ने खेल किया। इतने समय के बाद सरकार का निश्चित रूप में न आना कि कितना मुआवजा होगा, कितना वह नगदी में दे सकती है, कितना नहीं दे सकती है, कितने का बांड देगी, क्या-क्या उसके लिये नियम उपनियम बनेंगे, इन तमाम बातों को गोल और अन्धकार में रखकर केवल प्रचारार्थ यह विधेयक लाकर रख दिया गया। अगर कोई कम देने को कहेगा तो कहेंगे कि अन्याय करने को कह रहे हैं। आखीर क्या कसौटी है सरकार के पास, किस कसौटी पर कसना चाहती है सरकार कि यह व्यावहारिक है या अव्यावहारिक, न्याय है या अन्याय। जमींदारी उन्मूलन क्यों होता है, श्रीमन्, इसका कुछ अर्थ होगा, इसका कुल मतलब होगा, कुछ लाभ होगा, समाज की कोई व्यवस्था बनानी होगी। कोई इसका खाका दिमाग में है? सारी समाजवादी मान्यताओं या मैं तो कहता हूं कि जनतांत्रिक मान्यताओं या कल्याणकारी राज्य की मान्यताओं को भुलाकर के इस तरह का लचर विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है।

मैं पुनः जोर के साथ कहना चाहता हूं कि आप हमारे संशोधन को मानें और अगर आप हमारे संशोधन को रखने की अब भी इजाजत दें तो मैं अपने इस संशोधन को रखना चाहता हूं कि इस क्लाज को निकाल दिया जाय। इस क्लाज को निकालकर के केवल रिहैबिलिटेशन ग्रांट रखी जाय और रिहैबिलिटेशन ग्रांट केवल उनको दी जाय, जिनके पास जीवन-निर्वाह का समुचित साधन न रह गया हो। जिनके पास जीवन निर्वाह के समुचित साधन हों, एक हजार रुपये महीने से ज्यादा की आमदनी जिनके पास हो, उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिये। किसी नाम पर भी नहीं दिया जाना चाहिये। यह हमारा स्पष्ट संशोधन है और श्रीमन्, अगर आप इजाजत दें तो लिखकर के संशोधन के रूप में भी मैं अभी दे दूं जिससे कि आप उस पर सम्मति भी ले लें।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय पालीवाल जी ने जिस प्रेरणा से यह संशोधन रखा है यह जहां तक मेरी समझ में आया देहाती क्षेत्रों की जो जमींदारी समाप्त हुई और माननीय मंत्री जी ने उन जमींदारों को जो मुआवजा देने का अधिकार दिया और वह मुआवजा लेने के लिए उनको यह अधिकार हुआ कि वह तहसील में जाकर ले लें। श्रीमन्, उन जमींदारों को वह मुआवजा पाने में जो दिक्कत हुई और हो रही है वह करीब करीब हम माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं। जमींदारों को वह मुआवजा लेने के लिए तहसीलों में बीस-बीस बार जाना पड़ा। जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वह मुआविजा उनके आने जाने के खर्च में और इधर उधर देने में खर्च हो गया। यानी एक तरह से लेने के देने पड़ गए। तो यह सब इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय पालीवाल जी ने यह रखा कि जो उनको दिया जाय व नकद रूप में मिल जाय। श्रीमन्, सरकार जो है कानून ऐसे गोल मोल बनाती है वह जिस तरह से लोग देहातों में कहते हैं, एक बहुत देहाती किस्सा है कि कनियवों के भाई और बर वो के भाई, यानी दोनों को खुश रखने के लिए किसानों को यह पता चले कि जमींदारी खत्म हो गई और जमींदारों को यह हो गया कि उनको मुआवजा मिल गया। इस गोल-मोल तरीके से दोनों को खुश नहीं किया जा सकता। श्रीमन्, देहाती जमींदारी टूटी, लेकिन उन देहात के किसानों को और उन जमींदारों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कोई चीज टूट जाय और उसका भी फायदा उस को मिल जाय तो भी ठीक है, लेकिन जमींदारी इस तरह से टूटी कि किसान भी नहीं समझता कि जमींदारी टूटी है। उससे लगान उतना ही लिया जाता है, बल्कि अधिक लिया जाता है। और जमींदारों को जो मुआवजा मिलना चाहिये था वह अगर ठीक तरह से मिल गया होता तो उस रुपये से जमींदार अपनी हर तरह से तरक्की कर सकते थे, हिफाजत कर सकते थे, लेकिन उनको भी न मालूम कब तक मिलेगा और बांड और नकदी के रूप में जो मिला है वह भी आपके सामने है। जिस तरह से देहातों में एक किसान ऊख चूसता है और गन्ने को बीच से तोड़ देता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं। जो उनको चूसता है उसको भी मजा और स्वाद मिलता है? लेकिन यदि इस प्रकार गन्ना तोड़ा जाय कि टूटने के बजाय ऐंठ जाय तो रस नीचे निकल जाता है, न गन्ने में गया, न कहीं और गया, वह तो जमीन पर गिर गया। ठीक इसी तरह से जमींदारी तोड़ने का जो कानून माननीय मंत्री जी ने बनाया है वह देहाती और शहरी क्षेत्र में है। उसमें न उनको फायदा मिलता है जिनकी जमींदारी टूटी है और न जो उससे फायदा उठाने वाले हैं उनको मिलता है। तो माननीय पालीवाल जी ने इस भावना से प्रेरित होकर इस संशोधन को रखा है कि नकदी के रूप में उनको जो कुछ देना है वह दे दें, उनको लटकायें न रखें। जो कुछ तय किया है वह उनको नकदी के रूप में देना चाहिये।

श्री नवलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है और माननीय राज नारायण जी ने जो उस पर भाषण दिया वह मैंने सुना। मेरा अपना विचार है कि उन्होंने जो बातें उसके सम्बन्ध में कहीं उनका उस संशोधन से कोई

[श्री नवलकिशोर]

विशेष संबंध नहीं था। उन्होंने तो सारी स्पीच इस बात पर दी कि गवर्नमेंट को कंपेन्सेशन देना चाहिये या नहीं देना चाहिये और यह भी उन्होंने एक बात कही कि वह चाहते हैं कि वह एक इस किस्म का संशोधन पेश करें कि इस खंड को निकाल दिया जाय और उसकी जगह रिहैबिलिटेशन ग्रांट के तौर पर कुछ देने की बात रखी जाय। मैं यह समझता हूं कि जहां तक कम्पेंसेशन की बात है वह इस समय हमारी बहस में नहीं है। विधान में हमने इस बात को स्वीकार किया है कि जब हम किसी के अधिकारों को लेंगे या उनकी जायदाद या प्रापर्टी लेंगे तो उसका कम्पेंसेशन देंगे। यह दूसरी बात है कि वह कितना हो और उसका क्या रूप हो, यह जो वहां की स्टेट असेम्बली है, जो विधान-सभाएं हैं वे उसका निर्णय करेंगी। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर इस समय किसी किस्म की बहस या उल्लेख उचित नहीं है।

दूसरे, इस विधेयक में जो खंड ५० है उसको हम पास कर चुके हैं और उसमें भी यह बात है कि हमको कम्पेंसेशन देना है। तो उसके विरोध की तो यहां कोई गुंजाइश थी नहीं। जहां तक कि माननीय पालीवाल जी ने कहा...

श्री रामसुभग वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय पालीवाल जी ने जो अपना संशोधन रखा जिसमें उन्होंने यह मांग की कि गवर्नमेंट को जो कुछ देना है उसको अगर कैश पेमेंट कर दे तो ज्यादा अच्छा है और उन्होंने इसकी दलील यह दी कि जमींदारी के सम्बन्ध में, जो देहाती क्षेत्रों की जमींदारी खत्म की गयी थी, गवर्नमेंट ने जो बांड्स दिये उनकी जो छीछालेदर हुई उसको देख कर उन्होंने इस भवन में यह संशोधन रखा, लेकिन कठिनाइयां दोनों तरफ हैं। यह सही है कि जो बांड्स गवर्नमेंट ने इश्यू किये इस तरह के, वह बांड्स ५० फीसदी से ५२ फीसदी तक की कीमत पर बिके। इसके माने यह हुये कि इन जमींदारों को जितना कम्पेंसेशन गवर्नमेंट ने दिया उससे उनको आधा ही मिला। गवर्नमेंट को उतना ही मय सूद के अदा करना पड़ेगा। अच्छा तो यह होता कि गवर्नमेंट खुद जो कम्पेंसेशन तय किया गया था उसका आधा दे देती और कैश पेमेंट कर देती। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा उस समय नहीं था। यदि होता तो गवर्नमेंट या मंत्री जी जब आधे रुपये से ही काम चल जाता तो वह जरूर दे देते लेकिन दिक्कत यही थी कि उस समय पैसा नहीं था। उसूलन यही उचित है कि यदि हमारे पास इतना पैसा हो या इतने पैसे का साधन हो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ३/४ वह कैश पेमेंट कर सकेंगे। यदि ऐसा है .....

श्री चरणसिंह—मैंने ऐसा नहीं कहा बल्कि यह कहा कि ५० रुपये तक यदि नगद दिया जायगा तो वह कुल मिला कर शायद ३/४ हो जायगा।

श्री नवलकिशोर—यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो जो बात मैं कहने जा रहा था उसकी जरूरत नहीं रहती है। दूसरी दिक्कत यह है कि पिछला जो संशोधन आया था उसमें पालीवाल जी का ऐतराज था कि गवर्नमेंट नागरिक क्षेत्रों के साथ पक्षपात कर रही है। मैं समझता हूं कि यदि उनका संशोधन मान लिया जाय तो लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि जब देहाती क्षेत्र की जमींदारी खत्म की तब तो हमें बांड्स दिये और जब शहरों की जमींदारी खत्म की तब कैश पेमेंट किया और मैं समझता हूं कि १९५७ में हमारे इन्हीं

आदरणीय साथियों और बुजुर्गों को मौका मिलेगा यह कहने का कि भाइयों जब गवर्नमेंट ने देहात में जमींदारी खत्म की तो बौंड्स दे दिये और शहरों में खत्म की तो कैश पेमेंट किया मैं समझता हूं कि दोनों बातें साथ-साथ चलने वाली नहीं हैं।

इसके साथ-साथ हमारा युग डेवलपमेंट का युग है और हमारी इस बात की भर पूर कोशिश है कि हम जो एक एक पैसा इकट्ठा कर सकें उनको विकास के कार्य में लगायें ताकि प्रदेश का आर्थिक विकास हो। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यह सम्भव भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इसके अन्दर मैंने पढ़ा है वह यह है कि कैश देंगे या बांड्स देंगे या कुछ हिस्सा कैश का देंगे या कुछ हिस्सा बांड्स का देंगे तो सरकार की नीयत यह है कि जहां तक आर्थिक साधन आज्ञा देंगे वह कैश देंगे। यह सही है कि जहां तक आपका विचार है और आपने अनुभव किया पिछले बांड्स का उसको को देखते हुये उचित मालूम होता है कि चाहे कम्पेंसेशन कम दिया जाय लेकिन उसका कैश पेमेंट हो तो अच्छा है। लेकिन व्यवहारिकता की बात देखें तो यह सम्भव नहीं है और फिर वही पक्षपात वाली बात आ जायगी। मैं समझता हूं कि पालीवाल जी इसको वापस ले लें और गवर्नमेंट की तरफ से यह होना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो कैश पेमेंट दे दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो गया है कि मेरा यह संशोधन उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े सदन के सामने रखे, उनसे भी मेरे संशोधन का समर्थन और पुष्टि हो जाती है। मैंने यह निवेदन किया था कि जो बांड्स देहाती क्षेत्र के जमींदारों को दिये गये हैं, वह मोटे तौर पर उन बेचारों को उनकी आधी कीमत ही मिली है। मैंने मोटी बात कहीं थी। माननीय माल मंत्री जी ने, जिन्हें आज कल आंकड़ों का बहुत ज्यादा शौक लग गया है, आंकड़ों से मेरी बात को सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि जब से इन्श्योरेंस नेशनाइलजेशन हो गयी है तब से इन बांड्स की कीमत ५० फीसदी से भी कम, ४३–४४ फीसदी रह गयी हैं। और उन्होंने कहा कि उनके सम्बन्ध में भी इस अन्याय को सरकार महसूस कर रही है। मैं यह तो कहूंगा नहीं, जैसा और विरोधी साथी कहा करते हैं कि चूंकि उनको वोट लेना है इसलिये यह अन्याय थोड़े दिनों के लिये दूर किया जा रहा है, मेरी आदत ऐसी नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात के सम्बन्ध में ही यह कहूंगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो यह बात कही कि अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को दूर करने के लिये वे कहते हैं कि उन बांड्स पर दो-तिहाई तक तकावी मिल जायगी। यानी ६६ फीसदी की कीमत उनको तकावी के रूप में मिल जायगी। इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि चूंकि उनको बांड की आधी कीमत मिल रही है इसलिये सरकार उन पर कृपा करके तकावी के रूप में रुपया ज्यादा देना चाहती है और वह ज्यादा भी दो-तिहाई से ज्यादा नहीं। एक तिहाई, यानी ३३ फीसदी उनको फिर भी नहीं मिल रहा है। इसलिये माननीय माल मंत्री के आंकड़ों से मेरी यह बात साबित हो गयी है कि जो पिछले बांड्स दिये गये थे उनकी आधी कीमत जमींदारों को नहीं मिल रही है और उन बांड्स के सम्बन्ध में जमींदारों की यह भावना है कि हमारे साथ छल किया गया, कहा यह गया कि हम इतना दे रहे हैं और असल में मिला उसके आधे से भी कम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत हमारे प्रदेश में सभी जगह प्रचलित है कि उस दाता से सूम भला जो बार-बार परेशान करने के बजाय एक दफा नहीं कर दें, ताकि उस के पास बार-बार जाने का मौका न पड़े। तो इसी सिद्धान्त पर मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि आप जैसे १६ गुना देने वाले दाता का पुण्य लेकर उनको बार-बार परेशान करके देने वाले से तो वह सूम भला होता कि यह कह दे कि हम तुमको १६ गुना नहीं दे सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम ८ गुना देंगे। और जब आप दो-तिहाई देने की

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बात कह रहे हैं तो उस हालत में आपने जो दो करोड़ का हिसाब लगाया तो उसका दो-तिहाई कितना होता है और वह दो-तिहाई आप दे सकते थे, क्योंकि माननीय माल मन्त्री ने खुद यह कहा कि ५० रुपये तक नकद के रूप में जो दिया जायगा वह तीन-चौथाई के करीब हो जायगा। कुल दो करोड़ हैं। तो-तीन-चौथाई के करीब तो आप दे सकते हैं। तो अगर आप दो-तिहाई रख देते, यानी १६ गुना न रख कर १२ गुना रख देते तो आप सबको पूरा नकद दे सकते थे? तो बजाय इसके कि आप कहते कि यह १६ गुना है और वे बेचारे मुश्किल से ८ गुना पायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि जो बात आप करना चाहते हैं वह साफ-साफ कीजिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि--

"का वर्षा जब कृषि सुखानी।"

जब खेती सूख गयी तो बरसने से क्या लाभ। जब वह जमींदार बेचारा मर जाय, उसके बाल बच्चे भी न रहें तब अगर उसे ४० साल बाद के बांड का रुपया मिला तो उससे उसको क्या फायदा होगा। इसी तरह से यह बांड वाली बात अच्छी नहीं है। और एक बात कही माननीय माल मंत्री जी ने। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ बातों को, एक आध दलील को वह तोते की तरह से दोहरा दिया करते हैं और यह भी नहीं समझ पाते कि वह बात उनके अनुकूल पड़ रही है या प्रतिकूल। उदाहरण के लिये उन्होंने यह कहा कि नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिहैबिलिटेशन ग्रांट कह लीजिये चाहे मुआवजा कह लीजिये। अगर ऐसा है तो यहां माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुये हैं और जब वे यह कहते हैं कि हम इन संस्थाओं को अनुदान देते हैं तो अगर वे यह कहें तो मैं यह संशोधन यहां ले आऊंगा कि अनुदान की जगह शब्द "कर्ज" रख दिया जाय। नाम में क्या है। नाम में तो माननीय माल मन्त्री जी के कहने के मुताबिक कोई अन्तर है ही नहीं। अनुदान और कर्ज में कोई अन्तर नहीं है ऐसा माननीय माल मन्त्री जी कहते हैं जब नाम की बात करते हैं। इसी तरह से माननीय माल मन्त्री जी की राय ऐसी मालूम पड़ रही है कि अपने गुरुजी को दक्षिणा न दे कर हम नौकरी दे रहे हैं और कहें कि आपको रुपया तो मिलेगा ही चाहे नौकरी के नाम पर ले लो, चाहे दक्षिणा के नाम पर ले लो। माननीय माल मंत्री जी की राय है कि नाम में कुछ नहीं है तब वे शायद नाम की महिमा, शब्द के माने, शब्द की महिमा, शब्द के महात्म्य को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसके विपरीत हमने तो सुना है कि नाम की महिमा बहुत बड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम का नाम राम से भी बड़ा है।

"राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल अधम उधारी।"

पुराणों की बात छोड़ दीजिये। छत्रपति शिवा जी को इलाहाबाद में जब वे औरंगजेब की कैद से भाग कर जा रहे थे दो मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया और छत्रपति जी का कार्य समाप्त हो जाता अगर छत्रपति शिवा जी ने अपना नाम गरज कर न कहा होता कि तुम जानते नहीं हो मेरा नाम शिवा जी है। उनका नाम सुन कर सिपाहियों ने उनको छोड़ दिया और भाग गये और शिवा जी बच गये। इसी तरह से नेपोलियन के जीवन में एक कथा है। एक बार जब ढाई तीन सौ शत्रु सैनिकों ने घेर लिया। तब उन्होंने कड़क कर कहा "I am Napoleon and Command yon to surrender"

नैपोलियन का नाम सुनकर वे भाग गये। तो नाम का महत्व होता है, शब्द का महत्व होता है, शब्द की महिमा होती है, उनका यह कहना कि शब्द में क्या है, नाम में क्या है सही बात नहीं है। शब्द का प्रभाव होता है, शब्द की महिमा होती है, उसका महात्म्य होता है। मुआवजा, जैसा कि माननीय राजनारायण सिंह जी ने कहा कि मुआवजे में पुनर्वासन में बहुत बड़ा अन्तर है।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा होता है कि हम माननीय पालीवाल जी की स्पीच नहीं सुन रहे हैं, बल्कि "सैनिक" के सम्पादक की तकरीर सुन रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा पड़ रहा है कि माननीय चरणसिंह बारबार यहां बाहर की बात कह रहे हैं उन्हें बारबार बाहर की याद आती है और बाहर की चीज सदन में दिखलाई पड़ रही है और इस लिये मेरा अनुभव यह हो रहा है कि जैसी दलीलें बाहर दी जाती हैं वैसी दलीलें वे कभी-कभी सदन में देने लगते हैं। इस विषय में अब और अधिक न कहूंगा। मैं राजनारायण जी से इस बात में सर्वथा सहमत हूं कि मुआविजे में और पुनर्वासन में बड़ा अन्तर है, फंडामेंटल अन्तर है, आधारभूत अन्तर है और सैद्धांतिक अन्तर है। और उनका यह कहना कि समाजवादी मुआविजे के खिलाफ नहीं है तो राजनारायण सिंह जी का आज का जो भाषण है वही इस बात का सबूत है कि वह बात सही नहीं है। माननीय माल मंत्री जी इस रिपोर्ट को ही पढ़ें जो कि उन्होंने अभी आज ही पेश की। इस रिपोर्ट में भी जो माननीय गेंदासिंह जी और नारायणदत्त तिवारी जी का विरोधपत्र है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि हम मुआविजा दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं यह स्पष्ट है। तो इस प्रमाण के होते हुये भी मनोसृष्टि के आधार पर यह कहना कि समाजवादी पार्टी मुआविजे का विरोध नहीं करती वह सही नहीं है। इसलिये सवाल आखिर में यही रहता है कि यह नकदी में दिया जा रहा है या नहीं।

माननीय माल मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमने नकदी में देने की मनाही नहीं की है। हमने यह कहा कि नकदी में भी दिया जा सकता है और बांड्स में भी दिया जा सकता है। यह विकल्प है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि यह विकल्प नहीं रहना चाहिये और इस विकल्प का कायाकल्प हो जाय विकल्प हटकर इस खंड का कायाकल्प हो जाय; इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि विकल्पों के ही कारण यह सब गड़बड़ी है और अगर सरकार के हाथ में यह विकल्प न रहें कि चाहें कम्पेंसेशन नकदी में दें या बांड्स में दे तो वह गड़बड़ी पैदा करेगा। माननीय माल मंत्री महोदय ने यह कहा कि मेरें दोनों संशोधन संगत नहीं हैं और जब मैंने वह संशोधन पेश किया था कि १६ गुने का ८ गुना कर दिया जाय और जब मैं यह कहा रहा हूं कि बांड्स में न देकर के नकदी में दिया जाय तब मैं समझता हूं यह दोनों में पूर्ण संगतता है। मैंने पहला संशोधन इसलिये पेश किया था जैसा माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि जितना मुआविजा देहातों में दिया गया उतना ही मुआविजा यहां दिया जाना चाहिये उससे ज्यादा मुआविजा देना मैं समझता हूं कि गलती होगी पक्षपात होगा शहरों के साथ और देहातवालों के मन में यह बात पैदा होगी कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन यह बांड्स के मामले में चूंकि देहात के भाइयों के साथ यह अन्याय किया जा चुका है तो अन्याय के निराकरण के लिये, जो देहात में हुआ वह शहरों में न किया जाय। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि यह अन्याय यहां नहीं होना चाहिये और नकदी में यह होना चाहिये। मुआविजा दूसरी बात है, वह अधिकार की बात है। अब एक ही बात रह जाती है। नवलकिशोर जी ने भी यह कहा। सिद्धांततः तो मालूम पड़ता था कि वह मेरे संशोधन से सहमत हैं लेकिन उन्होंने कहा कि कठिनाइयां प्रेक्टिकल हैं।

मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना है आप के द्वारा माननीय नवलकिशोर जी और माननीय मंत्री जी से कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं उनसे मालूम पड़ता है कि यह व्यवहारिक कठिनाइयां नहीं हैं, वह काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। जहां तक मैं समझा माननीय माल मंत्री जी ने यह कहा कि यह मुआविजा करीब दो करोड़ के होगा। और मैं तो उन लोगों में से हूं कि जो उनके आंकड़े ले कर उन्हें मान कर उसी के आधार पर अपनी बात कहता हूं। जो एक कहावत है कि जेन्टिलमेंस वर्डस मस्ट आर्डिनरिली बी बिलोव्ड, उस पर मैं विश्वास करता हूं। वह अपने विषय के अधिकारी हैं। जब वह स्वयं कहते हैं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कि यह दो करोड़ के करीब होगा तो मैं यह नहीं समझता कि यह २० करोड़ के लगभग हो जायगा इसमें उन्होंने यह भी कहा कि हम तीन-चौथाई के करीब तो नकदी में ही दे देंगे। दो करोड़ का तीन चौथाई, करीब १५० लाख रुपया तो वह नकदी में हीं दे देंगे और बाकी ५० लाख रुपया वह बांड्स की शक्ल में देंगे और इस एक चौथाई की वजह से पूरे समाज में वह अपने बारे में भ्रम पैदा करेंगे कि सरकार ने मुआवजा नकदी की शक्ल में न देकर बांड्स वाली बात रखी है। तो वह जो काम करने जा रहे हैं वह सरकार की दृष्टि से भी मैं समझता हूं ठीक न होगा और अनावश्यक रूप से इस संशोधन को न मान कर वह यह धारणा जनमत में पैदा करेंगे कि सरकार जो काम कर सकती है वह नहीं करने जा रही है। क्योंकि वह एक दफा गलती कर चुके हैं देहात के मामले में और अब उस गलती को दूर करने में उन्हें शर्म मालूम पड़ती है इसलिये वह न्यायसंगत बात नहीं करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस हठधर्मी को छोड़ कर बुद्धि और विवेक से काम लेगी और इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खैर अपनी मना रहा था कि अच्छा हुआ कि जब यह बिल पेश हुआ था, जब इसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था और जिस वक्त इस पर डिटेल में बहस हुई थी उस वक्त माननीय पालीवाल जी इस हाउस में तशरीफ नहीं रखते थे, क्योंकि जब वह इस छोटी सी चीज पर इतने जोश-खरोश के साथ बोल सकते हैं तो लम्बी बहस और बड़े-बड़े मामलों पर जब उनको बोलने का मौका मिलता तो वह तकरीरें एक सुनने की बात होती। मैं दाद दे रहा था माननीय पालीवाल जी को कि कोई बात तकरीर करने के लायक इसमें नहीं थी तब भी वह आधा घंटा बोल गये और किसी बात का जवाब नहीं। मसलन मैंने कहा था कि रुपया नकद नहीं दिया जा सका, इसलिये गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं था।

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस बात का कोई जवाब नहीं और बेचारे जमींदार और अन्याय और न जाने क्या-क्या बातें आपकी तकरीर में आ गई। हमें १३७ करोड़ रुपये के करीब मुआविजे का पड़ता था। अगर हम उसका आधा ६९, ७० करोड़ रुपया भी देते तो वह भी नकद नहीं दे सकते थे। गवर्नमेंट रुपया नकद लाये कहां से देने के लिये? आज जो यह दलील दी गई कि उन बेचारे जमींदारों के साथ अन्याय हो रहा है तो मैंने यह कहा कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। नकद रुपया हमारे पास नहीं था इसलिये मुआवजा नकदी की शक्ल में नहीं दिया जा सकता था। दुनिया में आज तक कहीं भी मुआविजा नकद नहीं दिया गया है कहीं के भी जमींदारों को। हमेशा बांड्स दिये गये हैं। रूस में तो १८६१ के आस-पास जो बांड्स दिये गये थे वह ६० साल के थे। साउथ ईस्ट योरप में जहां भी जमींदारियां खत्म हुईं हर जगह ४०,३० और ५० साल की मुद्दत रखी गयी। तो यह गवर्नमेंट ने गलती नहीं की और कोई दूसरा इलाज नहीं था। जिन बांड्स का ४० साल में भुगतान होना है अगर हम चाहें कि उसका नकद रुपया आज ही ले लें तो उतना तो मिल ही नहीं सकता।

दूसरी बात यह है कि वह कहते हैं कि अब गवर्नमेंट जो तकावी में दे रही है वह दो तिहाई दे रही है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट कर्जा देती है तो वह जमीन की सिक्योरिटी का दो तिहाई दिया जाता है। हाउस प्रापर्टी पर ५० फीसदी कर्जा मिलता है और जमीन की सिक्योरिटी पर दो तिहाई कर्जा मिलता है। अगर कोई जमीन की जायदाद ३ लाख की है तो उस पर दो लाख रुपया कर्जा मिलेगा। अगर कोई हाउस प्रापर्टी ३ लाख की है तो उस पर डेढ़ लाख रुपया कर्जा मिलेगा। यही सफिशियेंट सिक्योरिटी मानी जाती है। इस वजह से उसकी फेस वैल्यू देखकर यह दो-तिहाई दिया गया है।

दूसरी बात कही कि ४०,४० में इस समय बांड बिक रहे है । उस समय ६३ में बिकत थे जिस वक्त इन्श्योरेंस नेशनलाइज हुई उसके बाद उसकी कीमत ४२ हुई और उसके बाद ५० से भी ज्यादा उसकी कीमत हुई। अब तकावी में लेना हमने मंजूर कर लिया है तो जरूर उसकी कीमत बढ़ रही होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी उसकी कीमत हो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कसूर नहीं है और न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है । ४० साल में उसको १०० रुपये का १६० रुपया दिया जायगा । एक बात पालीवाल जी ने और कही थी उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर मौजूद नहीं थे । मैंने यह कहा था कि जमीदारों को जो उनकी जायदाद लेने के एवज में नकद रुपया दिया जाता है तो चाहे वह उसको मुआवजा कह दें या रिहैबिलिटेशन ग्रांट कह दें लेकिन आपने यह फरमाया कि रिहैबिलिटेशने ग्रांट और मुआवजा में उतना ही फर्क है जितना ग्रांट और लोन में फर्क होता है । माननीय पालीवाल जी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने एक बजट भी यहां पर पेश किया था तो क्या उस वक्त उन्होंने ग्रांट को और लोन को कन्फयूज्ड कर दिया था इस वजह से कि वह यह समझते थे लोन में और ग्रांट में कोई फर्क नहीं है । लोन वापस लिया जाताहै मय सूद के और रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन दोनों में से कोई वापस नहीं लिया जाता है । फिर वह कैसे कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेंसेशन में उतना ही फ़र्क है जितना रिहैबिलिटेशन और लोन में फर्क है । आपका मतलब यह है कि जो हम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट या कम्पेंसेशन दे रहे हैं वह लोन की शक्ल में दे रहे हैं ।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि साहेब, नैपोलियन में और मामूली सिपाही में क्या कोई अन्तर नहीं है ? अन्तर है, लेकिन मैंपूछना चाहता हूं, अगर यहां कोई जमींदार हो तो १ रु० रिहैबिलिटेशन ग्रांट का और १ रु० मुआवजे का, इन दोनों में कितना अन्तर है । दोनों १६ आने में बिकते हैं । जबकि नैपोलियन की हैशियत अरबों की रही होगी तो सिपाही की अवश्य कम होती है। इन दोनों में इसलिए बहुत अन्तर है । मैं तो अभी लाबों में बैठा हुआ पालीवाल जी की तारीफ कर रहा था मगर अब मैंने यहां उनकी यह तकरीर सुनी । नजर लग गई । आगे चल कर तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि नजर न लग जाय ।

श्री अध्यक्ष--यह आप के आने का असर हुआ ।

श्री चरणसिंह--एक अंगेजी की कहावत है कि " He can blow hot and cold in the same breath " एक ही स्वांस में गरमी और ठंड दोनों हैं । जमींदारों को मुआवजा ज्यादा दिया जा रहा है, १६ गुना । कितनी बेइन्साफी हो रही है । पालीवाल जी की तकरीर से एक ओर तो यह मालूम होता है कि नहीं मालूम कितना बड़ा मान्सटर है जिसके साथ हम रिआयत करने जा रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि यह बेचारा जमींदार । यह शब्द मैंने लिख लिये आधे घंटे में इस बेचारे जमीदार का और मान्स्टर का कैसे कायाकल्प हो गया । आखिर उनके दिमाग की वर्किंग इन्इस्क्रूटेबिल है :

मैंने निवेदन किया था कि जैसे धारा के शब्द आज हैं उसमें सरकार इसके लिये मजबूर नहीं है कि बांड्स में ही दे । नकद भी दे सकती है और जुजन नकद और जुजन बांड्स में भी दे सकती है और अगर हमारे एक्सचेकर की हालत ने इजाजत दी तो नकद दे देंगे । तीन-चौथाई नकद दिया जा सकता है, मैं नहीं कह सकता । छोटे जमींदार को हम नकद दे देंगे चूंकि ५० रुपये तक तो हमने देहात में भी नकद दिया है । अगर हमको वह डेढ़ करोड़ रुपया देना पड़ा तो वह भी हमको बहुत मैटर करता है, क्योंकि रुपया है नहीं। एक-एक पैसे के हम मुहताज हैं । अगर पालीवाल जी आबपाशी और मालगुजारी के लिये दुगुना करने का प्रस्ताव लावें तो हम तो उसे फौरन स्वीकार कर लेंगे । बिना रुपये के हमारे सूबे की रफ्तार धीमी होती जा रही है । कोई दलील पालीवाल जी ने नहीं दी जिसका मैं जवाब दूं । इन शब्दों के साथ फिर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५३ में पहली पंक्ति के शब्द "नगरी में" के बाद "बन्धों" से लेकर समूची दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में "ऊाय" और कामा तक निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५४--८२

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

५४--(१) यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) हो अथवा कोई अवयस्क हो, अथवा किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन कोई व्यक्ति हो अथवा कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (limited owner) हो तो किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों (general directions) के अधीन प्रतिकर उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बैंक के पास जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा;

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके लिये या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (utilization) और विन्यास (disposal) के अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विन्यास करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वाम्यवाला व्यक्ति नहीं समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविन्सज स्टेट्स ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों के अधीन उन आस्थानों के संबंध में, जिनके लिये प्रतिकर देय है, प्रख्यापित कर दिया गया है।

५५--यदि किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो, जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर अथवा उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दे (place at his disposal) और तब उस धनराशि का विन्यास (disposal) ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

गुजारेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि का निश्चित किया जाना।

५५-क--यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो गुजारेदार होने के नाते इस अध्याय के अधीन किसी मध्यवर्ती को दिये जाने वाले प्रतिकर के किसी भाग को किसी गुजारे के कारण पाने का अधिकारी होने का दावा करता हो, उक्त भाग को दिये जाने के लिये प्रतिकर अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे, तो प्रतिकर अधिकारी १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ७१ में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त धारा के निर्देश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

कुछ वक्फों, न्यासों या धर्मस्वों के लिये वार्षिक वृत्तियां

वार्षिक वृत्ति का भुगतान।

५५-ख--राज्य सरकार प्रत्येक वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) को जो पूर्णतः या अंशतः धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हो, और जिसके अधिकार, आगम और स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, ऐसी वार्षिक वृत्ति (annuity) देगी, जिसकी यहां आगे व्यवस्था की गई है।

दिनांक जिससे वार्षिक वृत्ति देय होगी।

५५-ग--धारा ५५-ख के अधीन देय वार्षिक वृत्ति निहित होने के दिनांक से देय समझी जायगी।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ के अध्याय ५ की धाराओं की प्रवृत्ति।

५५-घ--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ५ की धारा ७६,७९ से ८९ तक, ९१ से ९७ तक, ९९, १०१, १०२, १०४ तथा १०५ के तथा उक्त अध्याय की धारा १०५ के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन देय वार्षिक वृत्तियों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वार्षिक वृत्ति इस अधिनियम के अधीन आस्थानों के अर्जन के निमित्त, पुनर्वासन अनुदान हो।

भूमि का अधीक्षण, प्रबंध और नियंत्रण।

५६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निहित होने के दिनाँक से राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से ऐसी समस्त भूमियों और वस्तुओं के जो धारा ९ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, साधारण अधीक्षण (general superintendence), प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण का आभार कलेक्टर पर होगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदिष्ट (directed) किये जाने पर किसी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से धारा ९ के अधीन राज्य सरकार में निहित सभी या किसी भूमि या वस्तु के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा जा सकता है।

भूमि प्रबन्ध कोष।

५७--(१) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को धारा ५६ के अधीन भूमि तथा अन्य वस्तुओं के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा गया हो तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक भूमि प्रबन्ध कोष (Land Management fund) की स्थापना करेगा।

(२) कोष में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे--

(क) वे कुल धन जो इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को राज्य सरकार के लिये या उसकी ओर से मिलें; और

(ख) ऐसी अन्य धनराशियां जो नियत की जायं।

(३) स्थानीय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के संबंध में होने वाले परिव्ययों (charges) के लिये कोष को नियत रीति से उपयोग में लाये।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों का कार्यान्वित किया जाना।

५८--(१) किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी आज्ञायें और ऐसे निर्देश दे सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

(२) स्थानीय प्राधिकारी और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे तुरन्त ऐसे आज्ञायें कार्यान्वित करें और निदेशों का पालन करें।

भूमि प्रबन्ध की वैकल्पिक व्यवस्था।

५९—(१) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि:

(क) स्थानीय प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित अपने कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन, किसी उपयुक्त कारण या आदेश के न रहते हुये भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है, अथवा

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने में स्थानीय प्राधिकारी असमर्थ हो गया है या हो जा सकता है, अथवा

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकती है जो कि इस प्रयोजन के निमित्त आवश्यक जान पड़ें।

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश के अधिनियम सं १ के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा अपवाद (exception) कर सकती है जो उसके विचारानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों, और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

यू० पी० लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६१—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि-क्षेत्रों पर लागू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद कर सकती है जो राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

धारा ६० तथा ६१ के अधीन दी गयी आज्ञाओं का राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

६२—(१) इस अध्याय के अधीन दी गई कोई आज्ञा दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायगी तथा ऐसे परिष्कारों के अधीन होगी जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा उसके समक्ष रखी गयी हो।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

अधिकारी नियुक्त कर सकती है :—

६३—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों आदि की नियुक्ति।

(क) एक प्रतिकर आयुक्त (Compensation Commissioner),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officers), और

(घ) परिच्छेद अधिकारी (Demarcation Officers)।

अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

६४—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे प्रतिकर आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

अधिकार और कर्त्तव्य।

६६—(१) प्रतिकर आयुक्त और आयुक्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बने नियमों, के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)।

६७—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) अथवा प्राधिकारी (authority) को गजेट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन, प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

साक्षियों आदि को उपस्थित कराने का अधिकार।

६८—निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी तथा आयुक्त को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) के संबंध में दीवानी न्यायालयों (civil courts) को प्राप्त हैं :—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और शपथ देकर प्रकथन (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन पत्र (request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) नोटिस की तामील कराना, तथा

(घ) न्यायालय के अवमान (contempt of court) के लिये लोगों को दंड देना;

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ समन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

नोट—खंड ६५ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

६९—(१) नियत किये जाने वाले, प्रतिबन्धों या निरोधों के, अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

एक्ट ४५, १८६०

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यावलोकन इत्यादि का अधिकार।

७०—ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्यावलोकन (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है अथवा अन्य ऐसा कार्य कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद आयुक्त के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

७१—किसी प्रतिकर अधिकारी या आयुक्त के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ और २२६ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है।

वाद-व्यय

७२—इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर अधिकारी या आयुक्त द्वारा वाद-व्यय (costs) के संबंध में दी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र-युक्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों उक्त प्रार्थना-पत्र उस मुंसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

७३—इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, किया जा सकेगा, और नियत शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि पा सके।

व्यवहार का संक्रामण।

७४—(१) किसी पक्ष (party) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फरीकों को नोटिस दे कर और ऐसे पक्ष की सुनवाई कर के, जो अपनी सुनवाई चाहता हो अथवा बिना नोटिस दिये स्वतः डिस्ट्रिक्ट जज किसी समय अपने अधिक्षेत्र में किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और उसे अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to dispose of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी को, जैसी भी दशा हो, निस्तारण (disposal) के लिये संक्रामित (transfer) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके पश्चात् उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि यदि संक्रामण (transfer) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हो तो उन्हें बाधित न करते हुये चाहे वह उसकी कुल सुनवाई आदि से फिर करे या उस अवस्थान (point) से सुनवाई प्रारम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था ।

कुछ विषयों में दीवानी न्यायालयों का अधिक्षेत्र न होना।

७५—उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार, जिसका संबंध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो, किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के संबंध में परित्राण।

७६—(१) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया कोई कार्य यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन अथवा सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा ।

(२) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) अथवा अन्य हानि (injury) के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई विधिक व्यवहार नहीं चल सकेगा ।

राज्य सरकार के दायित्व की भरपाई।

७७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान कर देने पर राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक अधिकारी हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के संबंध में कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, यथावत् व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सकता है, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय ४ तथा ५ तक के अधीन व्यवहारों में राज्य सरकार का फरीक होना।

७८—(१) प्रतिकर अधिकारी के सामने अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार में राज्य सरकार एक पक्ष होगी और समझी जायगी और राज्य सरकार पर तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (intended) प्रत्येक को नोटिस कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित (nominated) अन्य प्राधिकारी (authority) पर तामील किया जा सकेगा ।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ८२ की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन होगी ।

वाद, प्रार्थना-पत्र तथा व्यवहार।

"७९—इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और व्यवहारों के संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३३१, ३३२, ३३२—क, ३३२—ख तथा ३३३ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा व्यवहारों के संबंध में लागू होते हैं, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा

प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) या अपवाद (exception) कर सकती है जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, और जो उसकी राय में आवश्यक प्रतीत हों, और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

अनुकूलनों तथा कठिनाइयों का दूर किया जाना।

८०—इस अधिनियम के सम्बन्ध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३३८ तथा ३४२ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

"८०—क—निहित होने के दिनांक से यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ जैसा कि वह नागर क्षेत्रों में लागू है, निवर्तित हो जायगा और एतद्द्वारा निवर्तित (repealed) किया जाता है।"

इस अधिनियम के अधीन व्यवहारों में अन्य अधिनियमों को लागू करना।

८१—जब तक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन व्यवस्था न की गई हो, इंडियन कोर्ट फीज ऐक्ट, १८७०, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और इंडियन लिमिटेशन, १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले व्यवहारों पर लागू होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

८२—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है :—

(१) रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद अधिकारी धारा ३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा उनका परिच्छेद करेगा;

(२) परिच्छेद के प्रस्तावों का आकार (form);

(३) आकार तथा रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद के प्रस्ताव तथा अन्तिम रूप से परिच्छेदित कृषि-क्षेत्रों के विवरण क्रमशः धारा ४ और धारा ५ के अधीन निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे;

(४) रीति, जिसके अनुसार धारा ४ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी और धारा ५ के अधीन उनका विन्यास किया जायगा (disposed off);

(५) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के निहित होने के दिनांक से पहले की कार्यवाहियां;

"(५—क) धारा ६ के अधीन अधिकार अभिलेखों का तैयार किया जाना और उनका पुनरीक्षण;"

(६) इस अधिनियम के अधीन स्थगित किये गये वादों तथा व्यवहारों का विन्यास (disposal);

(७) धारा २१ के अधीन कृषि-क्षेत्रों को हस्तगत करने (taking over) से सम्बद्ध विषय;

(८) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा २७ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायगी;

(९) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा ३५ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायगी;

(१०) प्रक्रिया, जिसकी धारा ५५ के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी को प्रतिकर की धनराशि सौंपे जाने के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायगा;

(११) धारा ६६ के अधीन किसी धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया;

(१२) अध्याय ६ के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों के संपादन तथा अधिकारों के प्रयोग की रीति और प्रक्रिया;

(१३) भूमि प्रबन्ध निधि की स्थापना और रखरखाव से संबद्ध विषय;

(१४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त भूमि प्रबन्ध निधि के उपयोग तथा उसमें से किये जाने वाले भुगतानों की रीति और प्रक्रिया;

(१५) विषय तथा रीति, जिसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकारी को अध्याय ६ के अधीन निर्देश दे सकेगी;

(१६) प्रक्रिया तथा कार्यवाही, जिसका सम्बन्ध अध्याय ६ के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों तथा कार्यों को सम्पन्न करने के निमित्त की जाने वाली किसी वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) से हो;

(१७) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बहियों तथा लेखों (books and accounts), अन्य रजिस्टरों, विवरणों (statements), विवरण-पत्रों (returns) तथा आकार-पत्रों (forms) के रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(१८) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाला पत्र-व्यवहार तथा लेखों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution);

(१९) इस अधिनियम के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वादों तथा व्यवहारों (proceedings) का चलाया जाना।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का भी अधिकार है :—

(१) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के निमित्त जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार दे कर या न दे कर;

(२) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र, वाद अथवा दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया;

(३) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(४) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(५) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस संबंध में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(६) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों (applications), अपीलों और व्यवहारों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना;

(७) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अधिकारों का किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी (officer) अथवा व्यक्ति को प्रति-निधान (delegation); तथा

(८) एक प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण (transfer)।

(४) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध (condition) के अधीन रहेगा कि नियमपूर्वक प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम गजट में प्रकाशित किये जायंगे और, यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न कर दिया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक हो पर प्रचलित हो जायंगे (come into force)।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५४ से ८२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची
(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा।

भाग—क

(१) क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैंटूनमेंट में थे :—

(क) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट,

(ख) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,

(ग) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल,

(घ) प्राविंसेज ऐंड स्टेट्स (ऐब्जार्प्शन आफ़ एन्क्लेव्स) आर्डर, १९५० में दी हुई परिभाषा के अनुसार 'एन्क्लेव' (अन्तरक्षेत्र), जो उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो।

भाग—ख

(१) कुमायूं डिवीज़न,

(२) बनारस जिले का परगना कसवार राजा,

(३) देहरादून जिले का परगना जौनसार बाबर,

(४) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग,

(५) कोई भी आस्थान या उसका भाग, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो।

भाग—ग

(१) कोई क्षेत्र जो सार्वजनिक प्रयोजन (public purpose) के लिए या सार्वजनिक उपयोगिता (public utility) के कार्य के लिए कब्जे और अध्यासन में हो (held and occupied) और जिसे राज्य सरकार ने इस रूप में घोषित किया हो अथवा जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई०, १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट, या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधायन, जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में हैं, के अधीन अर्जित किया गया हो।

स्पष्टीकरण—कोई क्षेत्र जो ७ जुलाई, १९४९ की कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन पंजीबद्ध सहकारी समिति (co-operative society) अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन पंजीबद्ध समिति (society) अथवा इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९१३ के अधीन लिमिटेड लाएबिलिटी कम्पनी द्वारा गृह निर्माण योजना के प्रयोजन के निमित्त कब्जे में हो (held) सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिये कब्जे में रखी गई समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्र जमींदारी प्रथा के विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्त्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) के अर्जन (acquisition) तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) का अर्जन तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई अमेंडमेंट स्वीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एन्शियेंट मौन्यूमेंट्स प्रीजर्वेशन ऐक्ट १९०४ में बनाया था । उसी के अनुसार अवशेषों और यादगारों का काम होता चला आया है । भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व गवर्नमेंट आफ इंडिया को पूरा अधिकार था कि वह स्मारकों, अभिलेखों या ऐतिहासिक और भी अन्यान्य जो वस्तुयें हैं उनके लिये विधान बनाये और इसी तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के शिड्यूल ७ के अन्तर्गत अब तक काम होता रहा लेकिन

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ३१ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

हम जानते हैं कि १९५० में इस देश में जनतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई और उसके पश्चात् भारत सरकार ने इसमें संशोधन करना उचित समझा। इस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत उसमें बहुत से परिवर्तन किये गये और इन परिवर्तनों के करने के पश्चात् हम देखते हैं कि भारत सरकार ने लिस्ट १, ऐन्ट्री ६७ के अनुसार यह घोषित किया कि वे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान जो संसद द्वारा घोषित किये गये हैं वे नेशनल इंपार्टेंस के स्थान हैं। इसके साथ ही साथ सूची २, परिशष्ट १२ के अन्तर्गत बहुत से स्थान ऐसे हैं जो नैशनल इंपार्टेंस के तो हैं लेकिन वह विधि पूर्वक संसद् द्वारा घोषित नहीं किये गये। अतः प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे स्थान, स्मारक, अवशेष, जो संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं किये हैं उनकी मरम्मत तथा संरक्षण प्रान्तीय सरकारें करें। अतः मैं आपकी आज्ञा द्वारा यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और यह आशा करता हूं कि स्मारकों के और अवशेषों के परिरक्षण, संरक्षण और खुदाई के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत है, सदन उस पर विचार कर के पारित करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो उसका प्रतिवेदन ३१ अक्तूबर, १९५६ तक प्रस्तुत कर दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य से मैं सहमत हूं और यह स्पष्ट है और निर्विवाद है कि आज ऐसे स्मारक प्राचीन और पुरातत्वीय स्थान और अवशेष हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का करार नहीं दिया गया है और सूची नं० २, पृष्ठ १२ के अन्तर्गत आता है कि उनकी मरम्मत, उनके संरक्षण और उनकी खुदाई वगैरह की व्यवस्था की जाय। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि हमारा देश बहुत प्राचीन देश है और इसमें भी विशेष कर हमारे प्रदेश में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का भंडार भरा हुआ है। इस बात की आशंका थी कि इनका ठीक तरह से संरक्षण नहीं किया जायगा तो कालांतर में ये स्मारक और अवशेष अपने आप नष्ट हो जायेंगे, इस लिये इनके परिरक्षण की आवश्यकता है। बहुत से पुराने अवशेष ऐसे पड़े हैं जिनकी अगर खुदाई की जाय तो हमारे प्राचीन इतिहास का उससे बहुत कुछ पता चल सकता है।

हमारे प्राचीन इतिहास पर जो अन्धकार का युग माना जाता है उस पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। मुझे इस समय एक बात याद आ गयी कि एच० जी० वेल्स ने अपनी "आउट लाइन्स आफ दि वर्ल्ड हिस्ट्री" नामक किताब में लिखा है कि एशिया और भारत की भूमि में ऐसी चीजें गड़ी हुई हैं जिनको खोद कर अगर निकाला जाय तो मानव जाति की सभ्यता, मानव जाति की संस्कृति, विकास और उसकी प्रगति के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। इसलिये उस बात को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन और भी अधिक स्वागत के योग्य हो जाता है। मैं समझता हूं कि सदन को और सदन के सदस्यों को इस पर विचार करने का अच्छी तरह से अवसर देने के लिये इसको प्रवर समिति में निर्दिष्ट कर देना चाहिये जिस से इसकी अनुसूची और खंडों को देख कर वहां आपस में विचार विमर्श करके इसका आवश्यक सुधार व परिष्कार किया जा सके। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि महीने दो महीने तक इस पर विचार करने से कोई भारी हानि पहुंचेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी और सरकार चाहे तो प्रतिवेदन पेश करने का समय कुछ पहले भी रख सकती है लेकिन मेरी राय में यह प्रवर समिति को निर्दिष्ट अवश्य होना चाहिये जिससे इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण का उपस्थित किया है, इसके उद्देश्य और कारण से मैं सहमत हूं। यह बिल सही रूप में एक आवश्यक बिल मालूम होता है और इस सदन में कई बार ऐसी चर्चा भी हुई कि हमारे प्रदेश में बहुत से स्थान ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिन की रक्षा नहीं हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी

[श्री राजनारायण]

होती है कि वह उनकी रक्षा करे और ऐसे समय में जब कि सरकार अपने को कल्याणकारी राज्य कहती है तो कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे तमाम प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का परिरक्षण करे, उन की देख-रेख करे और उनमें आवश्यक सुधार करे। ऐसा विधेयक तो इससे पहले ही सदन में आना चाहिए था लेकिन अब जब कि यह विधेयक इतनी देर के बाद भी आया है तो इसमें समुचित रूप से उन तमाम बातों का समावेश होना चाहिए कि जिन से तमाम प्रचीन और ऐतिहासिक इमारतों का और पुरातत्वीय स्थानों का परिरक्षण हो सके। इसलिए माननीय पालीवाल जी का जो तर्क और संशोधन है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि उनके संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं आती कि जिससे किसी भी ऐसे दृष्टिकोण की झलक आती हो जिससे वह कोई विलम्ब लगाना चाहते हों या चाहते हों कि बिल पारित न हो।

मैं समझता हूं कि इस सदन का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जो इसके उद्देश्य और कारणों से मतभेद रखता हो। वह इतने व्यापक और अच्छे हैं कि उनसे सब को सहमत ही होना चाहिए लेकिन उद्देश्य और कारणों से ही सारी बातें समुचित रूप से नहीं हो जातीं। इसलिए अच्छा हो कि एक निश्चित अवधि के लिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और जैसा कि अभी मालूम हुआ कि सम्भवतः यह सदन ७ तारीख तक चलेगा और उसके बाद अक्तूबर की किसी तिथि को सम्भवतः ४ से आरम्भ होगा, इसलिए इस गैप में अगर १५–२० दिन के समय में यह कुछ इम्प्रूव हो सके तो इसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति न होनी चाहिए, इसलिए मैं श्री पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बिल को जैसा कि सरकार चाहती है कि इसी रूप में अभी ऐसे ही पास करा ले, वह न कर के, जब इस गैप के बाद सदन बैठे तो जो थोड़ा सा मौका संशोधन का मिल सके वह देना चाहिए ताकि ठीक से ऐसी इमारतों का परिरक्षण हो सके। इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में अवश्य भेजा जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय मैं इसका विरोध करता हूं और इसका कारण यह है कि जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने भी कहा कि इसके जो उद्देश्य हैं उनसे यहां के सभी सदस्यगण, चाहे वे किसी दल के हों सहमत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी और उन्होंने यह भी बताया कि इसी सदन में इसी सम्बन्ध में कुछ भाइयों ने नान-आफिशियल प्रस्ताव भी रखे थे और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और यह भी सही है कि हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार भी इस सरकार का फर्ज यह था कि वह इस प्रकार का विधेयक लाती। शायद हमारे साथियों को मालूम होगा कि हमारी कौंसिल अभी इस बिल को पास कर चुकी है।

एक सदन की तरफ से यह विधेयक पास हो चुका। इसके उद्देश्यों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह भी सब जानते हैं कि इस भवन की बैठकें भी अब बहुत सीमित सी हैं। इस स्थिति में मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिसकी अवधि ३१ अक्तूबर तक रखी गई है क्योंकि शायद फिर इसको लाने का समय ही न मिले। दूसरी आपत्ति यह भी की गई कि इस विधेयक के अन्दर इस किस्म की सूची होती जिसमें उन तमाम स्मारकों और जो अवशेष खंड हैं, उन सब का जिक्र होता कि सरकार उन चीजों का प्रिजर्वेशन करेगी। मैं समझता हूं उस सूची का कोई स्थान इस विधेयक में नहीं होना चाहिये था। और यह ठीक है उसका कोई स्थान नहीं है। जो विधेयक हम बनाते हैं उसमें कुछ नियम सरकार, बल्कि सरकार क्या, यह भवन बना देता है और उन नियमों के अन्तर्गत जो भी स्मारक, अवशेष खंड आयेंगे उनकी हिफाजत करना इस सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व हो जायगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि माननीय पालीवाल जी इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है ताकि यह विधेयक जल्दी पास हो जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसके सम्बन्ध में माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने जब विधेयक देखा तो कुछ विचित्रता सी मालम हुई। इसके द्वारा हम एक सेन्ट्रल ऐक्ट को जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया हुआ ऐक्ट है उसको हम यहां ऐडाप्ट कर रहे हैं, और न सिर्फ ऐडाप्ट कर रहे हैं उसमें संशोधन ला रहे हैं। अनुसूची १ में आप देखेंगे १९०४ का जो "The Ancient monuments Preservation Act" है केन्द्रीय सरकार का वह अनुसूची १ में दिया हुआ है। उसको यहां विधेयक में उद्धरित कर दिया गया है और इसके बाद भी चूंकि केन्द्रीय सरकार का जो ऐक्ट है उसको हम यहां ऐडाप्ट कर नहीं सकते, उसमें गलतियां रह जायंगी क्योंकि उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसलिये अनुसूची २ में जो इसी विधेयक में दिया हुआ है, उसके द्वारा कुछ तरमीमें कर ली गई हैं। तो पहली बात तो मेरी समझ में यह नहीं आयी जब हमें पुराने स्थानों के, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के बारे में कोई विधेयक बनाना था तो हम लोग क्या उसको स्वयं ड्राफ्ट करके हमारी सरकार इसको प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। और फिर आप देखेंगे, एक बात मैं सामने रखना चाहता हूं जो अनुसूची १ में ऐक्ट है और जिसका संशोधन अनुसूची २ के अनुसार किया गया है वह करीब-करीब है तो ठीक ही, उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट कर दिया गया है। लेकिन जो ऐक्ट का नम्बर दिया हुआ है और सन् दिया हुआ है वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। एक टेक्निकल चीज है। जो शीर्षक दिया हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है Act No. VII of 1904। तो इसको जब आप ऐडाप्ट कर लेंगे तो एक बहुत घपला सा हो जायगा। समझ में नहीं आता यह चीज किस तरीके से विधिपूर्वक कही जायगी जो हमने पास की। तो पहली बात तो यह मैं सामने लाना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय इसलिये कि वहां इसकी ड्राफ्टिंग ठीक हो जाय। अपने अनुसार जैसा हम उसको विधिवत् पारित करना चाहते हों उसको वहां ड्राफ्ट कर लिया जाय और इसमें जो खामियां हैं वह हटा ली जायं। रहा यह जिस उद्देश्य से हमारे सामने यह विधेयक लाया गया है उससे हम सभी सहमत हैं। जितने भी पुराने ऐतिहासिक स्थान और स्मारक हैं उनकी रक्षा, परिरक्षण तो होना ही चाहिये, क्योंकि आखिर हमारे भारतवर्ष का इतिहास, पुराना इतिहास अंधेरे में पड़ा हुआ है। सिक्कों के जरिये हम उस इतिहास को समझते हैं। कुछ अभिलेख जो मिलते हैं मान्यूमेंट्स, उनके द्वारा हम उस इतिहास को समझते हैं। तो जरूरी है, लाजिमी है कि हम जितने भी इस तरह के पुराने ऐतिहासिक स्मारक हों, स्थान हों, और अवशेष हों, उनकी रक्षा करें और उसमें हमारे जितने भी रिसर्च स्कालर हैं, विद्वान् हैं, वह उसमें खोज बीन करें और हमारे उस पुराने इतिहास को हमारे सामने लायें, क्योंकि आखिर इतिहास का एक बड़ा महत्व है, और हमारे पूर्वजों में क्या बातें थीं, क्या विचार थे, कैसी हमारी सभ्यता थी, उनको जानकर के हम अपना रास्ता निश्चित कर सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं और इस तरीके से हमारी सभ्यता बढ़ सकती है। तो इसमें कोई दो रायें नहीं हैं इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में, जहां तक यह है कि उन स्मारकों और उन अवशेषों का परिरक्षण किया जाय; लेकिन इसके सम्बन्ध में यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी काफी देरी की गई।

अभी अभी कुछ दिन हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टेट्यूट हैं यहां पर उनकी रक्षा करने के लिए उनको एक जगह में एकत्रित रखने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि वह १३ लाख कीमत का एक बड़ा भारी भवन बनाये और उनमें स्टेट्यूट को जो कि ब्रिटिश पीरियड की थीं उनकी रक्षा हेतु उस भवन में उनको रखा जाय। तो एक तरफ तो सरकार इस बात को प्रायर्टी देती है कि अंग्रेजों की स्टेट्यूट जो यहां जगह-जगह लगी हुई हैं उनको हम एक १३ लाख की कीमत के विशाल भव्य भवन में रखें लेकिन दूसरी तरफ आज तक जितने भी पुराने और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे, हमारे भारतवर्ष के और निजी उद्योग के अपने खुद के बनाये हुये

[श्री तेजप्रताप सिंह]

और जो कि आप बुरी हालत में पड़े हुए हैं उनके सम्बन्ध में हमारी सरकार का ध्यान उचित रूप से नहीं गया है । तो मैं नहीं समझता कि जहां हम यह विधेयक लाते हैं तो हमारी सरकार का क्या प्रोग्राम है क्या हम खर्च करेंगे उन ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के सम्बन्ध में, उनके परिरक्षण के सम्बन्ध में । इसकी कोई घोषणा नहीं हुई और न इसके सम्बन्ध में कोई रीति नीति ही माननीय मन्त्री जी ने प्रगट की । तो इस सम्बन्ध में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें इसको प्रवर समिति में ले जाना चाहिए जहां हम ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर अच्छी तरह से विचार कर सकें ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---प्वाइंट आफ आर्डर । कोरम नहीं है ।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---सदन में दो मर्तबे पीछे भी कोरम नहीं रहा है और एक मर्तबे इधर भी नहीं है । आपने कहा भी था कि दो मर्तबे से अधिक कोरम नहीं हुआ तो हम ऐडजर्न कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष---हां, तो एक दफा तो मैं घंटी बजवा ही देता हूं । दूसरी दफा बजाने का वक्त आयेगा तो कार्य स्थगित कर देंगे । अब इसके बाद अगर घंटी बजाने का वक्त आया तो मैं सदन को ऐडजर्न कर दूंगा ।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री तेजप्रतापसिंह---तो मैं यही अध्यक्ष महोदय, कह रहा था कि हमें यह भी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि जहां हम इस विधेयक को बनाते हैं और यह निश्चय करते हैं कि इन अवशेषों की रक्षा करें तहां हमें उसके बारे में कुछ फंड्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम उसमें व्यय कर सकें और उन ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा भली प्रकार कर सकें और वहां हमारे स्कालर्स खोज बीन कर सकें । और हमारे इतिहास के वह पन्ने जो कि अन्धकार में पड़े हुए हैं हमारे सामने आ सकें और हमें प्रकाश दे सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और जो मैंने सुझाव रखे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मन्त्री जी उन पर भी विचार करने की कृपा करेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं और जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं । इस बिल की बड़ी जरूरत थी और हमारा प्रदेश विशेष कर आगरा ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है । कुछ को आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट ने ले लिया है, लेकिन आज अनेकों स्थान हैं जिनकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं गयी । उनकी दृष्टि बहुत ऊंचे स्तर पर जाती है और उनको चूंकि सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से देखना पड़ता है इसलिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें उस से बच जाती हैं । मिसाल के तौर पर मैं बटेश्वर को कहता हूं जहां कि इतने सुन्दर घाट हैं । बटेश्वर का इतिहास शायद कृष्ण भगवान के जमाने से चला आ रहा है । वहां पर शौरीपुर एक स्थान है जो कि जैनियों के लिये बड़ा प्राचीन और तीर्थ स्थान है । यहां एक के बाद दूसरी इमारतें ध्वंस होती जा रही हैं । घाट ऐसे हैं जिन्होंने जमुना के प्रभाव का सैकड़ों वर्षों से सामना किया है, वह भी धीरे-धीरे ध्वस्त होते जाते हैं, लेकिन हमारे सब प्रयत्न कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, असफल रहे । हमारा प्रदेश भी उन्हें अब तक नहीं ले सका, इसलिए हम उसकी रक्षा करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं । आज यह बिल हमारे सामने है, इसमें हमको आगे के लिए यह सुविधा होगयी है कि जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो बड़ी-बड़ी पुरानी इमारतें पुरातत्वीय स्थान और अवशेष हैं उनके रक्षण का भार सरकार अपने ऊपर ले सकती है और जिनको महत्वपूर्ण समझती है उनके लिए प्रबन्ध कर सकती है ।

जो प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए सुझाव आया उसके लिये कोई विशेष दलील तो दी नहीं गयी । अगर बिल में बहुत त्रुटियां थीं तो यह आशा की जा सकती थी कि इसमें काफी संशोधन आते, लेकिन वह तो अब तक माननीय सदस्यों ने भेजे नहीं हैं । अभी तेज प्रताप सिंह जी ने कहा है कि यह सेंटर का ऐक्ट हम वैसे का वैसा ही क्यों अपना रहे हैं । मैं समझता

हूं कि हम बड़ी समझ-बूझ का काम रहे हैं। १९०४ से जो ऐक्ट प्रचलित है तथा कार्यान्वित होता रहा है, जिसमें कोई त्रुटियां नहीं मिली हैं, आज भी कोई खास त्रुटि ऐसी नहीं पायी गयी जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया संशोधित करती, सिवाय इसके कि कुछ अधिकार इस सूची में स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिये हैं। थोड़ा सा आरम्भ में ही है, जो एक्सपीरिएंस से ठीक साबित हो चुका है, अगर उसको हम अपनाते रहे हैं तो हम अपनी शक्ति और समय के अपव्यय को बचा रहे हैं, बेकार उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते हैं।

एक बात माननीय तेजप्रताप जी ने और कही कि इसमें रुपये का प्रबन्ध नहीं किया गया है, तो जब बिल पास हो जायगा तो रुपये का प्रावीजन बजट में हो जायगा। मैं समझता हूं हर एक के हित में यह बात है कि जल्दी से जल्दी इस बिल को पास किया जाय ताकि यहां की बहुत सी इमारतें जो कि ध्वस्त हो रही हैं उनका रक्षण हो सके और बहुत से ऐतिहासिक स्थान जो कि जमीन में मिलते जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। इसलिए मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। यह बहुत ही आवश्यक विधेयक था। मैं तो यह समझता हूं कि इस विधेयक को बहुत पहले लाना हमारी सरकार का कर्त्तव्य था। मुझे आश्चर्य हुआ माननीय पालीवाल जी के इस संशोधन पर कि वह चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। प्रवर समिति में भेजने के लिए जो कारण माननीय पालीवाल जी ने दिये वे हमें उचित नहीं मालूम हुए। उनका कहना है कि वहां हम लोग कुछ समझ-बूझ कर के कुछ आवश्यक संशोधन पेश कर देंगे। यह विधेयक बहुत पहले से हमारी असेम्बली की मेज पर रखा हुआ है और एक भी संशोधन किसी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत नहीं किया। माननीय पालीवाल जी ने इतना कष्ट नहीं उठाया कि कोई संशोधन प्रस्तुत करते जिस पर कि सदन विचार करता। ऐसी दशा में सिर्फ इसलिए कि विधेयक प्रस्तुत हो गया, वाद-विवाद इसमें करना चाहिये, कोई न कोई संशोधन इसमें प्रस्तुत करना चाहिये। मैं तो समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें, यद्यपि मैं अपनी धृष्टता समझूंगा कि पालीवाल जी के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उन वाक्यों को न कहें तो अच्छा होगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आपकी बात मान ली, नहीं कहूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यह संशोधन प्रस्तुत करने से सदन को कोई विशेष सहायता नहीं मिल रही है। जहां तक इस विधेयक का मैंने अध्ययन किया है जैसा कि माननीय चतुर्वेदी जी ने अभी कहा है कि यह विधेयक १९०४ का है। इसका नाम है एन्शियेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ एज मौडीफाइड अप टू २५ अक्तूबर, १९५१। इसमें कोई खामी नहीं है, अगर कोई खामी नजर आई होती तो उस पर कोई न कोई संशोधन जरूर पेश हुआ होता, मेरी धारणा है कि माननीय पालीवाल जी ने इसको अवश्य पढ़ा होगा क्योंकि वह आगरे के रहने वाले हैं। जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहाकि आगरा वह स्थान है जो हिस्टोरिकल मान्यूमेंट्स से भरा पड़ा है। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। माननीय पालीवाल जी या उनके ऐसे विचाराधारा के लोग जो चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय उन्होंने ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये होते कि इसमें यह खामी है तो वह दूर कर दी जाती।

इसको अनुसूची २ में लिख दिया गया है कि इस विधेयक के लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके संबंध में मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बतला दिया कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके उद्देश्य को पढ़ लिया जाय उसमें साफ दिया हुआ है कि क्या कारण है कि हम इस विधेयक को ला रहे हैं। ऐसी दशा में यदि इसको प्रवर समिति में भेज दें, जैसा कि माननीय पालीवाल जी या उनके

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

अन्य कुछ साथी चाहते हैं, तो सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा कि इसके पास होने में देर लग जावे जो अनावश्यक है। प्रस्ताव के अनुसार ३१ अक्तूबर की प्रवर समिति की रिपोर्ट आयेगी, बाद में पता नहीं विधान सभा बैठेगी या नहीं। इसके माने यह हैं कि नई विधान सभा तक के लिये हम इस आवश्यक विधेयक को स्थगित करने जा रहे हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि इसमें समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय पालीवाल जो जैसे विद्वान्, जो हमारे नेता रह चुके हैं और अब भी हैं, यदि समझते हैं कि इसमें कोई खामी है तो वह संशोधन उपस्थित कर दें और यदि भवन उसको उचित समझेगा तो उसे स्वीकार कर लेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रवर समिति में इस बिल को भेजने के लिये प्रस्ताव किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। सिर्फ एक ही कारण इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये बताया गया है कि समय मिल जायगा तो हम इस विधेयक पर और विचार करेंगे। मैं नहीं समझता कि जब इतने दिनों से यह विधेयक हमारे सामने है तो अभी तक इसमें क्या खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। समय लेने की बात कही जाती है तो इसमें कोई त्रुटि बतलाई जाती और यह कहा जाता कि फलां संशोधन बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है तब तो कोई बात समझ में आती और यह कहा गया कि एक महीने के लिये यह विधान सभा उठ रही है तो उसके बाद विचार कर लेंगे। लेकिन यह बात क्यों भूल जाते हैं कि यह कौंसिल से पास हो चुका है और प्रवर समिति में इसको भेजने के माने यह होंगे कि वहां पर जो संशोधन हों वे यहां पास हों, और फिर यह कौंसिल में जाय तो इस किस्म की बैठक में यह नीति बरती जा रही है जैसा अभी कहा गया है कि अक्टूबर की बैठक के बाद हम लोग शायद बैठ न पायें। तो इसके माने यह होते हैं कि सालों के लिये यह चीज टल जाय। एक ही जबान में तो यह बात आयी कि बहुत ही आवश्यक विधेयक है, हम इसका स्वागत करते हैं, इसको पास हो जाना चाहिये और दूसरी तरफ यह बात कहते हैं कि नहीं, हमको और मौका दिया जाय और फिर ऐसी नीति बरती जाय कि टलते टलते इतने दिनों के लिये टल जाय कि हम उसको किसी तरीके से पारित न कर सकें और जिन चीजों के संरक्षण के लिये हम बहुत उतावले हैं वे उसी तरह से पड़ी रह जायं और खराब होती जायं। मैं समझता हूं कि इस किस्म की नीति अच्छी नहीं।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसमें क्या हम दूसरा ड्राफ्ट नहीं कर सकते, जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसका हम अपना दूसरा ड्राफ्ट कर लें। मैं तो नहीं समझता कि अगर एक सेन्ट्रल ऐक्ट मौजूद है और उसमें आप कोई त्रुटि भी नहीं बतलाते हैं, महज आप यह चाहते हैं कि उसको एकदम से हम बदल दें और दूसरा ड्राफ्ट यहां पर पेश कर दें तो यह कैसे हो सकता है? खंड ३ में यह साफ लिख दिया गया है कि जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसमें हम परिवर्तन करके इसको पेश कर रहे हैं। तो जो संशोधन हम करना चाहते हैं उसके होते हुये जो आप यह कहते हैं कि कोई भ्रम पैदा हो जायगा यह बिल्कुल गलत बात है। यह तो ऐक्ट का अंग है और इस पूरे ऐक्ट को पढ़ने से वह बात बिल्कुल साफ रहेगी। कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती है कि जिसकी वजह से कोई उसमें भ्रम पैदा हो। और आप तो खुद तसलीम करते हैं कि वह महज टेक्निकल चीज है, कोई मूल परिवर्तन आप उसमें नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई विशेषता हो। हां, अगर कोई ऐसी बातें होतीं जिनका इसमें लाना बहुत ही आवश्यक होता तब तो हम समझते कि बड़े महत्व की चीज यहां पर पेश हो गयी है, इसलिये हम एक प्रवर समिति बना दें और उसके सामने उन बातों को लायें। जहां तक टेक्निकल बात का सम्बन्ध है, यहां बिल पेश है आप संशोधन ला सकते हैं। इसलिये यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हालमटोल की नीति मेरी समझ में ठीक नहीं है । इससे इतना विलम्ब होगा कि हम एक आवश्यक बिल को पास नहीं कर सकेंगे । इसलिये जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, को इस सदन में पेश करने के लिये सरकार को बधाई देता हूं और समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो इतिहास प्रेमी होगा और भारतवर्ष के गौरव से परिचित होगा वह उसका सदा समर्थन करेगा । परन्तु यहां पर जो माननीय पालीवाल जी ने प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव किया है उसे भी मैं अनावश्यक नहीं समझता हूं । उसमें इतना संशोधन अवश्य चाहता हूं कि जहां उन्होंने ३१ अक्टूबर रखा है यदि उसका समय कुछ कम कर दें तो अधिक उचित हो क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि ३१ अक्टूबर में बहुत विलम्ब हो जायगा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यदि शीघ्र विचार हो जाय और यह पारित हो जाय तो अधिक उचित रहेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---३० सितम्बर रख लीजिये ।

श्री रणंजयसिंह---माननीय पालीवाल जी ३० सितम्बर कह रहे हैं । अगर ३० सितम्बर हो जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इसके संबंध में जैसा अभी कहा गया कि यहां पर यह बहुत दिनों से आया है, तो श्रीमान् जी, क्षमा चाहूंगा इस बात के लिये कि मुझे यह सुन कर आश्चर्य हो रहा है । आखिर कितने दिनों से आया है ? अभी ३१ अगस्त को तो यह सदन में आया है, पहली और दूसरी को छुट्टी रही, आज तीसरी को अभी बहुत से सदस्य घर से नहीं लौट पाये । हां, यह अवश्य है कि पिछले महीने में हुआ क्योंकि वह ३१ अगस्त था और आज ३ सितम्बर है लेकिन १ और २ उसके बाद छुट्टी और तीन को आज ही खुला, लोग अभी छुट्टी से लौटकर नहीं आये हैं । गणपूर्ति के लिये तीन बार घंटी बजाई जा चुकी है माननीय सदस्यों की आज इतनी कमी है तो कम से कम यही आशा करूंगा कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन में ३१ अक्टूबर के स्थान पर ३० सितम्बर कर के प्रवर समिति को सौंप दिया जब जिससे माननीय सदस्य उस पर अच्छी तरह से विचार करके अपनी राय दें उससे गवर्नमेंट को अपना निश्चय करने में सहायता मिलेगी, इस सदन को भी अपनी राय देने में सुविधा होगी । यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और जिन लोगों के पूर्वजों के ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में यह है वह चाहेंगे कि इस पर पूर्ण रूप से विचार हो और कोई कमी इस में न रह जाय । मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय माननीय पालीवाल जी के संशोधन को इस संशोधन के साथ कि ३१ अक्टूबर के स्थान पर ३० सितम्बर तक कर दिया जाय मान लेंगे, और अन्त में शिक्षा मंत्री जी को इस बिल के लिये मुहुर्मुहुः बधाई देते हुये इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस मंशा से यह बिल पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में यह अवश्य जाना चाहिये । कई सौ वर्षों तक यहां अंग्रेजी राज्य रहने के कारण हमारे यह स्मारक-स्थल छिन्न-भिन्न हो गये और उनके अवशेष तक नहीं रह गये । स्वतंत्र होने के सात-आठ वर्षों बाद हम अपने पूर्वजों की यादगारों के रक्षण के लिये यह बिल लाये हैं यह बड़ी अच्छी बात है ।

श्रीमन्, मुझे जहां तक अपने यहां का अनुभव है, हमारे यहां बुद्ध भगवान् का परिनिर्वाण हुआ था । वह स्थान पहले बिलकुल सुनसान था । वहां लोग जाने में डरते थे । लेकिन वह एक पवित्र स्थान था जहां देश-देश से लोग पहुंचते थे । हमारे यहां के लोग उस स्थान का महत्व नहीं समझते थे । बाहर के यात्री आते थे समय-समय पर और एक दो रोज वहां रह कर चले जाते थे । उन के ठहरने के लिये भी सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं

[श्री रामसुभग वर्मा]

था। एक मूर्ति पड़ी हुई थी और एक धर्मशाला थी और इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। जब से उनका जीर्णोद्धार हुआ है, तब से वह स्थान कुशीनगर के नाम से विख्यात हो गया है। वहां के लोग यह महसूस करते हैं कि यह हमारे बुद्ध भगवान का एक पवित्र स्थान है। उसके बाद से इस स्थान का महत्व बढ़ा है। इसी तरीके से जितने हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, जितने स्मारक हैं, जितनी मूर्तियां हैं उनका अगर अच्छी तरह से उद्धार हो तो हमारी आने वाली संतानों को एक बहुत बड़ी गाइड मिलेगी कि जो हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं वह क्या-क्या कर चुके थे, यह उन को मालूम होगा। इस भावना से जो यह बिल लाया गया है वह स्वागत के योग्य है, और साथ ही साथ जो माननीय पालीवाल जी ने संशोधन रखा है इसके लिये कि इस में जो भी खामियां रह गई हैं उनको इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज कर दूर कर दिया जाय वह भी मानने काबिल है। माननीय सदस्य इससे घबराते क्यों हैं कि सदन कम दिन बैठने वाला है। थोड़े दिनों के बाद जब हम फिर मिलेंगे उस समय तक सेलेक्ट कमेटी अपना काम पूरा कर लेगी और उसके बाद की बैठक में इसको ले लिया जाय ताकि इस पर खूब अच्छी तरह से विचार हो जाय कि इसमें क्या क्या करना है। इतने दिन रुकने से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह कोई लेट नहीं होगा। जब हम हुकूमत में आने के ७ वर्ष बाद तक इस पर विचार नहीं कर सके तो थोड़े दिनों के लिये अगर यह और रुक जाय तो इससे कोई खराबी, मैं समझता हूं कि नहीं पैदा होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके न होने से प्रदेश को बड़ा नुकसान हो जायगा। तो इसलिये अगर इसको थोड़े दिनों के लिये और प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा और इसमें मैं समझता हूं कि कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। यही मेरा निवेदन है।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी हमारे सामने चल रहा है मैं उसकी पूरी ताईद करता हूं और इसके साथ-साथ मैं अपने आप को उन माननीय सदस्यों की लिस्ट में भी पाता हूं कि जिन्होंने शिक्षा मंत्री साहब को इसके लिये मुबारकबाद पेश किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म के बिल की हमारे सूबे को एक अरसे से बहुत जरूरत थी और हमको बड़ी खुशी है कि आज जब कि यह असेम्बली करीब-करीब खात्मे पर पहुंच रही है उस वक्त हमने एक ऐसा बिल पेश किया और जिसको हम पास करने जाने वाले हैं। इसकी न सिर्फ यहां जरूरत ही थी, बल्कि यह बिल एक यादगार रहेगा। इस में कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में और खास कर हमारे सूबे के अन्दर पुरानी यादगारों की इतनी बड़ी तादाद है कि जिनकी तरफ तवज्जह करना एक बहुत जरूरी चीज थी। अब तक जैसा कि बिल में दिया गया है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में फरमाया कि अब तक जितने मानूमेंट्स थे उनका प्रोटेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता था। लेकिन अब संविधान के अन्दर दो सूरतें पैदा कर दी गयी हैं। एक तो इस किस्म के मानूमेंट्स होंगे कि जिनका केंद्रीय सरकार प्रोटेक्शन करेगी और बाकी ऐसे होंगे जिनके लिये हमें खुद बन्दोबस्त करना पड़ेगा। बहुत से ओल्ड मानूमेंट्स ऐसे हैं जिनको मुझे देखने का इत्तफाक हुआ। मेरे जिले के अन्दर भी काफी ऐसे मानूमेंट्स की तादाद है जो केंद्रीय सरकार के तहफ्फुज में हैं और वह उनका प्रोटेक्शन काफी अरसे से करती चली आयी है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रोटेक्शन केंद्रीय सरकार की तरफ से हो रहा है वह शायद ब्रिटिश सरकार के जमाने से है, और वह बराये नाम है सिवाय इसके कि जो मानूमेंट्स कौम के लिये बहुत कीमती हैं उनके ऊपर एक लेबिल लगा दिया गया है कि यह प्रोटेक्टिव मानुमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई तवज्जह उनकी तरफ नहीं होती है। इसके साथ-साथ बेशुमार ऐसे मान्युमेंट्स हैं जो केंद्रीय सरकार ने नहीं लिये हैं और जिनको आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम इस बिल के जरिये से ले रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक दो सुझाव जो मुझे मुनासिब मालूम होते हैं सरकार की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इस बिल पर गौर करते वक्त उन पर भी गौर कर लिया जाय।

जिस वक्त कि हम सूबे के अन्दर उन पुरानी इमारतों का सर्वे करायें तो हमको खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कोई ऐसी पुरानी इमारत बाकी न रह जाय जिसकी तारीखी हैसियत हो। वह बचने न पाये खासतौर से इस वक्त जब कि हमारे सूबे के अन्दर गजेटियर बनाया जा रहा हो। हर जिले के अन्दर इस बात की तवज्जह की जाय कि जो पुरानी इमारतें तारीखी हैसियत रखती हैं तो उनका भी रिकार्ड हो जाय। इस तरीके से गजेटियर की जांच के साथ और रिवीजन के साथ यह मसला उठाया जाय। मैं समझता हूं यह काम बहुत आसानी से हो सकता है और आसानी से इसका सर्वे हो सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस वक्त हमारे यहां ऐसे मान्यूमेंट्स हमारी नोटिस में आयें जो हमको इस बिल की रूह से देखना पड़े तो उन मान्यूमेंट्स को चलाने के लिये हर मुकाम पर एक कमेटी बनायी जाय और उसमें ऐसे आदमी हों जो इस किस्म के हों जो इस काम में दिलचस्पी रखते हों। वह कमेटी वक्तनफवक्तन उसकी जरूरतों के मुताल्लिक.....

श्री अध्यक्ष--जब यह विधेयक खंडों पर विचार करने के लिये आवे तब आप यह सुझाव दे सकते हैं। इस समय तो इसके उसूल पर हो आप बोल सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। तो यह बात न कह कर मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे मान्युमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिये हम जल्दी से जल्दी कदम उठायें और उनके लिये इस बात की कोशिश करें कि उनका सही और मुनासिब तरीके से इन्तजाम हो सके। मैं यह समझता हूं कि जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो मैं दरअसल सेलेक्ट कमेटी में भेजने के मुखालिफ नहीं हूं। बल्कि मैं यह समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से बहुत ज्यादा इतमीनान के साथ इस पर गौर हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि यह बिल काफी लेट हो चुका है तो हम सब के लिये यह बहुत अच्छा होगा अगर यह बिल जल्दी से पास हो जाय। जो देर हुई वह ऐसी देर हुई जो नहीं होनी चाहिये थी। इस असेम्बली की जिन्दगी में अगर यह पास न हो सका तो इससे हमारा काफी नुकसान होगा और इससे हम अपने फर्ज की अदायगी भी नहीं कर सकेंगे और जो फर्ज हमको पूरा करना चाहिये वह पूरा नहीं कर सकेंगे और उसमें यह कमी रह जायगी। मैंने यह भी देखा कि इस बिल का न सिर्फ इस तरफ से बल्कि हाउस के हर कोने से स्वागत किया गया है। इससे मैं सही तौर पर यह महसूस करता हूं कि इस बिल के मुताबिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस बिल को पास करके न सिर्फ हम अपने फर्ज की अदायगी करेंगे बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेंगे और अपने कीमती खजाने का इन्तजाम ठीक से कर सकेंगे। इसलिये इस बिल को स्टेट्यूट बुक पर रखने में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिये।

अगर जिलों में कुछ हमारी पुरानी चीजें मूवेबिल नेचर की हैं तो उनके लिये भी जिले में नहीं तो डिवीजन में एक म्यूजियम कायम किया जाय जहां वे चीजें रख दी जावें। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम बातों पर माननीय मंत्री जी गौर फरमायेंगे और हम सबकी यह ख्वाहिश है कि इस बिल को जल्द पास करके इस पर अमलदरामद किया जाय ताकि हमारे सूबे की पुरानी जरूरत और बड़ा फर्ज पूरा हो सके।

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ मुझे माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है। उन्होंने या अन्य सदस्यों ने, जैसे कि माननीय

[डाक्टर सीताराम]

अवधेश प्रताप सिंह जी ने, ठाकुर रणंजय सिंह जी ने कोई ऐसा सुझाव नहीं रखा है जिसको मानना पड़े। अभी माननीय अवधेशप्रताप सिंह ने बतलाया कि.....

कुछ सदस्य--अवधेशप्रताप सिंह जी यहां नहीं हैं, तेज प्रताप सिंह जी हैं।

डाक्टर सीताराम--हां, तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि सरकार १३ लाख रुपया खर्च करके म्यूजियम बनवाने जा रही है, जिसमें बहुत सी मूर्तियां रखी जायेंगी। देश की या प्रान्त की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये यह कहना पड़ेगा ही कि १३ लाख रुपया जिस मंशा से खर्च किया जायगा वह कोई अधिक नहीं है। १३ लाख रुपये के बारे में जो प्रश्न उठाये गये हैं, दुनिया के अन्य देशों के म्यूजियम्स को अगर देखा जाय तो इसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि उनके मुकाबले यह म्यूजियम कोई बड़ी वस्तु नहीं होगी। इसलिये यह कहना कि १३ लाख रुपया सरकार ठीक तरह से खर्च नहीं कर रही है, यह ठीक बात प्रतीत नहीं होती है। साथ ही साथ तेज प्रताप सिंह जी ने बतलाया कि सरकार को चाहिये था कि अपना विधेयक प्रस्तुत करती बल्कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये विधेयक को देख कर उसे कार्य रूप में परिणित कर दिया है। अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो इस विधेयक में १९५६ है। अपेन्डिक्स १ और २ इसमें सम्मिलित किये गये हैं जिससे कि जितना सन्देह उत्पन्न होता है वह बिल्कुल दूर हो जाता है। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और इसमें समय बरबाद किया जाय। यह हो सकता है कि इसमें संशोधन पेश किये जावें लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि यह बिल विधान परिषद् द्वारा पारित हो चुका है। लेकिन किसी तरह से इस बिल को वहां पर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः जब यह विधेयक विधान परिषद् में पारित हो चुका है और विधान सभा में प्रस्तुत है, ऐसी दशा में सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति में प्रस्तुत करे और वहां पर किसी तरह से कोई संशोधन हो जाय तो फिर यहां इस सदन में यह बिल आयेगा और यहां से पास होने के पश्चात् यह विधान परिषद् में जायगा। इस तरह से जितना समय लग जाना स्वाभाविक है उतना समय इसमें लग सकता है और इस विधेयक की मंशा इस तरह से अधूरी रह जायगी। अभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के एम्स ऐन्ड आबजेक्ट्स की प्रशंसा की, और इस विधेयक को इस सदन के समक्ष रक्खे हुए भी कई दिन हो गये लेकिन माननीय पालीवाल जी ने इस सदन के समक्ष कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये मैं माननीय पालीवाल जी के इस संशोधन को कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसको वापिस ले लें तो अति उत्तम होगा।

श्री तेजप्रतापसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि क्या हमारी विधान सभा को यह अधिकार है कि वह किसी सेंट्रल ऐक्ट को एडाप्ट कर सके? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम किसी सेंट्रल ऐक्ट में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं? तीसरी बात यह है कि जब हमारे यहां हिन्दी में विधेयक बनाये जाते हैं तो क्या हम अंग्रेजी में भी पारित कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि इस बारे में हमारे यहां जो नियम हैं, उनके प्रतिकूल हैं। आप इन प्रश्नों पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--इनमें से एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले आया था कि क्या इसको अंग्रेजी में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।

यह बात सही है कि सेंट्रल ऐक्ट कोई भी अगर सदन के सामने उपस्थित हो तो वह एडाप्ट किया जा सकता है और वह इस तरह से किया जाता है कि उसे प्रादेशिक ऐक्ट बना लिया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने रखा है। पहले हिन्दी में विधेयक उपस्थित करके उन्होंने यह कहा कि हम सेंट्रल ऐक्ट को मंजूर करते हैं और जितने परिवर्तन

करना उन्हें उचित मालूम हुआ उतने परिवर्तन उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम में कर दिये। अतः इसके बारे में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठ सकती।

केवल एक प्रश्न उठता है कि जिस सेंट्रल ऐक्ट का आपने जिक्र किया वह अंग्रेजी में है और उसको हम नये सिरे से अंग्रेजी में उपस्थित कर रहे हैं, तो आप अनुवाद करके उपस्थित करें कि अंग्रेजी में उसे सदन स्वीकार करे। यह वैधानिक आपत्ति, अड़चन मैं इसमें देखता हूं। इसके ऊपर फैसला देने के लिये मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हमारे यहां की अभी प्रथा यह रही है कि हमारे प्रदेश का कोई अगर अंग्रेजी का अधिनियम हो तो उसमें अगर हम संशोधन करते हैं तो अंग्रेजी में ही करते हैं; तो क्या वह नियम इसमें भी लागू हो सकता है, या नहीं हो सकता? इस विषय में मुझे अभी शंका दिखायी देती है। मैं उस पर अभी कोई निश्चित मत नहीं दे रहा हूं, अगले दिन दूंगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ सितम्बर, १९५६।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

यू० पी० ऐक्ट संख्या ६, १९४७, ऐक्ट संख्या ९, १९१०।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ तथा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ६, १९४७ ऐक्ट संख्या ९, १९१०।

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ तथा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ६, १९४७ की धारा १ (४) का संशोधन।

२—यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" रख दी जाय।

ऐक्ट संख्या ९, १९१० की धारा ४ का संशोधन।

३—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ४ में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(2) Where the State Government might, under sub-section (1) revoke a license, it may, instead of revoking the license—

(i) permit it to remain in force subject to further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon , and be observed by the licensee, and shall be of like force and effect as if they were contained in the license, or

(ii) issue any direction for the execution of the work by the licensee or by any other person for and on behalf and at the cost of the licensee and any such direction shall be binding upon the licensee and be complied by him."

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (२-ए) के रूप में रख दिया जाय :—

"(2-A) Any expenditure incurred by such other person in execution of any work under and in pursuance of the directions issued under clause (ii) of sub-section (2) shall be realizable from the licensee as an arrear of land revenue."

सत्यमेव जयते

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ द्वारा बिजली के उत्पादन, सम्भरण (supply) तथा वितरण और बिजली के वाणिज्य तथा व्यापार को नियंत्रित करने के अधिकारों को एक सीमित अवधि तक बनाये रखने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम के बनाने की आवश्यकता इसी कारण हुई कि बिजली की मांग उसके सम्भरण से कहीं अधिक थी। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि सरकार को बिजली के उत्पादन, सम्भरण तथा वितरण इत्यादि को नियंत्रित करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

२--यह अधिनियम ३० सितम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाला है। बड़े नगरों में तो सम्भरण की दशाओं में पर्याप्त सुधार हो गया है किन्तु कुछ क्षेत्रों में अब भी चालक शक्ति (energy) की मांग इतनी अधिक है कि अधिष्ठान (undertakings) उसका सम्भरण नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिये और बढ़ा दी जाय।

३--विगत कुछ समय से सरकार ऐसी स्थितियों का, जिनमें लाइसेन्सदार अपने लाइसेंसों द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों का पूर्ण रूप से तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं करते, सामना करने में कठिनता का अनुभव करती रही है। सरकार के पास कर्मचारिवर्ग के अकुशल होने तथा अनियमित ढंग से बिजली सम्भरण किये जाने की शिकायतें तथा एक न एक कारण से पावर हाउसों को बन्द कर दिये जाने की धमकी वाले नोटिस आते रहते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ४ का संशोधन करके प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक उपबन्धों का समावेश कर दिया जाय। इससे सरकार लाइसेंसदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में समर्थ हो सकेगी जिससे राज्य की जनता को कुशलता पूर्वक बिजली का सम्भरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

४--प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरः स्थापित किया गया है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त तथा चालक शक्ति मंत्री।

पी एस० यू० पी० ए० पी०--१७९ एल० ए०--१९५६-७९६।